लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 15/10/13

Preservation Unit
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा वाद-विवाद

दिनांक २८ अगस्त, १९६३ । ६ भाद्र, १८८५ (शक)

का

शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ १५२८, नीचे से १२ वीं पंक्ति, श्री मेनन के स्थान पर श्री मनेन पढ़िये ।

२. पृष्ठ १५३३, ऊपर से ८ वीं पंक्ति, श्री पान सिंह पु० पटेल के स्थान पर श्री मान सिंह पु० पटेल पढ़िये ।

३. पृष्ठ १५३५, तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, प्रश्न पूछने वाले सदस्य का नाम 'श्री विश्वनाथ दाय के स्थान पर श्री विश्वनाथ राय पढ़िये

कृ० पृ० उ०

४. पृष्ठ १५३६, तारांकित प्रश्न संख्या ३४७, प्रश्न पूछने वाले सदस्यों के नामों में 'श्री दे० बी० नायक' के स्थान पर 'श्री दे० जी० नायक' पढ़िये ।

५. पृष्ठ १५४०, 'तेल की खोज' शीर्षक वाले प्रश्न की संख्या '३५' के स्थान पर '३५४' पढ़िये ।

६. पृष्ठ १५४०, 'नवगांव में छिद्रण कार्य' शीर्षक वाले प्रश्न की संख्या '३५५५' के स्थान पर '३५५' पढ़िये तथा प्रश्न के उत्तर में (क) जी हां । 'के बाद '(ख)' पढ़िये ।

७. पृष्ठ १५६१, नीचे से ५ वीं पंक्ति, '(Clear)' को निकाल दीजिये ।

लोक-सभा

बुधवार, २८ अगस्त, १९६३

६ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय कोयला निक्षेप

+

†*३३०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला परिषद् राष्ट्रीय कोयला निक्षेपों के पुनर्निर्धारण में लगी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् की संसाधन निर्धारण समिति ने अपनी उप-पत्तियों का कोई प्रतिवेदन तैयार किया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). परिषद् की संसाधन निर्धारण समिति देश में कोयला निक्षेपों का निर्धारण करने में लगी हुई है । अब तक समिति ने केवल रानीगंज, झरिया और पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र के बारे में रिपोर्टें दी हैं।

†श्री भक्त दर्शन : यह समिति अपना कार्य कब तक समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट दे देगी ?

†श्री अलगेशन : वे झरिया, रानीगंज और पूर्वी बोकारों के कोयला क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र समझे जाते हैं । पश्चिमी बोकारो

†मूल अंग्रजी में

रामगढ़, करणपुर आदि जैसे अन्य कोयला-क्षेत्र भी हैं। समिति जानकारी एकत्रित कर रही है और आशा है कि यह कार्य मार्च, १९६५ के अन्त तक पूरा हो जायगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सच है कि उच्च श्रेणी का कोयला, जैसे धातुकर्मिक कोयला देश में कुल कोयले का लगभग ६ प्रतिशत है ? क्या इस समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है या स्वयं सरकार उसे सुरक्षित रखने की कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अलगेशन** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोककर कोयला के निक्षेप केवल एक प्रतिशत है। जहां तक झरिया कोयला क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां कोयला लगभग १० प्रतिशत है परन्तु अन्य स्थानों पर प्रतिशत कम हो सकता है। अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम कोककर कोयला के निक्षेप देश में सुरक्षित रखें और उन्हें यथासंभव अधिक समय तक प्रयोग करने का प्रयोग करें।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस निर्धारण समिति की अन्तरिम सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : वे तीन कोयला क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं यह हजारों पृष्ठों की लम्बी रिपोर्ट है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस दृष्टि से कि उच्च श्रेणी के कोयले के निक्षेप बहुत कम हैं और तेजी से कम हो रहे हैं, हमारे उद्योगों, रेलों, आदि द्वारा निम्न श्रेणी के कोयले का प्रयोग लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : कोककर कोयला प्रयोग करने के बजाय कुछ मिश्रण प्रयोग करने का विचार है और इसके सम्बन्ध में निरन्तर प्रयोग हो रहे हैं ताकि इन निक्षेपों को यथासंभव अधिक मात्रा में सुरक्षित रखा जा सके।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या इस बारे में कोई निर्धारण उपलब्ध है कि हमारे राष्ट्रीय कोयला-पट्टी पूर्णतया औद्योगीकृत भारत की आवश्यकता कितने समय तक पूरी कर सकेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह बताया जा सकता है परन्तु अभी यह बताने में मैं असमर्थ हूं। मैं आंकड़े बताना नहीं चाहता।

†**श्री काशी राम गुप्त** : क्या निक्षेपों की श्रेणी और किस्म के बारे में कोई अनुमान बताया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या यह निर्धारण कोयले के विद्यमान निक्षेपों का होगा या इसमें संभव-क्षेत्रों को भी मिलाया जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : ये निक्षेप जिनके हमारे पास आंकड़े हैं, सब एक साथ मिला दिये गये हैं। ये निक्षेप हैं निश्चित, सांकेतिक और अवर्गीकृत।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या माननीय सदस्य का ध्यान उस भूतत्वीय सर्वेक्षण की ओर आकर्षित किया गया है जो भद्राचलम क्षेत्र के पास गोदावरी के मैदान में किया गया है और क्या वह भी इस समिति के क्षेत्राधिकार में आयगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : आज कल इसका सम्बन्ध, बंगाल-बिहार क्षेत्र के निक्षेपों के बारे में है। अन्य क्षेत्रों के मानचित्र बनाय जा रहे हैं।

राजस्थान में सीसा

+

†*३३१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उदयपुर से २४ मील दूर कातार में सीसे की बहुत बड़ी मात्रा पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो खनिज की अनुमानित मात्रा क्या है ; और

(ग) इसके विदोहन के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) राजस्थान के खनन तथा भूतत्वीय विभाग ने उदयपुर जिला में कटार के पास सीसा खनिज पदार्थ होने का पता लगाया है।

(ख) स्थिति की पूर्ण जांच पड़ताल होने के बाद ही निक्षेपों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(ग) राजस्थान सरकार के खनन तथा भतत्व विभाग ने हाल में खोज कार्य आरम्भ कर दिया है।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इसके इम्पिलिमेंटशन में कितना मनी इनवेस्ट करना पड़ेगा ?

†**श्री अलगेशन** : राजस्थान सरकार का खनन तथा भूतत्व विभाग यह कार्य कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वे कितना धन व्यय करेंगे।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस का भंडार मिलने की बाद हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो जायेगा या कोई कमी रहेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह कहना नहीं चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कार्य राजस्थान सरकार के खनन तथा भूतत्व विभाग को क्यों सौंपा गया है और यह भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण को नहीं सौंपा गया। इस से क्या लाभ होगा।

†**श्री अलगेशन** : कुछ राज्यों को खनन तथा भूतत्व के अपने विभाग हैं और उन्हें खनिज संसाधनों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। यह अच्छी बात है कि राजस्थान

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने आगे बढ़ कर इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण राजस्थान के दूसरे क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या राजस्थान सरकार ने सामग्री की या अन्यथा केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं कह सकता।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसकी देख रेख करेगा या इस कार्य के लिए कोई और निगम बनाया जायेगा।

†**श्री अलगेशन** : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसकी देख रेख कर सकता है। आजकल यह कार्य राज्य सरकार स्वंय कर रही है।

†**श्री काशीराम गुप्त** : खनिज निकालने के लिए खोज के परिणामों का पता लगाने में कितना समय लगेगा और क्या राजस्थान सरकार, सफल छिद्रण के बाद वहां यह काम करने के लिए निगम बनाने के बारे में निश्चय करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह सब जानकारी उस समय विदित होगी जबकि राजस्थान सरकार को निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाये।

माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परीक्षा

†*३३२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परीक्षा का प्रतिरूप बदलने के बारे में कुछ "अस्थायी निर्णय, किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). भारत सरकार ने पांच वर्ष पहले एक केन्द्रीय मूल्यांकन एकक बनाया था जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा

---

†मूल अंग्रेजी में

है और परीक्षा सुधार के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ऐसे एकक बनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी दे रही है। परीक्षा सुधार के प्रोग्राम के उद्देश्य निम्न हैं :—

(१) वाह्य परीक्षाओं में उद्देश्य आधारित प्रश्नों का पूछा जाना।

(२) स्कूलों में अन्त: योग्यता निर्धारण के लिए जमा रिकार्ड रखने की पद्धति तथा आवश्यक वृत्ति का विकास।

(३) पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना ताकि उद्देश्य युक्त अध्यापन में सहायता मिल सके।

(४) उपयुक्त अनुसन्धान के आधार पर परीक्षाओं के ढांचे में सुधार।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : विवरण से विदित होता है कि केन्द्रीय सरकार ने पांच वर्ष पूर्व एक केन्द्रीय मूल्यांकन एकक बनाया था कि वह परीक्षा सम्बन्धी सुधार करने के समूचे प्रश्न की जांच करें। क्या इस एकक ने अब तक कोई सिफारिश की है और यदि नहीं, तो यह कब तक कोई सिफारिश करेगा ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : वास्तव में यह एक बड़ा काम है और इस काम के लिए हमने राज्य एकक भी खोल दिये हैं। इस एकक के उद्देश्य ये हैं :—वाह्य परीक्षाओं में उद्देश्य अधारित प्रश्नों का पूछा जाना, स्कूलों में अन्त: योग्यता-निर्धारण के लिए जमा रिकार्ड रखने की पद्धति तथा आवश्यक वृत्ति का विकास ; पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना ताकि उद्देश्य युक्त अध्ययन में सहायता मिल सके ; उपयुक्त अनुसन्धान के आधार पर परीक्षाओं के ढांचे में सुधार।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब तो विवरण में दिया है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण**: आशा है कि वे सब एकक तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिफारिशें करेंगे।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : केन्द्रीय मूल्यांकन एकक ने, जो पांच वर्ष पहिले बनाया गया था, इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है। परीक्षाओं में सुधार करने में, उप-परीक्षाओं की व्यवस्था करनी होगी और उस के लिए साहित्य-सृजन करना होगा। यह सब प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है और अब राज्य सरकारों को राज्य एकक बनाने के लिए सत प्रतिशत अनुदान दे दिया गया है। आशा है कि राज्य मूल्यांकन एककों के सहयोग से केन्द्रीय मूल्यांकन एकक अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा और ताल-मेल भी कर सकेगा।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस क्षेत्र में जो भी किया जा रहा है उसके अतिरिक्त माध्यमिक अनुदान आयोग बनाने का भी कोई प्रस्ताव है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के से ही आधार पर होगा और जो समुचे देश में माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं का एकसा रूप निर्धारित करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह करना संभव प्रतीत नहीं होता। प्रथम, केन्द्रीय सरकार को ऐसा आयोग बनाने का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आधार अलग है ; वहां केन्द्रीय सरकार को स्तर निर्धारित करने और एकसूत्रित करने का अधिकार है। यह बात माध्यमिक शिक्षा पर लागू नहीं होती, क्योंकि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा पूर्णतया राज्य के अधिकार में हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सहायता से भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री यशपाल सिंह :** माध्यमिक शिक्षा की इस योजना को लागू करने में कितने राज्यों को हिचकिचाहट है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य राज्य मूल्यांकन एककों का उल्लेख कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को अनुदान दे दिये गये हैं। अन्य राज्य सरकारों की प्रार्थनाओं पर भी विचार किया जा रहा है ?

†**श्री कपूर सिंह :** क्या नमूने में इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय तथा अशास्त्रीय से अलग करना है या इस परिवर्तन का उद्देश्य केवल यह है कि शिक्षा को रटने की वस्तु न बना कर शक्तियों का विकास करने का साधन बनाना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अनेक उद्देश्य हैं ? आजकल परीक्षाओं की मुख्य समस्या यह है कि वे अति विषयात्मक हैं। उन्हें कुछ उद्देश्यात्मक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और यदि परीक्षायें उद्देश्यात्मक हो जाती हैं ; तो रटने वाली बात का स्वतः अन्त हो जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परीक्षाओं में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में भी वास्तविक पुनर्गठन की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो वह पुनर्गठन क्या होगा और उसे लागू करने में क्या मुख्य कठिनाइयां होंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** स्पष्ट है कि परीक्षा सुधार उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन न किया जाये। वे दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं।

†**श्री दाजी :** विवरण में उल्लेख है कि एकक को स्थापित हुए पांच वर्ष हो गये। क्या परीक्षाओं या उप-परीक्षाओं में कुछ उद्देश्यात्मकता के बारे में कुछ अस्थायी या कम से कम अन्तरिम सिफारिशें की गई हैं, और यदि हां, तो क्या वे अन्तरिम सिफारिशें लागू की जा रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हां, अनेक प्रयोग किये गये हैं और परिणाम बड़े ही उत्साहवर्धक हैं। यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न की सूचना दें, तो मैं इस बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दे सकता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं केवल अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्या उन के सम्बन्ध में कोई विचार है कि उनको भी उत्तीर्ण समझा जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, कई जगह ऐसा होता है । सप्लीमेंटरी परीक्षा की व्यवस्था है । जो किसी विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं वे कुछ अरसे बाद उस विषय में फिर से परीक्षा दे सकते हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** विवरण में परीक्षा सुधार के चार उद्देश्यों का वर्णन है । इन उद्देश्यों के अनुसार क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है या की जायेगी या विचार किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केन्द्रीय मूल्यांकन एकक पांच वर्ष पहिले बनाया गया था । अब राज्य मूल्यांकन एकक भी बन गये हैं । विवरण में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ये सभी एकक मिल कर कार्य करेंगे ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** इसके लिये जो व्यवस्था की गई है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके अनुसार जो कार्यवाही की गई है या जिस पर विचार किया जा रहा है या जो कार्यवाही की जायेगी, उससे मेरा सम्बन्ध है । व्यवस्था या सहयोग से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये उद्देश्य राज्य एककों के बनने पर ही प्राप्त हो सकेंगे ।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़ :** क्या उन विद्यार्थियों के बारे में विचार करने का कोई प्रस्ताव है जो वार्षिक परीक्षाओं के अतिरिक्त स्कूल आदि अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और अन्तिम परीक्षा के समय एक दम बीमार पड़ जाते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या स्कूल की परीक्षाओं या उपपरीक्षाओं का भी ध्यान रखा जायेगा । यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है ।

श्री राम सेवक यादव : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि सप्लीमेंटरी परीक्षा की व्यवस्था है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगले दरजे में दाखिले के लिये सप्लीमेंटरी परीक्षा में पास होने की कोई कैद है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, कई जगह ऐसा प्रबन्ध है कि सप्लीमेंटरी परीक्षा के पहले ही लड़कों को अगली कक्षा में दाखिल कर लिया जाता है । बाद में अगर वे उस परीक्षा में पास होते हैं तो उसी कक्षा में बने रहते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो वापस नीचे की कक्षा में आ जाते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : केन्द्र ने अपने केन्द्र खोले हैं और राज्य सरकारों ने भी अपने केन्द्र खोले हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये केन्द्र माध्यमिक परीक्षा परिषदों से भी परामर्श लेते हैं जिनको कि इस क्षेत्र का ज्ञान है ? यदि हां, तो क्या ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सब से परामर्श लिया जाएगा ।

†**श्री स० चं सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि खडगपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी के डा० ज्ञान परीक्षा-पद्धति पर शोध-कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उनको क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है । और उन्होंने किस विषय पर शोध किया है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित इस परियोजना पर शोध-कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी थी। भारत सरकार द्वारा बनाई गई यह एक परियोजना है।

†श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में उल्लेख है कि अनुसन्धान केन्द्र का एक मुख्य कार्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या इस अनुसन्धान केन्द्र को कोई नमूने का पाठ्यक्रम भेजा गया है या नहीं ? फिर राज्यों को कैसा अनुदान दिया जाता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमने एक शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् बनाई है जो इन सब मामलों की जांच कर रही है। आधुनिक पाठ्यक्रम बनाये गये हैं। यह कार्य निरन्तर हो रहा है।

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या उप-परीक्षायें प्रयोगात्मक आधार पर की जा रही हैं? फिर वस्तुतः उन उप-परीक्षाओं का क्या परिणाम रहा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इससे पहिले कोई किसी उप-परीक्षा को अन्तिम रूप दिया जाये, स्वाभाविक है कि पर्याप्त प्रयोग करना पड़ता है। यदि पर्याप्त प्रयोग न किये गये हों, तो उप-परीक्षा को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, सन् १९२० के असहयोग के जमाने से ले कर आज तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में परीक्षा के विभिन्न तरीके निकाले गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अनुभव के आधार पर सरकार कोई फाइनल तरीका निकालने वाली है जिससे कि हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों के आचार और विचार में सुधार हो ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शिक्षा में कोई सुधार फाइनल नहीं हो सकता। शिक्षा के कार्यक्रम में निरन्तर सुधार होता रहता है, कभी अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह तो जीवन के साथ समन्वित है। जिस प्रकार जीवन में विकास का अन्तिम लक्ष्य कभी नहीं आता वैसे ही शिक्षा में भी कोई सुधार अन्तिम नहीं होता।

†डा० सरोजिनी महिषी : इस बात का ध्यान रख कर कि लोअर आठवीं और हायर आठवीं कक्षायें कुछ राज्यों में माध्यमिक स्तर पर पहले से ही संयुक्त हैं, क्या यह सच नहीं है कि हायर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक वर्ष की हानि होती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : परीक्षा पद्धतियों में ये सब समस्यायें हैं और पर्याप्त हानि तथा बरबादी होती है। यही कारण है कि नये ढंग और नई विधियां खोजी जा रही हैं।

†डा० गायतोंडे : इस दृष्टि से कि आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा-व्यवस्था समाप्त कर दी जाये, क्या सरकार भी इसी का अनुकरण कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार प्रवृत्ति का अनुकरण नहीं करती। शिक्षा-निकाय इस प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे।

†डा० गायतोण्डे : क्या प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा रहा है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री क० ना० तिवारी : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जब लड़के किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं तो उनको सप्लीमेंटरी परीक्षा का चांस दिया जाता है और उसके पहले ही उनको आगे के क्लास में भरती कर लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पद्धति सभी प्रान्तों में लागू है या केवल कुछ प्रान्तों में ही ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, यह सब जगह लागू नहीं है, कहीं कहीं है।

गारो पहाड़ियों में कोयला

†*३३३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या खान और इंधन मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गारो पहाड़ियों में कोयले की खोज और खनन करने के बारे में आसाम सरकार की प्रार्थना पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या गारो पहाड़ियों में कोयला उत्पादन के सम्पूर्ण आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत पश्चिमी देरनगिरि में २,२२० एकड़ भूमि-क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को वर्षा के बाद शीघ्र ही अर्थात् अक्तूबर, १९६३ के मध्य तक इस क्षेत्र में छिद्रण-कार्य आरम्भ करने की आशा है। इस बीच राज्य सरकार से इस क्षेत्र में सड़कों, पुलों और पुलियाओं के सुधार के लिये कार्यवाही करने को कहा गया ताकि कार्यस्थल पर मशीनों के पहुंचाने की सुविधा हो जाये।

(ख) पर्याप्त खनन जानकारी उपलब्ध होने पर और परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर समूची अर्थ-व्यवस्था का पता लगेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या आसाम सरकार ने देरनगिरि में कोयला-क्षेत्र का विकास करने के लिये सड़कों के निर्माण के लिये आवश्यक धन दिया है ? यदि नहीं, तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम या केन्द्रीय सरकार इसको बचाने के लिये धन से सहायता करेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मेरी जानकारी यह है कि आसाम सरकार ने इन सड़कों का निर्माण और मजबूत बनाना आरम्भ कर दिया है। ये सड़कें पक्की होंगी एवं इन पर पुल आदि होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये खोज-कार्य से पता लगता है कि उस क्षेत्र में कोयला काफी मात्रा में है ? यदि हां, तो अनुमानित मात्रा कितनी है ?

†**श्री अलगेशन :** आशा है कि २.५ लाख टन के उत्पादन-कार्यक्रम वाली एक खान का खोज-कार्य एक वर्ष में पूरा हो जायेगा । उसके बाद ही परियोजना रिपोर्ट तयार होगी । फिर दूसरी खान का भी कार्य आरम्भ करने का विचार है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या इस क्षेत्र में कोयला निकालने की संभावना के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो कितना स्टाक होने का अनुमान है और कितनी किस्म का कोयला मिलने की आशा है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं इस प्रश्न का आंशिक उत्तर पहिले दे चुका हूं । अभी और कुछ नहीं बताया जा सकता । इस खोज के होने के बाद और परियोजना की रिपोर्ट तैयार होने पर ही हमें निक्षेपों की किस्मों का पता लग सकेगा ।

†**श्री स्वैल :** इस क्षेत्र में होने वाली खोज तथा इसके शोध्य की तैयारियां करने पर क्या गारो पहाड़ी को जिला परिषद् के विचारों का ध्यान रखा गया है या उनसे परामर्श ले लिया गया है ?

†**श्री अलगेशन :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कि गारो पहाड़ी की जिला परिषद् से परामर्श किया गया था या नहीं मेरे पास कोई उत्तर नहीं है ? मूलतः इस क्षेत्र में आसाम सरकार अपने राज्य विद्युत् बोर्ड के द्वारा खोज करना चाहती थी । फिर उन्होंने लिए एन० सी० डी० सी० से यह कार्य करने को कहा । हम इससे सहमत हो गये हैं ।

बाक्साइट पर रायल्टी

†*३३४. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या खान और इंधन मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाक्साइट पर रायल्टी के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ;

(ख) क्या प्रस्तावों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) क्या रायल्टी की दरें सभी राज्यों में एक जैसी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). बाक्साइट पर रायल्टी की वर्तमान विभिन्न दरों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव किया था उस पर अन्य राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के साथ विचार किया । रायल्टी की संशोधित दरें शीघ्र घोषित कर दी जायेंगी ।

(ग) हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या अन्य राज्यों ने भी बाक्साइट तथा अन्य खनिजों के बारे में ऐसे ही प्रस्ताव किये थे ? यदि यह अन्य खनिज हैं, तो इसे अन्य खनिजों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है ?

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न बाक्साइट के बारे में है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : केवल बाक्साइट ।

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास अन्य राज्य सरकारों की सिफारिशें नहीं है, परन्तु उनकी सिफारिशें बाक्साइट के बारे में थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव ठीक किस समय, कितने मास पूर्व किया था और सरकार के पास यह कब से पड़ा है और निश्चय नहीं किया है ?

†**श्री अलगेशन** : अभी मैं यह नहीं बता सकता कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश किस तारीख को की थी । वे चाहते थे कि रायल्टी पांच प्रतिशत से बढ़ा कर साढ़े सात प्रति शत कर दी जाये । फिर, मई, १९६२ में श्रीनगर में खनिज सलहकार बोर्ड की बैठक में इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया । फिर, केन्द्रीय सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच विचारविमर्श हुआ और फिर कुछ निष्कर्ष निकाले गये । अब वे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिये जायेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक औचित्य के प्रश्न पर । आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि प्रस्ताव कब किया गया था । या तो फाइलों में कोई गड़बड़ है और या उनके सचिवालय ने उन्हें ठीक जानकारी नहीं दी है ।

†**श्री अलगेशन** : मैं ने कहा था कि अभी मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं जानकारी देने को तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई आश्चर्यजनक बात औचित्य के प्रश्न का विषय बन सकती है ?

†**श्री जसवन्त मेहता** : उन्हें विभिन्न राज्यों से और मध्य प्रदेश से भी प्रस्ताव मिले हैं । क्या समूचे देश में रायल्टी की समान दर रखने की सरकार की नीति है ?

†**श्री अलगेशन** : हां, यह समान रूप से लागू होगी ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे सभी राज्यों में रायल्टी की समान दर रखेंगे ।

†**श्री अलगेशन** : मैं ने कहा था कि यह समान रूप से लागू होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापकों का पद

+

†*३३५. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया में अध्यापकों के पद का अध्ययन करने के लिये मई, १९६३ के आखिरी हफ्ते में नयी दिल्ली में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अन्य देशों के विशेषज्ञों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्मेलन का आयोजन सरकार ने किया था ; और

(ग) सम्मेलन की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । विशेषज्ञों की इस बैठक का आयोजन अध्यापन वृद्धि के संगठनों के विश्व प्रसन्धान द्वारा किया गया था ।

(ग) अध्यापन वृत्ति के संगठनों के विश्व प्रसन्धान से बैठक का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का क्या विचार है और वह टीचर्स को क्या स्थान या स्टेटस देना चाहती है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने एशिया में एक सर्वेक्षण करना चाहा था और उन्होंने अपनी पहली बैठक देहली में की थी । उनकी सिफारिशें राष्ट्रीय सरकारों को भेजी जायेंगी । उनकी जांच की जायेगी और फिर उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षकों के वास्ते कौन सा स्थान और कौन सा स्टेटस चाहती है ? उस का इस बारे में क्या विचार है और वह क्या देना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने उस कान्फ्रेंस की बाबत पूछा है और उन्होंने बतला दिया कि उस कान्फ्रेंस की रिपोर्ट वर्ल्ड कौनफेडरेशन औफ औरगनाइजशंस औफ दी टीचिंग प्रौफैशन के पास जायगी । इन के पास नहीं आयेगी ।

श्री विभूति मिश्र : इस बारे में हमारी सरकार अपने क्या विचार रखती है और वह क्या रिपोर्ट दे रही है ? आखिर इस बारे में सरकार का भी तो कोई विचार होगा ? मैं अपनी सरकार का विचार जानना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अपनी सरकार के विचार और इस कान्फ्रेंस की रिपोर्ट से क्या सम्बन्ध रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : इस कान्फ्रेंस में हमारी सरकार का कोई प्रतिनिधि गया था, उसने अपनी कुछ राय दी होगी । अब हमारी सरकार दुनिया से बाहर तो नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हमारी सरकार दुनिया के अंदर ही है ।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी बतलायें कि हमारी सरकार का क्या विचार है ? क्या सरकार ने भी कोई राय व्यक्त की है कि वह क्या चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या हमने भी अपनी सरकार की ओर से कुछ विचार पेश किये थे और यदि हां, तो इस विषय पर हमारे क्या विचार थे । इसका उत्तर दिया जाना चाहिये । कम से कम वे यह तो कह ही सकते हैं कि वे इसे नहीं जानते ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : मेरा विचार है कि इस बैठक में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये अपने प्रतिनिधियों में से किसी को भी हमने नहीं भेजा है । जो अशासकीय व्यक्ति वहां पर था उसने इस सम्मेलन में की गई कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में केवल अपना मत व्यक्त किया था, उदाहरणार्थ, वे चाहते थे कि अध्यापकों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति मिल जाये । इस प्रकार की बातों को छोड़ कर हमारे पास अन्य कोई जानकारी नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : ओन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रश्न को मंत्री महोदय से जानना चाहा है उसका जवाब नहीं मिला है । मंत्री महोदय उसका जवाब दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कोई जबरदस्ती किसी के दिमाग से तो निकाल नहीं सकता हूं । वे कह सकते हैं कि हमारे पास जवाब नहीं है ।

†**शिक्षा मत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह विश्व प्रसन्धान एक अशासकीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है और यह सम्मेलन उसके ही तत्वावधान में हुआ था । वहां एक भारतीय प्रतिनिधि भी था परन्तु वह एक गैर-सरकारी हैसियत से था । वहां कोई भी सरकारी प्रतिनिधि नहीं था और अब जब कि यह सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं तो सरकार उन पर उचित विचार करेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस सम्मेलन का उद्घाटन करते समय, अध्यापकों के पद के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री ने दो स्पष्टतया भिन्न बातें कहीं थीं । पहले तो उन्होंने यह कहा था कि अध्यापकों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान केवल स्वयं अध्यापकों के द्वारा ही किया जा सकता है । अपने भाषण के उत्तरार्द्ध में उन्होंने कहा था : यदि कोई देश अपने अध्यापकों की उपेक्षा करता है तो वह ऐसा करके स्वयं अपने को संकट में डालता है । माननीय मंत्री इन दो विचारों में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और क्या यह इस विषय पर माननीय मंत्री के सम्मानित विचारों का एक स्पष्ट संकेत नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** श्रीमन्, मुझे इसका खेद है परन्तु मुझे अपने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर तो मिल जाना चाहिये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य को बिलकुल गलत जानकारी मिली है। मैंने यह तो कभी नहीं कहा था कि अध्यापकों को अपना उत्थान स्वयं ही करना चाहिये। उन्हें समाज और सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है । इसलिये, उनके आर्थिक स्तर को सुधारने का उत्तरदायित्व सरकार का है । मैंने तो यह कहा था कि अध्यापकों की इन न्यायसंगत मांगों से उनका भी कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है । इस मामले के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कदाचित् पूर्ण जनाकारी नहीं है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या सरकार इस सम्मेलन की सिफारिशों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा करेगी अथवा अध्यापकों के स्तर के बढ़ाने के मामले में कुछ करेगी, विशेष रूप से प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों के स्तर को जो कि इस समय लगभग स्थानीय निकायों के अरदलियों के स्तर पर हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सदन को यह ज्ञात है कि अध्यापकों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को सुधारने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि इस समय भारत में औसतन एक प्रशिक्षत मैट्रीकुलेट अध्यापक को १०० रुपये मिल जाते हैं। यह संतोषजनक नहीं है और हम भी, इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिये, उनके स्तर को सुधारने के लिये सरकार आगे भी अपने प्रयत्न जारी रखेगी। हमने राज्य सरकारों को यह बताया है कि अध्यापकों के वेतन में सुधार करने के लिये उन्हें ५० प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार से लेनी चाहिये ।

श्री शिव नारायण: श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कांफ्रेंस में भारत की तरफ से नान-आफिशल मेम्बर कौन था ।

डा० का० ला० श्रीमाली : सब के नाम तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं। अगर माननीय सदस्य नोटिस दें, तो मैं नाम दे सकता हूं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या यह सम्मेलन सरकार द्वारा बुलाया गया था अथवा किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा और यदि यह किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा बुलाया गया था तो सरकार का इसमें क्या सहयोग था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार कोई सहयोग नहीं देती । यह एक गैर-सरकारी संस्था है और उसकी एक शाखा, एक प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली में भी है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** अध्यापकों के वेतन और स्तर को बढ़ाने के लिये किये गये सर्वोत्तम प्रयत्नों के होते हुए भी, बहुत सी राज्य सरकारें वित्त की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना को कार्यरूप देने की स्थिति में नहीं हैं, और यदि ऐसी बात है तो उन राज्यों को जिन्हें कि सहायता की आवश्यकता है अपनी स्थिति को सुधारने और इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या योजना से बाहर भी कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं जानता कि योजना से बाहर भी सहायता किस प्रकार दी जा सकती है । योजना स्वयं भी अपने एक निश्चित ढांचे में चलती है । योजना के अनुसार ही वे केन्द्रीय सरकार से सहायता लेते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली अध्यापक संघ ने यह मांग की है कि अध्यापकों की हालतों की जांच करने के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाये और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम इस सम्मेलन की बात से प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन की बात पर आये हैं और अब वहां से दिल्ली अध्यापक संघ की बात पर जा रहे हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह अध्यापकों की स्थिति को अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्होंने कहा ....

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी को भी एक उत्तर से दूसरे उत्तर पर नहीं जाना चाहिये ; और एक अनुपूरक प्रश्न से दूसरी बात उठती है । फिर हम असली प्रश्न से बहुत दूर चले जाते हैं । यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह जान सकाता हूं कि इन चर्चाओं के दौरान स्टेट्स शब्द का अर्थ केवल धन पर आधारित सामाजिक मूल्यांकन समझा गया था अथवा अभौतिक प्रतिष्ठा, और यदि इसका अर्थ पहला वाला था तो क्या कोई ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में हम स्कूल के अध्यापकों के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी और माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं ।

विस्फोटक और डेटोनेटर्स

\+

†*३३६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोयला खानों के लिये विस्फोटक और विद्युत् डेटोनेटर्स सम्बन्धी स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति कायम करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). विस्फोटकों और डेटोनेशर्स की मांग और पूर्ति सम्बन्धी स्थिति और उनके नौ-भरण कार्यक्रम की जांच करने के लिये कोयला नियंत्रक के कार्यालय में एक विस्फोटक पदार्थ समिति सस्थापित की गई है। समिति की बैठक समय समय पर होती है और वह सरकार को जानकारी देती रहती है। इसलिये कोई प्रतिवेदन पेश करना समिति के लिये आवश्यक नहीं है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या यह सच है कि विस्फोटकों के आयात में भारी कटौती के कारण कोयला खानों के कार्यकरण और उनके उत्पादन को हानि पहुंचती है और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये कौन कौन से कदम सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**श्री अलगेशन**: गत वर्ष किसी समय ऐसी बात थी परन्तु अब स्थिति बहुत संतोषजनक है और हम आयात कर सकते हैं। वितरण व्यवस्था में कुछ दोष था ; वह भी ठीक कर दिया गया है और यह समिति, जो कि कोयला नियंत्रक के अधीन है, इस प्रश्न की जांच कर रही है। अब स्थिति सुखद है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या इन विस्फोटकों का देश में निर्माण करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या वह सरकारी क्षेत्र में लिये जा रहे हैं अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री अलगेशन**: मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री बसुमतारी**: क्या डिटोनेटर्स का स्वदेशी उत्पादन भी होता है और क्या यह उत्पादन देश की इसकी मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री अलगेशन**: जहां तक विद्युत् डेटोनेटर्स का सम्बन्ध है, दिसम्बर, १९६३ के मध्य तक के लिये संभरण पर्याप्त है।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमेटी के लिए जो लोग चुने गए हैं, वे किस क्राइटेरिया से चुने गए हैं और उन महानुभावों के नाम क्या हैं?

†**श्री अलगेशन**: कोयला खानों को और दूसरी खानों को भी विद्युत् परियोजनाओं को भी जहां कि खुदाई होती है इन डेटोनेटर्स की आवश्यकता होती है।

श्री यशपाल सिंह: मेम्बर्ज के नाम और उनको चुनने का क्राइटेरिया?

अध्यक्ष महोदय: क्राइटेरिया उनके पास नहीं है, क्योंकि वे नहीं करते हैं।

श्री यशपाल सिंह: कमेटी के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री अलगेशन: यह समिति कोयला नियंत्रक द्वारा स्थापित की गई है। उप कोयला नियंत्रक, उत्पादन, समिति के संयोजक हैं। कोयला खनन उद्योग की संयुक्त कार्य कारिणी समिति, इंडियन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन डेटोनेटर्स लिमिटेड और माइनिंग मशीनरी एंड एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड का इस समिति में प्रतिनिधित्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिहंड बांध

+
*३३७ { श्री भक्त दर्शन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच रिहंड बांध से प्राप्त बिजली तथा पानी के वितरण, के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकारियों की समिति ने अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ; और

(ख) दोनों राज्य सरकारों में स्थायी समझौता कराने में कहां तक सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्रीलाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). समिति की दो बैठकें हुईं लेकिन अपनी सिफारिशों पर सहमत नहीं हो सकी। अतः जो मध्य क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक १ और २ जुलाई, १९६३ को नैनीताल में हुई, उसमें इस मामले पर पुनः विचार विनिमय किया गया। इस बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच रिहंड बांध से मध्य प्रदेश को बिजली देने के बारे में एक समझौता हुआ। पिछली बैठक में कार्यवाही की प्रतियां, जिसमें परिषद् के निर्णय भी होंगे, अन्तिम रूप देने के बाद यथाशीघ्र संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इन दो महत्वपूर्ण राज्यों की सरकारों के बीच में जो सम्मानपूर्ण समझौता हुआ है, उसके लिए हार्दिक बधाई देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समझौते की स्पष्ट शर्तें क्या हैं, जिन के आधार पर यह निश्चय किया गया है।

†**श्री कपूर सिंह** : श्रीमन्, क्या एक अनुपूरक प्रश्न पूछते समय हार्दिक बधाई दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं दे सकते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने समझा था कि मुझे बधाई का मौका मिल जायगा, लेकिन आप ने इजाजत ही नहीं दी है।

जहां तक शर्तों की बात है, रिहंड डैम से १५ फीसदी बिजली मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगी और माताटीला डैम से एक-तिहाई बिजली उस को मिलेगी। जहां तक उस की कीमत की बात है, उस की जो कास्ट है, उस के ऊपर पांच फीसदी। वही कीमत माताटीला डैम के लिए भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस से पहले कि मैं दूसरा प्रश्न पूछूं, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दी है कि यदि हमारे मंत्री महोदय कोई अच्छा काम करें, तो हम उन को बधाई नहीं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप इन्फार्मेशन, इत्तिला, पूछ सकते हैं। बधाई देने के और भी कई अवसर मिलते हैं।

श्री भक्त दर्शन : बहुत अच्छा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो समझौता हुआ है, क्या वह समझौते की तारीख से लागू कर दिया गया है, या कोई और तारीख निश्चित की गई है। उस समझौते के पालन के लिए क्या दोनों राज्य सरकारों पर कोई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, या वे लाभ ही लाभ उठा सकेंगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: जहां तक तारीख वगैरह की बात है, वह तो उन की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। जैसे भी सहूलियत से, कितनी जल्दी, वे उस को लागू कर सकें, करें। इस बारे में दोनों राज्य सरकारों में आपस में कोई शको-शुबहा नहीं है कि कोई उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करेगी उम्मीद है कि इस में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी।

श्री दाजी : सेटलमेंट हो गया है। अब ये झगड़ा पैदा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां तो झगड़ा न कीजिए।

श्री स० मो० बनर्जी: माननीय मत्री जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में संतोषजनक फैसला हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इस वक्त ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि दोनों सरकारों के मुख्य मत्री इस्तीफा दे चुके हैं, इस समझौते को लागू कौन करवायेगा—केन्द्रीय करवायेगा या कोई और करवायेगा।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सरकार तो बावजूद इस्तीफा देने के जिन्दा है और जिन्दा रहेगी। सरकार नहीं मरती है।

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह : आपने अभी बताया है कि माताटीला डैम और रिहांद के बारे में कि १५ परसेंट टोटल पावर का प्लस ५ परसेंट वे प्राफिट देंगे और माताटीला से ३३ परसेंट पावर और ५ परसेंट प्राफिट देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने क्या यह शर्त रखी है कि उसी हालत पर वह देने को तैयार होंगे जब कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अपने इलाके से रेलवे लाइन माताटीला तक ले जाने के लिए हुक्म दे और मध्य प्रदेश में जो सिंगरेनी कोलफील्डज हैं या जो दूसरे कोलफील्डज हैं, उन से कोल दे ? ये जो शर्तें हैं क्या ये उनको मंजूर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब सवाल इतना लम्बा है तो जवाब कितना लम्बा चाहिये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसका जवाब मैं बहुत संक्षेप में देता हूं। बिला किसी शर्त के और बिला उन शर्तों के जो माननीय सदस्य ने बताई हैं, यह समझौता हुआ है।

श्री रा० स० तिवारी : माताटीला से अभी एक तिहाई बिजली देने के बारे में समझौता हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उस में पानी भी कुछ मध्य प्रदेश की सरकार को देना तय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक बिजली की बात है वह मैंने आपको बताई है। लेकिन पानी और बिजली दोनों की बात भी मध्य प्रदेश और रिहंड डैम और माताटीला से हो सकती है। लेकिन जितनी बात हुई है, बिजली के सम्बन्ध में हुई है।

महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में प्राकृतिक संसाधन

†*३३८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाद्वीपीय मग्नतट भूमि (कांटिनेन्टल शेल्फ) में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की संभावना का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार का काम किया गया है, और क्या संभावना है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कैम्बे की खाड़ी में महाद्वीपीय मग्नतट भूमि (कांटिनेन्टल शेल्फ) में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिये भू-भौतिकीय सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिये हैं।

(ख) भूकम्पीय सर्वेक्षण इस वर्ष प्रारम्भ हो गये हैं। यह पता लगाने के लिये कि इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा अभी तक पर्याप्त सामग्री एकत्रित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस क्षेत्र में विदेशों में जो भारी प्रगति हुई है क्या सरकार इस से अवगत है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं जिन्होंने कि महाद्वीपीय मग्नतट भूमि से संसाधनों को खोज निकालने के क्षेत्र में प्रगति की है ?

†**श्री अलगेशन** : अभी तक हम सर्वेक्षण कर रहे हैं और यदि यह सर्वेक्षण उत्साहवर्द्धक रहे तो हमें खुदाई-छिद्रण का कार्य आरम्भ करना होगा। समुद्र में किनारे से थोड़ी दूर के स्थानों पर छिद्रण करने के कार्य में हमें अनुभव नहीं है। इसलिये हो सकता है कि हमें उस समय विदेशी सहायता लेनी पड़े।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में, तेल और प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त किन विभिन्न संसाधनों को खोज निकालने का विचार है और क्या इन संसाधनों को खोज निकालने के लिये कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है अथवा शीघ्र ही तैयार किया जाना है ?

†**श्री अलगेशन** : हम अभी तक अपने को तेल तथा प्राकृतिक गैस तक ही सीमित रख रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : श्रीमन्, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में अन्य संसाधनों को खोज निकालने के लिये कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि वह अपने को अभी इन्हीं तक ही सीमित रख रहे हैं। यह उन्होंने बताया था।

पेकिंग समर्थक साम्यवादी

†*३३९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम राज :
श्री कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा ३० मई को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पेकिंग समर्थक साम्यवादियां की कार्यवाहियों जारी हैं ; **और**

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा ३० मई, १९६३ को संवाददाताओं को दी गई सूचना के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार भारत सरकार ने देखा है।

(ख) सरकार कड़ी निगरानी रखती है और आवश्यकता होने पर उचित कार्यवाही की जाती है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : सामरिक महत्व के एक सीमावर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये खरे वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार ने इन साम्यवादियों की कार्यवाहियों और उनकी कार्यवाही की कूट रचना से अपने को अवगत कर लिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी, हां। साम्यवादियों के इस दल की कार्यवाहियों के साथ संपर्क रखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और, जैसा कि मेरे सहयोगी द्वारा अभी पढ़े गये उत्तर में कहा गया था, जब भी कभी आवश्यक होगा तभी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि गुप्त रूप से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं और जेलों में नजरबन्द नेताओं की कोटि को मिलाने वाले संगठनों का एक जाल बिछ गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वे अपने आपको मजबूत बनाने के लिये और अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिये अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, परन्तु मुझे आशा है कि श्री चक्रवर्ती उन्हें उससे अधिक महत्व नहीं देंगे जितना कि उन्हें दिया जाना चाहिये ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सच है कि चीनी संगठन के समर्थक जो कम्युनिस्ट हैं उनमें से कुछ के पास बेतार के तार यानी ट्रांसमिटर सैट भी पाए गए हैं, यदि, हां तो कितने और कहां पाए गये हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इन साम्यवादियों द्वारा जो पेकिंग समर्थक कार्यवाहियां की गई बताई जाती हैं उनका क्या स्वरूप है ; क्या कुछ अभियोजन भी किये गये हैं और उन अभियोजनों का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उनकी आम कार्यवाही ऐसा प्रचार करना और ऐसे विचारों को फैलाना-सिखाना है जो कि किसी ढंग में चीनियों अथवा उनकी विचारधारा के सहायक हैं। जहां तक उन पर की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ को नजरबन्द कर लिया गया है और वे अभी नजरबन्द ही हैं।

श्री कछवाय : पेकिंग समर्थक लोगों में ऐसे कितने हैं जो चीनी भाषा जानते हैं और यहां से उसके समाचार पहुंचाते हैं...

श्री हरि विष्णु कामत : भाषा जानना कोई गुनाह नहीं है।

श्री कछवाय : क्या हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनकी भाषा को समझ कर, उसकी सूचना सरकार को मिले।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कितने उन में चीनी भाषा जानते हैं यह अगर आप अपने पड़ोसियों से भी पूछना चाहें तो वे भी नहीं जान सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : क्या यह सच है कि सरकार को यह बात ज्ञात है कि भारत के सभी साम्यवादी लोग साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद के संकल्प से सहमत हैं और साम्यवादी दल के अन्दर पेकिंग-समर्थक गुट जैसी कोई चीज नहीं है ? क्या साम्यवाद दल की केन्द्रीय समिति ने इस बात से मना किया है कि..... **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आप अब बहुत पहले की बातें कर रहे हैं।

†**श्री नम्बियार** : हम यह इसलिये जानना चाहते हैं क्योंकि यह बात दल के विरुद्ध एक दोषारोपण है, अर्थात्, उनका यह कहना कि दल का एक भाग.....
(अन्तर्बाधायें)

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह दल के विरुद्ध एक आरोप नहीं है। यह एक कटाक्ष है... **(अन्तर्बाधा)**। हम ने दल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह बहुत चाहता हूं कि श्री नम्बियार ने जो कहा है वह सही होता ; परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। भारत के साम्यवादी दल द्वारा अपनाई गई अधिकृत नीति के होते हुए भी, कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं अथवा मैं कहूंगा कि कामरेड हैं जो

---

†मूल अंग्रेजी में

कि अधिकृत संकल्प के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। वे उसके साथ सहमत नहीं हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या वे संख्या में बहुत हैं? (**अन्तर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ सिंह ।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रो-पैकिंग कम्युनिस्ट जो हैं, उनकी बंगाल में तादाद कितनी है और उनकी पालिसी ईस्ट पाकिस्तान के प्रति क्या है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उनकी तादाद को बता कर मैं माननीय सदस्य को डराना नहीं चाहता हूं। तादाद की बात मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, क्या संख्या है, यह बतलाना भी नहीं चाहता हूं। जहां तक ईस्ट पाकिस्तान के सम्बन्ध की बात है, जो पाकिस्तान के सम्बन्ध में साधारणतः नीति है, वही नीति उनकी भी है।

†**श्री न० रं० घोष** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि दार्जिलिंग और जलपैगुरी के सीमावर्ती जिलों में, चाय बागानों में, इस भरे पूरे मौसम में वहां हड़तालों को भड़काने का और दुर्भावना पैदा करने का एक दूसरा प्रयत्न साम्यवादियों द्वारा किया जा रहा है और यदि वे उस में सफल होते हैं तो क्या इससे देश की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उनको जवाब देने से रोक दूं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे यह ज्ञात नहीं है कि इस समय चाय बागानों में हड़ताल की भी कोई धमकी है। यदि यह है भी, अथवा उस आधार पर विकसित होने वाली कोई बात है, तो पश्चिम बंगाल सरकार स्वाभाविक ही आवश्यक कार्यवाही करेगी। यह सच है कि दार्जिलिंग में उन की कार्यवाहियां पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गहन हैं।

†**श्री मेनन** : सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेष रूप से दार्जिलिंग जिले में, भारत के साम्यवादी दल की कथित पेकिंग-समर्थक कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुये इस प्रचार का विरोध करने के लिये अथवा वहां अधिक मूर्ख लोगों के एक भाग के लोगों की बुद्धियों को धोखे से मुक्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सरकार, वास्तव में, जो कुछ भी उस के कर्तव्य हैं उन्हें निभायेगी। परन्तु इस मामले में यदि मुझे कहने की अनुमति है तो मैं कहूंगा, कि गैर-अधिकारी व्यक्तियों के लिये तथा अन्य राजनीतिक दलों के लिये यह अधिक महत्वपूर्ण बात है कि वे इस प्रकार के कार्यों के विरुद्ध लड़ें।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, एक संवाददाता सम्मेलन में उस स्थिति के सम्बन्ध में लोगों को बातें बताने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के साथ अपना सम्पर्क रखते रहे हैं और इस स्थिति का सामान्य सामना करने में उन्होंने केन्द्रीय सरकार का सहयोग लिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पश्चिम बंगाल और उसके मुख्य मंत्री इस स्थिति का सामना करने के लिये काफी समर्थ हैं। उन्हें हमारी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इस देश के कम्यूनिस्ट वर्तमान सरकार का समर्थन कर रहे हैं वे ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं और अन्दर से वे पीकिंग के समर्थक हैं? क्या सरकार के पास कोई पहचान है कि यह भारत के समर्थक हैं और यह पीकिंग के ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: जो भीतर हृदय की बात है वह तो सन्यासी ही जान सकते हैं।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि उन कम्यूनिस्टों में जो कि पीकिंग के पक्ष के नहीं है लेकिन सरकार विरोधी हैं और दूसरे कम्यूनिस्टों में जो कि पीकिंग के पक्ष के हैं सरकार कोई भेद करती है ?

श्री लाल बहादुरशास्त्री : सरकार विरोधी तो श्री यादव भी हैं, इसलिये यदि साम्यवादी सरकार के विरोधी हैं तो हमइस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं? हां पीकिंग के सम्बन्ध में कोई बात हो तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि बंगाल के सीमावर्ती क्षे त्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश. राजस्थान और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कुछ इस प्रकार का पता लगा है कि उन में पीकिंग के समर्थक साम्यवादी रहते हैं? क्या उन के पास किसी प्रकाशन सामग्री अथवा शस्त्रास्त्र होने की सूचना भी सरकार को मिली है ?

श्री लाल बाहादुर शास्त्री : जैसा मैं ने कहा माननीय सदस्य इस दल को जरूरत से ज्यादा अहमियत और महत्व दे रहे हैं। जैसा मैं ने कहा, बंगाल या उसके आसपास ज्यादातर इस विचार के लोग हैं। कुछ थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं। मगर गवर्नमेंट का काम यह नहीं है कि हर वक्त जबर्दस्त तरीके से उस के पीछे लगी रहे । यह बात ठीक है कि हमें पता रखना चाहिये और जैसी जरूरत हो उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री द्वारा विधान सभा में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि श्री डांगे को पेकिंग से २ लाख ५८ हजार रुपये की धन राशि प्राप्ति हुई थी....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह प्रश्न यहां संगत नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उस बात पर आ जाऊंगा । मैं उसे उस से सम्बन्धित बना दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये मेरे पास पृथक सूचना है। अब वे अपने को वर्तमान प्रश्न तक ही सीमित रखें ।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि मैं इसे उस प्रश्न से सम्बन्धित बनाने में असमर्थ रहूं तब आप इसकी अनूमति न दें । यह मेरा नम्र निवेदन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां पर संगत नहीं है । उसके लिये मेरे पास पृथक सूचना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : यदि ऐसा है तो क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि इस विशाल धन राशि का कितने प्रतिशत भाग इस देश में पेकिंग-समर्थक साम्यवादियों के कार्य अथवा कार्यवाहियों में व्यय हुआ ? यह एक दम संगत है। इसको उसके साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह एक बिलकुल ही अलग प्रश्न है। मैं यह चाहूंगा कि इसके लिये एक नवीन सूचना दी जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या माननीय गृह-मंत्री का ध्यान कुछ समाचारपत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है — और क्या उन समाचारों की उनके अपने साधनों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा सम्पुष्टि कर ली गई है — कि भारत के साम्यवादी दल की पश्चिम बंगाल यूनिट पर—यदि वह संख्या नहीं बताना चाहते तो हम उसे नहीं जानना चाहते — पेकिंग समर्थक साम्यवादियों का प्रभुत्व है और चीन अब भी भारत में अपने सैद्धांतिक तथा आक्रमणात्मक आचरण के लिये पश्चिम बंगाल को अड्डा बनाने की अपनी योजना में जम कर लगा हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समय तक सभी सम्भाव्य श्रंखलाओं, जैसे कि कलकत्ता, कलिमपोंग तथा अन्य स्थानों में सैकड़ों छद्मपूर्ण चीनी दूकानों और व्यापारिक संस्थानों, को नष्ट करने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह नहीं समझता कि जो चीन-समर्थक नीति में विश्वास करते हैं उनका मार्गदर्शन चीन द्वारा किया जा रहा है। मेरी यह राय है। हो सकता है कि मेरी बात पूर्णतः ठीक न हो। मैं अनुभव करता कि वे अपने ही विचार रखते हैं । जहां तक उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा चीन से किसी प्रकार का पथ प्रदर्शन कराने अथवा सहायता लेने का सम्बन्ध है, तो मैं कहूंगा कि वे ऐसे लोग नहीं हैं जो भारत के विरुद्ध हैं अथवा किसी भी प्रकार की भारत विरोधी कार्यवाही में किसी भी प्रकार से भाग ले रहे हैं। जहां तक उन चीनियों का सम्बन्ध है जिनके विरुद्ध हमें कुछ सन्देह थे तो हम ने उन्हें नजरबन्द कर लिया और उन में से कुछ तो अब भी नजरबन्द हैं । इसलिये, जो लोग बाहर हैं वे सरकार के दृष्टिकोण से बिलकुल भी हानिप्रदायक लोग नहीं हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या कलकत्ता, कलिपोंग तथा पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों में सैकड़ों छद्मपूर्ण चीनी व्यापारिक संस्थान और दूकानें अब भी चल रही हैं अथवा वे बन्द करा दी गई हैं। विशेष रूप से वे जो कि कलकत्ता तथा कलिमपोंग में हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन में से कुछ. अथवा कदाचित उनमें से अधिकांश विशेषरूप से वे जो कि आसाम में थी, अब बन्द हीं गई हैं और बंगाल में भी उन में बहुत सी बन्द हो गई हैं।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : हम पेकिंग-समर्थक वर्ग तथा रूस-समर्थक वर्ग की बातें सुनते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि क्या भारत के साम्यवादी दल में वास्तव में एक भारत-समर्थक वर्ग भी है, और यदि हां, तो उनकी प्रतिशत संख्या कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती विमला देवी** : हमारी राष्ट्रीय परिषद् के संकल्प को देखिये । (**अंतर्बाधायें**) ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री दाजी** : मैं उत्तर दे सकता हूं । भारत-समर्थक वर्ग के हम लोग हैं जोकि यहां पर बैठे हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : यदि ऐसा है तो प्रतिशत संख्या कितनी है ? क्या सरकार ने प्रतिशत संख्या का अनुमान लगाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य श्री दाजी ने उत्तर क्यों दिया जबकि मैंने प्रश्न ही की अनुमति बिलकुल नहीं दी थी ?

†**श्री दाजी** : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि हम किसी एक पक्षीय वक्तव्य को समाचारपत्रों में जाने देना नहीं चाहते ? हम इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि कोई एक पक्षीय वक्तव्य उसे चुनौती दिये गये बिना ही समाचारपत्रों में प्रकाशित हो जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब प्रश्न की ही अनुमति नहीं दी गई है तो उत्तर देने की आवश्यकता ही कहां रह जाती है ?

†**श्री दाजी** : सही स्थिति तो बताई ही जानी है । अन्यथा जो एक बात कही गई है वह गलत है और उसे लोक-सभा वाद-विवाद से निकालना होगा । मैं किसी एक पक्षीय समाचार को समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होने दे सकता । इसीलिये, मैंने वह उत्तर दिया है । प्रश्न के रूप में किन्हीं कटाक्षों को करनें की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिये, तो मैंने उसकी अनुमति नहीं दी थी । अतएव सदस्यों को उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : उन्होंने उत्तर क्यों दिया ? क्या वह मंत्रि-पीठ में बैठे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

दिल्ली के लिए दूसरा विश्वविद्यालय

*३४१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) विश्वविद्यालय का भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा; और

(ग) अनुमानतः इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर कितना धन व्यय होगा तथा क्या उसमें किसी विदेशी सरकार से भी सहयोग मिलने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)** : (क) इस समस्या का अध्ययन करने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियत समिति की बैठक २० अगस्त, १९६३ को हुई थी । इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय बनाने की योजना केवल इस दृष्टि से है कि वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक है अथवा कुछ और विषय इस प्रकार के हैं जिनको इस दूसरे विश्वविद्यालय के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : एकेडेमिक कौंसिल इन सब बातों पर विचार कर रही है। इन पर २० अगस्त, १९६३ की बैठक में विचार किया गया था। सितम्बर में उनकी दूसरी बैठक होगी जिसमें वे इन बातों पर और आगे विचार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या दूसरे विश्वविद्यालय की आवश्यकता इसलिये हुई कि एक विश्वविद्यालय में इतने अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती है अथवा क्या इस निर्णय की पृष्ठभूमि में और भी कारण हैं। मेरे विचार में प्रश्न यही था।

†**श्री मं० रं० कृष्ण**: विद्यार्थियों की संख्या अधिक है यह भी एक कारण है। इसीलिये एकेडेमिक कौंसिल ने यह निर्णय किया था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पिछले संसद् के अधिवेशन में शिक्षा मन्त्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि यह प्रश्न विचाराधीन है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इसमें कुछ देर हो गई है। इसका कारण यह है कि फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से दिल्ली में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार था। इसी बीच संकट स्थिति उत्पन्न हो गई; इसलिये देर हो गई। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है अतः दूसरे विश्वविद्यालय की आवश्यकता हुई।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार को यह मालूम है कि लगभग ३००० विद्यार्थी दिल्ली से गाजियाबाद पढ़ने के लिये जाते हैं ? इस आवश्यकता को देखते हुये, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को यहां एक यूनिवर्सिटी खोलने में क्या आफत है ? लगभग ३००० विद्यार्थी रोज गाजियाबाद जाते हैं और इसकी यहां पर इतनी मांग है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या आपकी इच्छा है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसका उत्तर है तो अवश्य दीजिये।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पर्याप्त निधि और टैक्नीकल व्यक्तियों को आवश्यकता है। एकेडेमिक कौंसिल इन सब बातों पर विचार कर रही है। सितम्बर में होने वाली दूसरी बैठक में वे दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में निर्णय करेंगे।

†**श्री रंगा** : अतिरिक्त विश्वविद्यालय की दिल्ली में क्या आवश्यकता है। यहां पहले ही एक विश्वविद्यालय है। नये विश्वविद्यालय का क्या कार्य होगा ? क्या यह कालेज मात्र होगा अन्यथा इससे खर्च में वृद्धि होगी।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)**: गत वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक विश्वविद्यालय में सीमित संख्या में ही विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या

---

†मूल अंग्रेजी में

२०,७७४ है; इनमें से १४,००० दिल्ली के कालेजों में हैं और ७,००० नई दिल्ली के कालिजों में हैं। यह आंकड़े सन् १९६१ के हैं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी।

सरकार के सामने यह प्रश्न है। काफी विद्यार्थी दिल्ली के बाहर पढ़ने जाते हैं यह स्थिति असन्तोषजनक है। जब भी सम्भव हुआ हमें दिल्ली में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिये।

फिर विद्यार्थियों को ४५–५० मील तक जाना पड़ता है। उन्हें नई दिल्ली में अपने घरों से विश्वविद्यालय आने और जाने में दो घंटे लगाने पड़ते हैं। यदि नई दिल्ली में विश्वविद्यालय हुआ तो उनका इतना समय नहीं लगेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

†**श्री पान सिंह पु० पटेल** : क्या इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार उस सर्कुलर में शिथिलता बरतेगी जिसे सब राज्यों में भेजते हुए कहा गया है कि नये विश्वविद्यालय नहीं खोले जायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली मीटिंग में इस विषय पर विचार किया गया था। फिलहाल नये विश्वविद्यालय खोलने का कार्यक्रम स्थगित करने का सुझाव दिया गया था किन्तु मेरी सम्मति में ऐसा अधिक समय तक सम्भव नहीं है। इस देश में उच्चतर शिक्षा का विकास अनिवार्य है और सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति करेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या माननीय मन्त्री का अभिप्राय यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालयों को नई दिल्ली स्थित कालेजों से संबद्ध होने का अधिकार नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ऐसा कोई सुझाव नहीं है। वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित कालेज सम्बद्ध हैं। किन्तु नई दिल्ली विश्वविद्यालय का भावी ढांचा एक विस्तृत विषय है जिस पर विभिन्न एकेडेमिक कौंसिलों में चर्चा की जायेगी। किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि नई दिल्ली में एक नये विश्वविद्यालय की आवश्यकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रमापीकृत पाठ्य-पुस्तकें

†*३४०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक स्कूलों के लिये प्रमापीकृत पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिये अभी हाल में कोई नये कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों को प्राथमिकता दी गयी है ; और

(ग) क्या विभन्न राज्यों की भाषाओं में नयी पाठ्य-पुस्तकें साथ-साथ प्रकाशित की जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां।

(ख) फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायलाजी, हिस्ट्री, ज्योग्रफी, गणित तथा हिन्दी।

(ग) हिन्दी के अतिरिक्त अन्य विषयों की पाठ्य-पुस्तकें पहले अंग्रेजी में बनाई जायेंगी बाद में उनका हिन्दी में अनुवाद किया जायेगा तथा राज्य सरकारों को प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिये, यदि वह उन पुस्तकों को अपने यहां लागू करना चाहें, तो दे दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्रशासन द्वारा ली गई जमीन का मुआवजा

†*३४२. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान ७ जून, १९६३ के "इण्डियन एक्सप्रस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वृहत् योजना (मास्टर प्लान) के लिये दिल्ली प्रशासन ने जो जमीन ली है उसके मुआवजे के दावों के सम्बन्ध में अनेक फर्जी दावेदारों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वयं को अन्य व्यक्ति बनाने के लिये कितने ऐसे मामलों का पता लगा है और उनमें कुल कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). सरकार को ७६,९७३ रुपये ५७ नये पैसे मूल्य के फर्जी दावेदारों के दस मामलों का पता लगा है। यह मामले पुलिस में दर्ज करा दिए गए हैं तथा उनकी जांच हो रही है।

अवकाश-प्राप्त सरकारी अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी

†*३४३. **श्री व० बा० गांधी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० के० देव :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे कितने अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में वाणिज्यिक फर्मों में नौकरी करने के लिये गृह-कार्य मन्त्रालय से अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं भी दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	भारतीय सैनिक सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय चिकित्सा सेवा	भारतीय इंजीनियरिंग सेवा	जोड़
१९६० . .	५	८	२	४	—	—	१९
१९६१ . .	५	८	१	३	१	१	१९
१९६२ . .	३	४	१	७	—	—	१५

(ख) और (ग). दो मामलों में अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि सम्बन्धित अफसर सरकारी रूप से उन फर्मों से सम्बन्धित होते हैं जिनमें वह रोजगार पाना चाहते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी

†*३४४. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी की अंश पूंजी में केन्द्र तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के हिस्सों के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) अब भारत सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि केन्द्र तथा राज्य के बीच कम्पनी की अंशपूंजी का अनुपात ४० : ६० का ही रहना चाहिये । कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम के कारण जो भी योजना में सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी की प्राधीयकृत पूंजी ४ करोड़ रुपये से ९ करोड़ रुपये कर दी गई है । केन्द्रीय सरकार ने १९६४–६५ तथा १९६५–६६ वर्षों में राज्य सरकार को ३ करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार कर लिया है जिस से वह अतिरिक्त अंशपूंजी का प्रपत्र अंश दे सके ।

अहमदाबाद के पास नया तेल-स्थल

†*३४५. **श्री विश्वनाथ दाय** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अहमदाबाद के पास किसी नये स्थान पर तेल का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) अहमदाबाद नगर से लगभग १५ मील दूर नवगाम गांव के निकट बरजा कुंआ संख्या १ में जुलाई, १९६३ को तेल मिला था ।

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा

*३४६. श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा के लिये शिक्षा कार्यक्रम तथा पाठ-चर्या तैयार की है ।

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यचर्चा के अनुसार परीक्षायें करने की योजना कब कार्यान्वित की जायेंगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—१५८३/६३ ।]

हिन्दी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई

*३४७. श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवतझा आजाद :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री प्र० के० देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० बी० नायक :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई की कोई योजना बनाई है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये कुछ विश्वविद्यालयों में विशेष विभाग खोलने का विचार है; और

(ग) योजना की रूप रेखा क्या है तथा वह कब से लागू की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी के माध्यम से विज्ञान पढ़ाने जैसी कोई योजना भारत सरकार ने नहीं बनाई है । लेकिन सरकार ने हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य के निर्माणके लिये एक कार्यक्रम शरू किया है, ताकि उनका साहित्य, विशेषतया विज्ञान और टेक्नालाजी के क्षेत्र में समृद्ध हो सके और अंग्रेजी से हिन्दीतथा प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षण के माध्यम के परिवर्तन में भी सुविधा हो सके ।

(ख) इस समय, हिन्दी में साहित्य निर्माण के लियें कुछ विश्वविद्यालयों में विशेंष विभाग खोले जा रहे हैं ।

(ग) योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि चुने हुए विश्वविद्यालयों में पुस्तक निर्माण के विभाग स्थापित कियें जायेंगे, जहां पर स्नातक और उत्तर-स्नातक स्तर के उपयोग के लिये मूल पुस्तकें लिखने और अंग्रेजी कीप्रामाणिक पुस्तकों के अनुवाद के लिये पूर्णकालिक स्टाफ रखा जायेगा । इसका सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी । इसकी एक अनिवार्य शर्त यह होगी कि पुस्तकें भारत सरकार की भाषा-नीति के अनुसार तैयार की जायेगी और इन में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदित शब्दावली का ही प्रयोग किया जाएगा ।

दिल्ली और बनारस विश्वविद्यालयों में ऐसे विभाग स्थापित किये जा चुके हैं । अन्य दो या तीन विश्वविद्यालयों में ऐसे ही विभाग स्थापित करने के लिये बात चीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर

†*३४८. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेव नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० का० देव :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी हाल की यूरोप यात्रा के दौरान विदेशों में विज्ञान तथा इंजीनियरी के भारतीय विद्यार्थियों में अपना अध्ययन समाप्त होने पर भारत लौटने की बजाय विदेशों में रोजगार पाने की निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति की समस्या का अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं और वह वैज्ञानिकों तथा टक्नीशियनों के प्रव्रजन की इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). यूरोप का दौरा और उद्देश्य से किया गया था परन्तु मैंने उसका लाभ उठाया और अमरीका जाने वाले यूरोपीय वैज्ञानिकों के प्रश्न पर विचार किया। १२ जून को एक प्रैस सम्मेलन में ये प्रश्न उठाये गये थे और मैंने उन्हें बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों के प्रव्रजन की समस्या गंभीर नहीं है। मैं ने उन कार्य-वाहियों का भी जिक्र किया जो हम वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाने के लिये कर रहे हैं।

बरौनी तेल शोधक करखाना

†*३४९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री दे० जी० नायक :

क्या खान और ईंधन मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नूनमाटी-बरौनी पाइप लाइन को चालू करने के लिये तेल शोधक कारखाने के प्रथम चरण के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) बेकार रहने की हालत में इस पाइप लाइन का कितना अवक्षयण होता है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१५८४/६३ ।]

(ख) फरवरी, अप्रैल, १९६४

(ग) पाइपलाइन का सभी काम पूरा हो जाने पर पूरी होने की रिपोर्ट मिलने पर इसका निर्धारण किया जा सकता है ।

खेलकूद जांच समिति का प्रतिवेदन

*३५०. श्री भक्त दर्शन :
श्री प० कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री २७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल कूद तथा रोम ओलम्पिक में भारत द्वारा भाग लिये जाने के बारे में नियुक्त जांच समिति ने क्या प्रगति की है;

(ख) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) आगामी विश्व ओलम्पिक में भारत गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर सके, इसके लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) समिति अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हालांकि यह विषय मूल रूप से भारतीय ओलम्पिक संस्था और राष्ट्रीय खेल संघ से संबंधित है, फिर भी प्रशिक्षण और अभ्यास के लिये, इन संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर समुचित विचार किया जाएगा ।

अनुसंधान के लिए समुद्र पर्यटन

†*३५१. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गत महीनों से एक अमरीकी अनुसन्धान जलपोत हिन्द महासागर में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से अनुसन्धान के लिये समुद्र पर्यटन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र पर्यटन करने वाले दल ने क्या अध्ययन किये हैं तथा दल में कौन कौन लोग हैं; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं तथा क्या इस समुद्र पर्यटन में किन्हीं भारतीय वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां। मार्च, १९६३ से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —१५८५/६३] ।

चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

†*३५२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुधिया :
श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के पदों से पदोन्नति के अभ्यंश (कोटा) में १२½ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये रक्षित रखे जायें;

(ख) क्या यह रक्षण (रिजर्वेशन) वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों पर लागू होगा; और

(ग) क्या राज्यों ने भी राज्य सेवाओं में पदोन्नति के लिये स्थान रक्षित रखना शुरू कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). प्रश्न की जांच हो रही है तथा अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अपराध

*३५३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बड़े :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपराधों को बढ़ने से रोकने के सम्बन्ध में कोई और विशेष निर्णय किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि अब भी अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने का यत्न किया है कि इसमें पुलिस के ही कुछ कर्मचारियों का तो हाथ नहीं है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जैसा कि मैं सदन में पहले बता चुका हूं, दिल्ली में अपराधों को बढ़ने से रोकने के लिये कुछ निर्णय लिये गये हैं और उन पर अमल किया जा रहा है ।

(ख) पिछले साल की तुलना में जघन्य अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई और अन्य अपराध थोड़े ही बढ़े हैं ।

(ग) यह कहना ठीक नहीं कि अपराधों की वृद्धि में पुलिस का हाथ है लेकिन कुछ पुलिसवालों की व्यक्तिगत गलतियों के मामले जो सामने आये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

तेल की खोज

†*३५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सेझियान :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्री ने एरणाकुलम में १० जून, १९६३ को घोषणा की थी कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कोचीन क्षत्र, कावेरी बेसिन तथा अन्दमान में विदेशी तेल फ़र्मों के साथ मिल कर तेल की खोज की जाने का समर्थन करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसकी संक्षिप्त योजना क्या है ; और

(ग) क्या यह सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). इस संबंध में समाचार पत्रों में समाचार छप चुके हैं। समय समय पर तेल की खोज के बारे में सरकार की नीति के अनुसार सरकार चुने हुए क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये विदेशी तेल खोजने वालों को आमंत्रित कर सकती है परन्तु शर्तें दोनों को स्वीकार होगीं तथा समझौता औद्योगिक नीति संकल्प तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों के अनुसार होना चाहिये।

नवगांव में छिद्रण कार्य

†*३५५५. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरा जिले के नवगांव छिद्रण स्थान पर छिद्रण कार्य करते समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के एक नये स्थान का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संभावनायें हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां। इतने शीघ्र इसकी संभावनाओं का नहीं लग सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काटमांडू घाटी

†*३५६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमांडू घाटी के मूर्तिकला तथा प्रतिमा विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण में सहायता करने के भारत सरकार के प्रस्ताव पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सहायता की शर्तें इस बीच तय कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो शर्तें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)।** (क) नेपाल सरकार ने इसको पसंद किया क्योंकि नेपाल सरकार के परामर्श से ही भारतीय दल ने मूर्ति कला तथा प्रतिमा विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण किया था।

(ख) और (ग). नेपाल सरकार में पुरातत्वीय तथा सांस्कृतिक निदेशालय के सहयोग से नेपाल में प्रतिमा विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों ने किया था।

क्षेत्रीय टिप्पण नेपाल में सर्वेक्षण दल द्वारा लिये गये थे परन्तु उनको अन्तिम रुप भारत में दिया जाना चाहिये था। क्योंकि वहां पर तुलनात्मक सामग्री और अन्य प्रविधायें शीघ्रता से उपलब्ध हैं। अन्तिम कार्य होने के बाद प्रतिवेदन की प्रति फोटो समेत नेपाल सरकार को भेजी जानी है।

सीमा क्षेत्रों के बच्चों के लिए संस्था

*३५७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६३ के तारांकित **प्रश्न संख्या** ११२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों के लिये दिल्ली में एक संस्था स्थापित करने के प्रश्न के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) उस संस्था में पाठ्यक्रम निर्धारित करने, विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने तथा उनके निवास की व्यवस्था करने और अन्य संबंधित समस्याओं के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) संस्थान की स्थापना संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने संस्थापन में आरंभ करने के लिये पाठ्यक्रमों का एक विस्तृत पाठ्य-विवरण तैयार किया है। अन्य समस्याओं पर अभी विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी

†*३५८. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों की हाल की बैठक में उन्होंने बताया था कि केन्द्र सरकार केन्द्र तथा राज्यों के अधिकारियों के बीच 'आवर्तन सिद्धांत' लागू कर रही है जिससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अपने राज्यों को होड़ कर केन्द्र में आने की प्रवृत्ति खत्म हो जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस 'आवर्त्तन सिद्धांत' योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अब तक यह सिद्धांत किन राज्यों में लागू किया गया तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). भारतीय असैनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आवर्तन के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी ।

राज्यों से अधिकारी (१) अंडर सेक्रेटरी, (२) डिप्टी सेक्रेटरी, तथा (३) ज्वांइट सक्रेटरी तथा ऊपर के पदों लिये मंगाये जाते हैं । उनकी अवधि तीन, चार तथा पांच वर्ष क्रमशः होती है । यह पद्धति कई वर्षों से अपना ली गई है क्या इसको संतोषजनक पाया गया है । जनवरी, १९६० से जुलाई, १९६३ के अन्त तक की अवधि में भारतीय असैनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में १६७ अधिकारी उनके राज्यों को केन्द्र से लौटा दिये गये हैं ।

तेल सम्बन्धी पुस्तक

†*३५९. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व खान और इंधन मंत्री ने तेल संबंधी पुस्तक लिखने की सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) क्या इसके लिए सरकार को उन्हें फाइलें अथवा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करनी होंगी ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) भूत पूर्व खान और इंधन मंत्री श्री के० दे० मालवीय, ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और खान और इंधन मंत्रालय से प्रार्थना की है की उनको पत्रों तथा मंत्रालय की फाइलों को देखने की दी जाये क्योंकि वह सुविधा भारत में तेल उद्योग का इतिहास नामक पुस्तक लिखना चाहते हैं । इस पर विचार हो रहा है ।

राजस्थान में स्मारक

†१०२२. श्री कर्णी सिंहजी : क्या सांस्कृतिक-कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के स्मारकों संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) उन के संरक्षण के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उनके राष्ट्रीय महत्व का होने की दृष्टि से उन के संरक्षण के लिये कितना वार्षिक अनुदान मंजूर किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) काम प्रगति पर है ।

(ख) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण उनकी निजि आवश्यकताओं के अनुसार मरम्मत करके किया जा रहा है ।

(ग) १९६३–६४ में १,६०,०६४ रुपये की राशि उनके संरक्षण एवं मरम्मत आदि के लिये निर्धारित की गई है ।

सामाजिक रक्षा योजनायें

†१०२३. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ और १९६२–६३ में राज्यों में सामाजिक रक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उड़ीसा और राजस्थान सरकारों को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा को २००२ रुपये और राजस्थान को २५,४६५ रुपये १९६१-६२ में दिये गये थे । १९६२-६३ में हमने अस्थायी रूप में उड़ीसा को ३८,६७७ रुपये और राजस्थान को २६,२५० रुपये देने का निर्णय किया था । उस वर्ष में उन राज्यों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आंकड़े प्राप्त होने पर आवंटनों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

उड़ीसा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

†१०२४. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में नि : शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के मामले पर विचार कर लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां । १९६३-६४ में प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को शीघ्र वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है । उड़ीसा राज्य की आवश्यकता का विवरण राज्य में प्राप्त हो चुका है और विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Social Defence (Care) Schemes.

राजस्थान के स्कूलों और कालेजों में ऑडिटोरियम

†१०२५. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में राजस्थान के विविध स्कूलों और कालेजों में ऑडिटोरियम बनाने के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) इसका ब्योरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):

(क) १९६१-६२ शून्य
१९६२-६३ २०,००० रुपये ।

(ख) उपरोक्त राशि श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल, जयपुर को अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में दी गई थी ।

राजस्थान में राजनीतिक पीड़ित

†१०२६. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रानचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक राजस्थान के राजनीतिक पीड़ित लोगों को कितना धन बांटा गया है ;

(ख) क्या राजस्थान से कोई प्रार्थना पत्र अभी लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) राजनीतिक पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने की योजना १९५५ में बनाई गई थी। १९५५ से ले कर सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दी गई राशि

वर्ष	रुपये
१९५५-५६	८०००
१९५६-५७	१२००
१९५७-५८	४६००
१९५८-५९	२५००
१९५९-६०	१५००
१९६०-६१	२००
१९६१-६२	१७५०
१९६२-६३	१५००
१९६३ (२४-८-६३ तक)	५०० ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पाद

†१०२७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उल्लाका :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत कितनी थी ; और

(ख) इंडियन आयल कंपनी के डिपु किस मात्रा तक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९६२–६३ में राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत २,१०,००० मीट्रिक टनों के लगभग है।

(ख) कम्पनी ने कोटा, जोधपुर, जयपुर और अजमेर में डिपु स्थापित कर रखे हैं। ये डिपु राजस्थान की आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान से बाहर के डिपुओं से राज्य में उपभोक्ताओं को माल दिया जा रहा है। यह इंडियन आयल कंपनी के हित में नहीं होगा कि राज्य में इसकी बिक्री की मात्रा बताई जाये।

निरधसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†१०२८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उल्लाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में निरधिसूचित आदिमजातियों के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान के लिये कुछ राशि मंजूर की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** :

(क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

	लाख रुपये
१. छात्रवृतियां	०.२५
२. होस्टल	०.८५
३. स्वयंसेवी अधिकरणों को सहायता	०.७५
४. आवासिक स्कूल	०.५५
५. पुनर्वास	१.१०
योग	३.५०

†मूल अंग्रेजी में

डाक्टर प्रसाद के देहावसान पर छुट्टी

१०२९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु के कारण १ मार्च, १९६३ को सार्वजनिक छुट्टी की अधिसूचना गज़ट में निकाल दी गई थी ;

(ख) क्या इसी प्रकार सभी राज्य सरकारों ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और किस कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ के अधीन भारत भर में उस दिन सार्वजनिक छुट्टी की अधिसूचना निकाली थी, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करने की आवश्यकता नहीं थी ।

शिक्षा पर व्यय

†१०३०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कुल बजट आवंटन का कितने प्रतिशत हर वर्ष शिक्षा पर व्यय किया ;

(ख) किन-किन राज्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के अधीन शिक्षा मंत्रालय से गत तीन वर्षों में सहायता दी गयी और दी गई सहायता की राशि क्या थी और वह किस शीर्ष के अधीन दी गयी ; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इस प्रकार दी गयी सहायता का उपयोग नहीं किया और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी–१५८६/६३]।

(ख) जिन राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई, उनके नाम और दी गई राशि से संबंधित विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता तीसरी योजना में शामिल सामान्य शिक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बजट शीर्ष-सहायक अनुदान के अन्तर्गत दी जाती है ।

(ग) वर्ष विशेष में योजनाओं पर वास्तविक खर्च के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है । इसलिए सहायता के उपयोग न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी स्टोर

†१०३१. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के सदस्य बन गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सदस्यों को किस प्रकार से लाभांश दिया जाएगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) लगभग, १५००० केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और निगमित सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों ने अभी तक सदस्यता की प्रार्थना की है ;

(ख) संस्था के उपनियमों के अनुसार अंशों पर लाभांश सदस्यों को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था सीमित के शुद्ध लाभ से ६¹/₄ प्रतिशत से अनधिक दर पर लाभांश दिया जाएगा। सदस्यों द्वारा माल की खरीद पर छूट भी संस्था के उपनियमों के अनुसार दी जाएगी ।

स्वीडन और आस्ट्रेलिया के कागज का उपहार

†१०३२. **श्री सेजियान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीडन और आस्ट्रेलिया की सरकारों से उपहार के रूप में प्राप्त १०,००० टन कागज के आवंटन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा कितने कागज का उपयोग किया गया ;

(ग) कितनी पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की गईं ; और

(घ) इन पाठ्य पुस्तकों की बिक्री से कितनी राशि वसूल हुई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी–१५८७/६३]।

मिर्जा गालिब का मकान

†१०३३. **श्री राम सहाय यादव** : क्या वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस मकान को अधिग्रहण करना चाहती है, जिसमें उर्दू कवि मिर्जा गालिब रहे थे, और उसके रक्षित प्राचीन स्मारक घोषित करके उसे राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप देना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक- कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तानी जासूस की दिल्ली में गिरफ्तारी

१०३४. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि २० मई, १९६३ को दिल्ली में एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसके पास से कोई रहस्यपूर्ण साहित्य भी पकड़ा गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके पास से पाकिस्तानी नोट काफी तादाद में मिले थे ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी कीमत के ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खारा में भूछिद्रण

†१०३५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गस आयोग शाहजहांपुर के पास **खारा** नामक एक छोटे से गांव में चौबीस घंट भूछिद्रण कार्य करा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं। फिर भी उसी जिले में इशरा के पास भूछिद्रण कार्य जारी है ।

(ख) १७ अगस्त, १९६३ तक इशरा के पास तिलहर कूप संख्या १ १४१५ मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है ।

वैज्ञानिक घटनायें

†१०३६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों के लिए वैज्ञानिक घटनाओं से अपने को परिचित रखने के लिए देश में कोई सुविधा विद्यमान है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके लिए किसी प्रकार के पुनर्याभ्स शिक्षाक्रम चालू करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

भारत विरोधी प्रचार

†१०३७ { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिनांक ३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ९ महीनों में भारत में भारत विरोधी प्रचार करने वाले कितने चीनी नक्शे प्रकाशन चलन में पाये गये ;

---

†मल अंग्रेज़ी में

(ख) ये प्रकाशन अब भी सीमावर्ती क्षेत्रों सहित भारत में किस प्रकार चले आते हैं ; और

(ग) भारत में विशेषत: उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे साहित्य का प्रवेश रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनसबीस)** : (क) चीन में तैयार किये गये कुछ नक्शे/प्रकाशन देश में नहीं आये हैं ।

(ख) ऐसा साहित्य देश में चोरी छिपे लाने के लिए चीनियों ने कपटपूर्ण तरीके अपनाये हैं ।

(ग) एसे साहित्य का प्रवेश रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जा चके हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण

†१०३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रशासन सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं की छानबीन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला और यदि नहीं तो खास कर किन सीमावर्ती क्षत्रों के बारे में इस बीच छानबीन पूरी हो चुकी है और दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में उसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उस छानबीन को ध्यान में रखते हुए उन क्षत्रों के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन के सीमावर्ती क्षेत्रों में छानबीन की गयी है और उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन में १० बहुप्रयोजनीय कल्याण विस्तार परियोजना और हिमाचल प्रदेश में १ कल्याण विस्तार परियोजना चालू करने का विचार है । आगे गुजरान राज्य के २ सीमावर्ती जिलों में २० प्रशिक्षण शिविर चालू करने की योजना भी मंजूर की गयी है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा पिछले दिसम्बर में आसाम गई थीं और वह निकट भविष्य में लद्दाख में लेह और पंजाब में लाहुल की स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए वहां जा रही हैं ।

बी० ए० का पाठ्यक्रम

†१०३९. **श्री विशनचन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बी० ए० (पास) और स्कूल के छात्रों के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम सम्बन्धी योजना पर विचार कर रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ने वह योजना कहां तक स्वीकार की है ; और

(घ) क्या यह योजना सम्पूर्ण देश में लागू की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय अंग्रेजी भाषा के समझने और उसके ठीक ठीक प्रयोग पर विशेष जोर देने के उद्देश्य से वैकल्पिक अंग्रेजी चालू करने और अनिवार्य प्रश्नपत्रों को सरल बनाने के लिए बी० ए० (पास) पाठ्यक्रमों का पुनर्विलोकन कर रहा है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं इसलिए सरकार के अनुमोदन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी नहीं ।

इलेक्ट्रानिक्स और रेडियो इंजीनिअरों की संस्था

†१०४०. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इंस्टिट्यूट आफ रेडियो इंजीनियर्स ने इंस्टीट्यूट की भारतीय परिषद् को क्या क्या सुविधायें दी हैं ;

(ख) वह परिषद् उन सुविधाओं का कहां तक उपयोग कर रही है ; और

(ग) वह परिषद् भारत में क्रियाशील छ खंडों की कार्यवाहियों का किस प्रकार समन्वय करती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिटिश इंस्टिट्यूट आफ रेडियो इंजीनियर्स ने इंस्टीट्यूट की भारतीय परिषद् को निम्नलिखित सुविधाएं दी हैं :—

(१) भारत में एक स्थायी कार्यालय की स्थापना, जिसमें पूरा समय काम करने वाला एक सचिव होगा ;

(२) स्वीकृत बजट के साथ स्वायत्तशासिता ;

(३) भारतीय सदस्यों के लिए एक अलग पत्रिका का प्रकाशन ;

(४) इंस्टीट्यूट की ओर से भारत में परीक्षायें लेना ;

(५) मालिकों और कर्मचारियों के लाभ के लिए रेडियो और इलेक्ट्रानिक इंजीनियरों का एक नियुक्ति रजिस्टर रखना ;

(६) छात्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं ।

(ख) भारतीय परिषद् धीरे धीरे इन सुविधाओं का उपयोग कर रही है ।

(ग) परिषद् की कार्यपालिका समिति खंडों की कार्यवाहियों का समन्वय करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू और काश्मीर

†१०४१. **श्री हरि विष्ण कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य का शेष भारतीय संघ के साथ और अधिक एकीकरण करने के लिए सितम्बर, १९६२ के बाद से कोई कदम उठाये गये हैं या जम्मू और काश्मीर राज्य के साथ कोई परामर्श किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा प्रस्तुत कुछ योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। जब तक कि उनके सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया जाता तब तक उन्हें बताना लोक हित में नहीं होगा।

पुलिस के लिए आचरण संहिता

†१०४२. **श्री हरि विष्णुकामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री १३ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के लिए आचरण संहिता उचित रूप से कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे ठीक से अमल में लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागा विद्रोही

†१०४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा आक्रमणकारियों ने १८ मई, १९६३ को या उसके आस पास तामेंग लोंग सब-डिविजन में तूशेष खुल्लन और मांडू के बीच ८ नागाओं को मार डाला था जिनमें गांव का एक चौकीदार भी था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी नहीं। १८/१९ मई, १९६३ की रात को एक घटना हुई थी जिसमें रानी गैडिलियों के अनुयायियों द्वारा आक्रमण में तूशेष खुल्लेल और तूशेष खुनौ गांवों के एक चौकीदार सहित ८ आदमी मार डाले गये थे।

(ख) तामेंगलौंग पुलिस चौकी में मामला दर्ज कर लिया गया है और सन्देह में १४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंग्रेजी का स्तर

†१०४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंग्रेजी का स्तर गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक सामान्य धारणा है कि शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी का शैक्षणिक स्तर गिर गया है ।

(ख) मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(१) स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कम समय दिया जाना;

(२) विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने की आधुनिक शैशियों का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए अध्यापकों का न मिलना;

(३) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषा का होना ।

(ग) अंग्रेजी की पढ़ाई में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने वाले हैं :—

(१) फोर्ड फाउन्डेशन और ब्रिटिश कौन्सिल के सहयोग से १९५८ में हैदराबाद में सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ इंगलिश स्थापित किया गया था । अन्य बातों के साथ साथ इस इंस्टिट्यूट के कार्यक्रम में ट्रेनिंग कालेजों के लेक्चररों और सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण, उपयुक्त अध्यापन-सामग्री तैयार करना और इस देश में अंग्रेजी पढ़ाने की समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसंधान करना है ।

इस ढंग की कुछ और संस्थाएं स्थापित करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव पर सरकार विचार कर रही है ।

बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने और चार दक्षिणी राज्यों ने मिलकर अंग्रेजी के अपने अपने इंस्टिट्यूट कायम किये हैं ।

(२) १९५५ में स्थापित कुंजरू समिति की और उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए १९५८ में आयोजित, अंग्रेजी शिक्षकों के विशेष सम्मेलन की रिपोर्टें विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को भेज दी थीं । अधिकतर विश्वविद्यालयों ने इन रिपोर्टों में उल्लिखित निष्कर्ष स्वीकार कर लिये थे । प्राप्त उत्तरों के आधार पर, हैदराबाद सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ इंग्लिश के डायरेक्टर ने एक कार्यक्रम तैयार किया था जिसे कार्यान्वित करने के लिए आयोग ने उसे सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया था ।

(३) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी के पाठ्यक्रमों का पुनर्विलोकन आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५८ में एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) १९६१ में आयोजित मुख्य मंत्री सम्मेलन और राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है कि अंग्रेजी की पढ़ाई बहुत प्रारम्भिक स्तर पर ही आरम्भ होनी चाहिये। इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

विज्ञान पढ़ाने की नयी शैलियां

†१०४५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान पढ़ाने के नये तरीक़े और नयी शैलियों, जो अमरीका में निकाली गयी हैं, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लाभ के लिए की ग्रीष्मकालीन चार शालाओं में कार्यान्वित की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (दा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विज्ञान पढ़ाने के उन्नत तरीकों की छानबीन करने के लिए चार ग्रीष्मकालीन शालाएं बनायी गयी थीं और इस सम्बन्ध में अमरीका में निकाले गये नये तरीकों और शैलियों और पुस्तकों पर भी विचार किया गया था ।

(ख) ग्रीष्मकालीन शालाओं से माध्यमिक स्कूल के उन शिक्षकों को लाभ हुआ जिन्होंने पाठ्यक्रम में भाग लिया था, और उन्हें इस क्षेत्र की नयी गतिविधियों से परिचित कराया गया ।

पर्वतारोहण संस्थाएं

†१०४६. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग और मनाली की पर्वतारोहण संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि से कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीधे अनुदान दिया जाता है या वार्षिक सहायता दी जाती है; और

(ग) किन किन बातों के लिए सहायता दी जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दक्षिण भारतीय तटों पर तेल के लिये छिद्रण

†१०४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० नां० खां० :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय तटों पर तट से दूर भू-छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कावेरी बेसिन और कोचीन क्षेत्रों में कितने कुएं खोदे गये हैं; और

(ग) क्या उन में से कोई सफल सिद्ध हुआ है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं। यह निश्चय करने के लिए भू-छिद्रण कार्य आरम्भ किया जाय या नहीं भूतत्वीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिमी बंगाल में भू-छिद्रण

†१०४८. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में भू-छिद्रण कार्य का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ; और

(ग) भू-छिद्रण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं। भूतत्वीय और भू-भौतिकीय आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। भू-छिद्रण करने या न करने का निश्चय इस छानबीन पर निर्भर होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

देहाती इलाकों में शिक्षा

†१०४९. **श्री जेना :**
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहाती इलाकों में शिक्षा देने के लिए महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की एक योजना उनके मंत्रालय ने सामुदायिक विकास मंत्रालय के सहयोग से बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यह योजना किस तारीख से लागू की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

भद्रक कालेज को अनुदान

†१०५०. **श्री जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भद्रक कालेज को तीन योजनाओं की अवधि में अपनी उन्नति के लिए सीधे केन्द्रीय सरकार या उड़ीसा राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो हर मामले में किस प्रकार का अनुदान मिला है और स्वीकृत धन का उपयोग कालेज अधिकारियों ने उचित प्रकार से किया है या नहीं इसकी ओर ध्यान देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेज को अनुदान मंजूर किये गये हैं ।

(ख) विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । कृपया देखिये संख्या एल टी—१५८८/६३]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम

१०५१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिये सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये संशोधन किन लाइनों पर होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). जी हां, इस विषय पर दिल्ली नगर निगम द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । कृपया देखिये संख्या एल टी—१५८९/६३]

दिल्ली नगर निगम के चुनाव

१०५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-काय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के चुनाव के सम्बन्ध में कितनी चुनाव याचिकायें विचाराधीन हैं; और

(ख) कितनी याचिकाओं का निर्णय हो चुका है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) छः ।

(ख) कोई नहीं ।

पाकिस्तानियों का निर्धारित अवधि से अधिक निवास

†१०५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों में कितने पाकिस्तानियों को अपनी अवधि से अधिक रहने के लिये गिरफ्तार किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : राजस्थान को छोड़ कर, जिससे अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, भारत में १-४-१९६३ से ३१-७-१९६३ तक की अवधि में ४५४ पाकिस्तानियों को अपनी अवधि से अधिक रहने के लिये गिरफ्तार किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के नये निक्षेप

†१०५४. **श्री पें० वेन्कटासुब्बया :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र के पास राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोयले के नये निक्षेपों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला मिलने का अनुमान है ; और

(ग) क्या खनन-कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने नहीं बल्कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने कुछ साल पहले जरूरी जांच पड़ताल के बाद सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कोयले के निक्षेपों का पता लगाया था । तब से कोई नयी खोज नहीं की गयी है । अनुमान है कि इस प्रदेश में कुल ४०० करोड़ मीट्रिक टन कोयला है । इस में से लगभग १५५८० लाख मीट्रिक टन कोयला साबित किया जा चुका है ।

(ग) सिंगरौली खान के सम्बन्ध में, जिस का वार्षिक उत्पादन ३० लाख मीट्रिक टन होगा, एक परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है और प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है। झिंगुरडाह में एक दूसरी खान से सालाना १५ लाख टन के उत्पादन के लिए एक दूसरी परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है ।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति

१०५५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० च० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने विदेशी लोग ३० जून, १९६३ तक निरुद्ध किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : नौ ।

पाइप लाइन बिछाना

†१०५६. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गौहाटी से सिलिगुड़ी, बरौनी से दिल्ली और कलकत्ते तक पाइप लाइन बिछाने के काम की प्रगति में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : गौहाटी से सिलिगुड़ी और बरौनी से हल्दिया और बरौनी से कानपुर तक पाइपलाइन बिछाने से सम्बन्धित परियोजनाएं कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । गौहाटी-सिलिगुड़ी पाइपलाइन का निर्माण कार्य मार्च, १९६३ में आरम्भ

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ था और अनुमान है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह परियोजना अगस्त, १९६३ तक पूरी हो जायेगी । हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइनों का निर्माणकार्य अक्तूबर १९६३ में आरम्भ होगा और अनुमान है कि वह क्रमशः जून, १९६५ तक पूरी हो जायेगी ।

यातायात संकेत (ट्रैफिक सिगनल) अनुसन्धान एकक

†१०५७. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क अनुसंधान संस्था, दिल्ली का यातायात संकेत (ट्रैफिक सिगनल) अनुसन्धान एकक कुछ ऐसे उपाय खोज निकालने में सफल हुआ है जिन से कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम हो जायेगी और यातायात अधिक तीव्र गति से चल सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनके ब्योरे क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) और (ख). जी, हां । संस्था द्वारा बनाया गया पदयात्री विद्युत् संकेत प्रति मिनिट ५०–६० बार की गति से केसरिया रंग में चमक कर निकट पहुंचने वाले मोटर चालकों को सड़क पार करने वाले पदयात्रियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में चेतावनी देता है । संस्था ने एक ४-'फ़ेज़' वाले यातायात को संकेत को लगाने की भी सिफारिश की है जिससे कि विभिन्न समय क्रमों में भारी यातायात तथा पदयात्री चौराहे का उपभोग कर सकेंगे और जिससे कि सुरक्षा और देरी को कम करने वाली हालात पैदा हो जायेगी ।

त्रिपुरा तथा गोआ में अस्पृश्यता

†१०५८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा तथा गोआ में अस्पृश्यता की रोकथाम करने के लिये १९६२-६३ के दौरान सरकार ने किसी संस्था को वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई थी और संस्थाओं के क्या-क्या नाम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख). १९६२-६३ के दौरान इस प्रयोजन के लिये त्रिपुरा में किसी भी संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

गोआ में अभी तक अनुसूचित जातियां अधिसूचित नहीं की गई हैं । इसलिये, १९६२-६३ के दौरान किसी संस्था को सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

†१०५९. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए १९६१-६२ और १९६२-६३ के दौरान पृथक-पृथक उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई थी/के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ; और

(ख) १९६१-६२ के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

	रुपये
(क) १९६१–६२	६०,६६,४००
१९६२–६३	६७,५६,४००

(ख) १९६१-६२ में दी गई पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया था ।

उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय

†१०६०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पुस्तकालयों का विकास करने के लिये जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिले हैं उन के क्या क्या नाम हैं ;

(ख) उन में से प्रत्येक को कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) किस शर्त के अधीन धनराशि मंजूर की गई थी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १५९०/६३]

ब्रेल उपकरण[१]

†१०६१. श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधों के लिये पढ़ने की सुविधा की व्यवस्था करने के हेतु भारत में ब्रेल उपकरणों का निर्माण किया जाता है और प्रादेशिक भाषाओं में ब्रेल पुस्तकें तैयार की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन प्रादेशिक भाषाओं में ब्रेल पुस्तकें तैयार की जाती हैं ;

(ग) क्या वर्तमान उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझा जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक (१) हिन्दी (२) बंगाली (३) गुजराती (४) मराठी (५) पंजाबी (६) तमिल और (७) तेलगू भाषाओं में ब्रेल पुस्तकें तैयार की गई हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १५९१/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Braille appliances.

जापान में १९६४-ओलम्पिक

†१०६२ { श्री प्र० के० देव :
श्री प० कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत १९६४ में जापान में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भाग लेगा ;

(ख) किन किन खेलों में भारत के भाग लेने की सम्भावना है ; और

(ग) जिन खिलाड़ियों के ओलम्पिक खेलों में भाग लेने की सम्भावना है क्या उन के लिये कोई गहन प्रशिक्षण और अभ्यास निर्धारित किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) बहुत सम्भावना है ।

(ख) अभी तक यह निश्चय नहीं किया गया ।

(ग) जी, हां ।

विकलांग बच्चों के लिये संस्थायें

†**१०६३. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपंगु और विकलांग बच्चों के कल्याण के लिये १९६१-६२ में कितनी नई संस्थायें खोली गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपंगु और विकलांग बच्चों के लिये १९६१-६२ में भारत सरकार ने कोई नई संस्था नहीं खोली है । १९६१-६२ में राज्य सरकारों अथवा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रारम्भ की गई नई संस्थाओं के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राजनैतिक पीड़ित

१०६४. श्री सरजू पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को राजनैतिक पीड़ित माना जाता है जो ६ महीने तक किसी आंदोलन में भाग लेने के कारण बन्दी की हैसियत से जेल में रह चुके हैं ;

(ख) उन लोगों को राजनैतिक पीड़ित नहीं माना जाता जो लम्बे अर्से तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जेलों में रहे हैं या जिन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). साधारणतया गृह-मंत्री के विवेकानुदान से सहायता देने के लिये उन सब लोगों को राजनैतिक पीड़ित माना जाता है जो ६ महीने अथवा अधिक समय तक जेल में या नजर बन्द रहे हों । इसके अतिरिक्त, उन सब लोगों को भी राजनैतिक पीड़ित माना जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण लड़ते हुए या जेल यातना सहते हुए प्राण त्याग दिये या जो चोट लगने या लाठी प्रहार से अयोग्य हो गये या अपनी आजीविका अथवा जीवन निर्वाह का साधन या अपनी सम्पत्ति का कुछ अंश खो बैठे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिपाहियों के लिये घर

†१०६५. **श्री कोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिपाहियों के लिये मकानों का निर्माण करने के हेतु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई सहायता दे रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १९६३–६४ में केरल राज्य के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है और उस राज्य द्वारा कितनी धन राशि का उपयोग किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) जी, हां । राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये ऋण दिये जाते हैं ।

(ख) १० लाख रुपये । वास्तव में उपयोग की गई धनराशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

१०६६. श्री मोहन स्वरूप : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और दूसरी पिछड़ी जातियों के कितने व्यक्ति आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में लगाये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): आई० ए० एस०/आई० पी० एस० आदि में स्थान सुरक्षित रखने के हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त और किसी जाति के पिछड़े वर्गों को नहीं माना गया है । अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जो व्यक्ति आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में नियुक्त हैं उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
आई० ए० एस० . .	७०	२५
आई० पी० एस० . .	४८	१४

वर्तमान काल में और कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है ।

नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा

१०६७. श्री मोहन स्वरूप : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में एक सर्वेक्षण के अनुसार ६ से ११ साल की आयु के २७२० बच्चे स्कूल में भर्ती नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां :

(ख) अधिकांशतया शिक्षा के प्रति माता पिता के रुख के कारण ।

(ग) (i) दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६० की धाराओं को, नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकार क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है और ६ से ११ वर्ष तक के आयु के बच्चों

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए १९६३–६४ तक अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने एक त्रमिक कार्यक्रम बनाया है ।

(ii) दाखिले के लिये आन्दोलन किए जा रहे हैं और इन बच्चों को स्कल भजने के लिये माता पिताओं को आग्रहपूर्वक मनवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

बच्चों के लिये आकषक पुस्तकें

१०६८. श्री मोहन स्वरूप : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिष्द ने बच्चों के लिये आकर्षक और सचित्र पुस्तकें तैयार कराने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायगी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि परिषद् ने यह भी निश्चय किया है आपातकालीन प्रकाशनों का हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया जायगा और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

शिक्षा मत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख) परिषद् ने ११–१६ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिये वैज्ञानिक विषयों पर कुछ सहायक पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की एक योजना आरम्भ की है। इससे कम आय-वर्ग के बच्चों के लिये पुस्तकें तैयार करने की कोई योजना आरम्भ नहीं की गई है परन्तु इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों ने इन प्रकाशनों का प्रादेशकि भाषाओं में अनुवाद कराने की इच्छा व्यक्त की है। इन्हें एसा करने की अनुमति दी जा रही है। कागज देकर, इनकी सहयाता भी की जायगी ।

बिक्री-कर विभाग, दिल्ली

१०७०. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बिक्री कर विभाग में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं ;

(ख) इनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ;

(ग) क्या यह अनुपात के अनुसार ठीक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :

(क)	अधिकारी	१८
	अन्य कर्मचारी	४४५
(ख)	अधिकारी	१
	अन्य कर्मचारी	३५

(ग) तथा (घ) अधिकारियों की पदालि (clear) में पदोन्नति के लिये २५ प्रतिशत तथा सीधी भरती के लिये २५ प्रतिशत (पद) रक्षित हैं । ५० प्रतिशत अधिकारी प्रतिनियुक्ति (deputation) के आधार पर लिये जाते हैं । इस प्रकार सीधी भरती का कोटा विहित अनुपात के अनुसार ठीक है। अराजपत्रित (non-gazetted) पदों के लिये यथेष्ठ योग्यता प्राप्त उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते ।

---

†भूल अंग्रेजी में

पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†१०७१. **श्री गो० महन्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिये (१) अनुसूचित जातियों (२) अनुसूचित आदिम जतियों और (३) अन्य पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को कुल कतनी छात्रवृतियां प्रदान की गई थीं ; और

(ख) उन छात्रवृत्तियों के लिये राज्य-वार कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रार्थनापत्र दिय थे ?

†**शिक्षा मंत्री डा० का० ला० श्रीमाली :** (क) और (ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया दखिय सख्या एल० टी० १५९२/६३]**

गुंटूर जिले में तांबा अयस्क

†१०७२. **श्री कोल्ला बैकैया :** क्या **खान और इंधन** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) गुन्टूर जिले में तांबा अयस्क के लिये खोज के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) खोजबीन कब पूरी हो जायेगी ?

†**खान और इंधन मत्री (श्री अलगेशन) :** (क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९५९ में नकशे बनाने का कार्य आरम्भ करके अपना अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अप्रैल, १९६३ में घुकोंडा खंड में छिद्रण कार्यवाहियों को प्रारम्भ करके और अधिक गहन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। अभी तक ७५.३ मीटर क्षेत्र में छिद्रण किया गया है। इसके साथ ही सथ घुकोंडा खंड में इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स द्वारा खोजान्वेषी कार्य किया जा रहा है। अभी तक १९२ मीटर क्षेत्र में छिद्र किया गया है। एक बरमा-छेद (बोरहोल) पूरा कर दिया गया है और दूसरा प्रारम्भ किया गया है।

(ख) आशा है कि भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का अनुसंधान कार्य तृतीय योजना काल के अन्त तक पूरा हो जायेगा और इंडियन व्यूरो का आफ माइन्स का मार्च, १९६७ तक।

राष्ट्रीय स्मारक

†१०७३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एसे कुछ मामलों का पता लगा है जिस में कि अद्भुत शिल्प-द्रव्यों की तलाश करने वाले व्यक्तियों (क्यूरिओ–हंटर्स) ने राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को क्षति पहुंचाई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्तिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व के किसी भी स्मारक कोप्हानि नहीं पहुंची है। परन्तु ज़िला कोटा में कृष्ण विलास में एक रक्षित प्राचीन स्थल से कुछ मूर्तियों को उठाकर वहां एक नव-निर्मित स्कूल भवन की दीवार में लगा दिया गया है। अलग पड़ी मूर्तियों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिये राजस्थान सरकार को उन्हें हटा कर राज्य संग्रहालय में रख देने की अनुमति दे दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लद्दाख में खनिज सम्भाव्यतायें

†१०७४. **श्री रामसहाय पाण्डय :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में खनिज सम्भाव्यताओं का सर्वेक्षण करने के लिये एक सर्वेक्षण दल नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा १९५६ से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) सर्वेक्षण अभी तक प्रगति की अवस्था में ही है ।

(ग) अभी तक कोयला, चूना, पत्थर, सोहागा, गंधक, क्रोमाइट, जिप्सम, संगमरमर और स्लेट पाये गये हैं । भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था इन खनिजों को प्राप्त होने के सम्बन्ध में अग्रेतर खोज कर रहा है ।

वातानुकूलक यंत्र

†१०७५. **श्री वारियर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कमरों में हाल ही में वातानुकूलक यंत्रों की व्यवस्था की गई है जब कि वे अधिकारी एक केन्द्र से वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं;

(ख) यदि हां, तो वातानुकूलक यंत्रों की कुल लागत क्या है; और

(ग) आपातकाल में जब कि मितव्ययिता की जा रही है तो इन अतिरिक्त वातानुकूलक यंत्रों की व्यवस्था करने के विशेष कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ग). निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार ५ संयुक्त सचिवों के कार्यालय के कमरों में वातानुकूलक यंत्र लगाये गये थे क्योंकि यह कमरे पुरानी केन्द्रीय प्रशीतक प्रणाली द्वारा संतोषजनक रूप में ठन्डे नहीं हो रहे थे ।

(ख) ३७,९७७ रुपये ।

शिक्षण पद्धति में सुधार

†१०७६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल स्कूलों और कालेजों में चल रही शिक्षा पद्धति में परिवर्तनों और सुधारों का सुझाव देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अब तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) सिफारिशों पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के स्तरों से सम्बन्धित समस्याओं की क्रमबद्ध तथा सोद्देश्य जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पैट्रो-कैमिकल उद्योग

†१०७७ **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में पैट्रो-कैमीकल उद्योग के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के कार्य में सहायता करने की लंका सरकार की प्रार्थना की सरकार ने तब से इस समय तक जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

कोयली तेलशोधक कारखाना

†१०७८ **श्री रामचन्द्र उलाका**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोयली में सरकारी क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाना चलाने के लिये एक समिति समवाय स्थापित करने से सम्बन्धित मामले पर तब से अब तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विचार कर लिया है और उस मामले को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**खान और ईंधन** मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रजी में

केन्द्र में राज्य सरकार के अधिकारी

†१०७९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने नई दिल्ली अथवा अन्य किसी स्थान पर अनेक विभागों में इस समय प्रतिनियुक्त पर कार्य करने वाले अपने उच्च अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे मध्य प्रदेश पदालि के अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उन को अपने अपने राज्य में वापस भेजने का निर्णय कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा के २९ अधिकारी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता

†१०८०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २१वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कहां पर और कब होगी;

(ख) किन-किन खेलों के खिलाड़ी प्रतियोगिता करेंगे; और

(ग) क्या प्रतियोगिता में देशी खेलों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कलकत्ता में २५ फरवरी से लेकर २९ फरवरी, १९६४ तक ।

(ख) व्यायाम
बोझा उठाना
मुक्केबाजी
साइकिल चलाना
राइफल से निशाना लगाना और, सम्भवतया,
बौलीबाल ।

(ग) भारतीय ओलम्पिक संघ राष्ट्रीय खेलों के दौरान केवल ओलम्पिक खेलों में ही प्रतियोगिता करने की अनुमति देता है । केवल कबड्डी ही इसका अपवाद है । तथापि, कबड्डी सर्वजेता (चैम्पियनशिप्स) प्रतियोगिता १९६४ में राष्ट्रीय खेलों के साथ नहीं की जा रही है ।

तेल संग्रह क्षमता[1]

†१०८१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ईंधन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तेल-संग्रह क्षमता को बढ़ाने का सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tonkage Capacity,

(ख) क्या संघ सरकार के सहयोग में स्वयं अपने डिपो बनाने के राज्य सरकारों के कार्यक्रम हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां देश की ईंधन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य-स्वामित्व युक्त इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड का अपनी-तेल संग्रह क्षमता को बढ़ाने का एक कार्यक्रम है।

(ख) जी, नहीं ।

पैट्रो-कैमिकल उद्योग

†१०८२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांच संयुक्त पैट्रो-कैमिकल उद्योग समूह स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना की वित्तीय उपलक्षणायें क्या हैं; और

(ग) इस उपक्रम में और कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). फ्रेंच पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने भारत में पैट्रो-कैमिकल उद्योग के विकास के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्रमश पांच प्रादेशिक पैट्रो-कैमिकल समूह स्थापित किये जायें। यह बम्बई, गुजरात, दक्षिण भारत, बरौनी तथा पूर्वी भारत में बनाये जाने हैं। प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें १ मई, १९६३ को लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १११८ के उत्तर में बताई गई थीं। इन समूहों की अनुमानित लागत के लिये (कार्यवाहक पूंजी, आवास तथा पैट्रो-कैमिकल प्रयोग उपकरण को छोड़ कर) लगभग २६३ करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है। प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

काशमीर घाटी का सर्वेक्षण

†१०८३ **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सर्वेक्षण विभाग ने काश्मीर घाटी में खनाबाल और पम्पोर के बीच कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) क्या कुछ आशाप्रद और रुचिकर स्थानों का पता लगा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्र के स्थलरूप रेखीय मानचित्र बनाये जा रहे हैं ?

(ग) भारत का सर्वेक्षण विभाग केवल स्थल रूपरेखीय जानकारी का सर्वेक्षण करता है। विद्यमान पुरातत्वीय जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त, भारत के सर्वेक्षण विभाग को पुरातत्वीय रुचि की और कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जासूसी

†१०८४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्रीमती रेणुका बड़फटकी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में जासूसी करने के अपराध पर कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ; और

(ख) उन में पुरुषवार तथा स्त्रीवार कितने व्यक्ति भारतीय हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख). जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

पंजाब में राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति

†१०८५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष पंजाब में राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को कितना धन दिया गया ;

(ख) क्या अब भी पंजाब का कोई प्रार्थनापत्र अनिश्चित पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	दिया गया कुल धन
१९५८–५९	१,१००
१९५९–६०	१,६००
१९६०–६१	७००
१९६१–६२	२,४००
१९६२–६३	७००

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निकोबार की आदिम जातियां

†१०८६. **श्रीमती सावित्री निगम** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीपसमूह में एकाधिकारी लाइसेन्सधारी व्यापारियों द्वारा निकोबार की आदिम जातियों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए सरकार ने हाल में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) कलकत्ता में गोला और छाली के विक्रय-मूल्य में तेज़ी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप १९६० के बाद व्यापार लाइसेन्स में निश्चित निकोबार के उत्पादों के न्यूनतम क्रय मूल्य न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) निम्न कार्यवाही की गई है :—

१. १ जुलाई, १९६३ से छाली, गोला और नारियल का न्यूनतम मूल्य बढ़ा दिया गया है ।

२. लाइसेन्सधारी व्यापार कम्पनियों पर इस दृष्टि से नजर रखने के लिए एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है कि व्यापार लाइसेन्सों की स्थिति की कड़ी देखरेख की जाये ।

३. निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन में कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं ताकि वह निकोबारवासियों को इस दृष्टि से संगठित कर सके कि वे यथाशीघ्र सूचना समूचा व्यापार अपने हाथ में ले लें ।

(ख) न्यूनतम क्रय-मूल्य पहिले नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि समूची लाइसेन्सधारी व्यापार-कम्पनी ही विचाराधीन थी ।

अन्दमान द्वीप समूह में जेटी का निर्माण

†१०८७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डुन्डा प्वाइन्ट (अन्दमान) पर अनधिकृत-जेटी बनाने के कारण कितना धन मांगा गया और फर्म ने कितना धन दिया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : १५८९ रु० मांगे गये जो सभी फर्म ने दे दिये ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

१०८८. { **श्री कछवाय** :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को केन्द्र से प्रति वर्ष कितना धन दिया जाता रहा है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की जो इमारत दी गयी है उसका वार्षिक किराया कितना लिया जाता है और वह किस शर्त पर दी गयी है ; और

(ग) इस समय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कौन-कौन सदस्य हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) :

	रुपये
१९६०–६१ . . .	१,८५,३००
१९६१–६२ . .	३,००,०००
१९६२–६३ . . .	२,५०,०००

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को कोई स्थान नहीं दिया है । न्यास ने, जोकि स्वायत्तशासी निकाय है, सीधे ही एक भवन २८,८०० रुपये वार्षिक किराए पर ले रखा है ।

(ग) (१) डा० बी० वी० केसकर,
अवैतनिक अध्यक्ष,

(२) श्री रमाप्रसन्न नायक,
प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्रालय

(३) श्री आर० एच० चिश्ती,
प्रतिनिधि, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय

(४) श्री के० आर० कृपलानी,
प्रतिनिधि, साहित्य अकादमी

(५) श्री पी० सी० भट्टाचार्य,
प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय

(६) श्री नवाब सिंह,
प्रतिनिधि, सूचना तथा प्रसार मंत्रालय

(७) श्री यू० एस० मोहनराव,
निदेशक, प्रकाशन प्रभाग (पदेन)

(८) श्री बी० वी० (मामा) वरेरकर

(९) प्रो० रामधारी सिंह 'दिनकर'

(१०) डा० निहार रंजन रे

(११) प्रो० एम० मुजीब

(१२) महामहोपाध्याय डी० वी० पोद्दार

(१३) श्री एस० गोविंदराजुलु

(१४) प्रो० वी० के० एन० मेनन

(१५) डा० एम० वरदराजन

(१६) डा० मुल्कराज आनन्द

(१७) श्री बी० एस० केशवन

(१८) श्री पी० एस० जयसिंघ

(१९) श्री भगवती चरण वर्मा

ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना

१०८९. श्री कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वारासिवनी (मध्यप्रदेश) में किसी प्रसिद्ध कम्युनिस्ट के यहां कोई ट्रांसमिटर पकड़ा गया है ;

(ख) वह ट्रांसमिटर कितने दिनों से उस के पास था ; और

(ग) उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) २४ जून, १९६३ को एक ट्रांसमिटर एक ऐसे व्यक्ति के पास से बरामद किया गया था, जिस का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है। यह (ट्रांसमिटर) उस व्यक्ति के पिता की दुकान में पकड़ा गया था, जोकि एक मुख्य कम्युनिस्ट है ।

(ख) यह ट्रांसमिटर पकड़ने से एक दिन पहले ही तैयार किया गया था ।

(ग) पुलिस ने इण्डियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, १९३३ की धारा ३,६(१-ए) के अधीन चालान दर्ज कर लिया हैं ।

गोरखपुर जिले में खुदाई

१०९०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में पुरातत्व विभाग ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कोई खुदाई का काम किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कोई पुरानी वस्तुएं (मूर्तियां) मिली हैं और वे किस संग्रहालय में रखी गई हैं ; और

(ग) उक्त खुदाई के काम पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

मकबरों का परि-रक्षण

†१०९१. **श्री सेझियान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में वेल्लुर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के परिवार के मकबरों के परिरक्षण तथा संधारण के लिए सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) मकबरों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक नहीं माना जा सकता ।

दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी

†१०९२. **श्री गु० सिं० मुसाफिर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के कितने स्कूलों में १९६२–६३ में पंजाबी पढ़ाने की मांग की गई; और

(ख) चालू शिक्षा वर्ष में मांग के आधार पर कितने स्कूलों में पंजाबी आरम्भ करने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) आठ ।

(ख) इन आठ स्कूलों में से सात में पंजाबी चालू शिक्षा वर्ष में लागू कर दी गई है । आठ स्कूलों की प्रार्थना विचाराधीन है और यदि उचित पाया गया, तो भाषा का अध्यापन आगामी वर्ष से आरम्भ हो जायेगा ।

भारत आने वाली एम० सी० सी० टीम

†१०९३. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सर्दी में भारत में टैस्ट मैचों के लिए लन्दन से एम० सी० सी० टीम बुलाने के लिए भारत के क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड को कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय संकटकाल में यह सब करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) इस खेल का एक राष्ट्रीय मण्डलीय पारस्परिकता है ।

उच्च श्रेणी का कोयला

†१०९४. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री वारियर :

क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यानुसार इस्पात के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी के कितने कोयले की आवश्यकता होगी ; और

(ख) इस मांग में से कितनी मांग विद्यमान खानों और कोयला धोने के कारखानों से पूरी हो सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) कोकिंग कोयला (ब्लैंडेबल कोयला सहित) की कुल आवश्यकता, जो चौथी योजना में धातुकार्मिक उद्योगों के लिए होगी, लगभग ६.२ करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

(ख) आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में इन कोयलों का उत्पादन लगभग ३.२ करोड़ मीट्रिक टन होगा, और कच्चा कोयला लेने के रूप में धोने की क्षमता जो इस योजनाकाल में अधिष्ठापित की जायेगी, लगभग २.४ करोड़ मीट्रिक टन होगी। कच्चे कोयले के उत्पादन और धोने की यह क्षमता चौथी योजना में निरन्तर रहेगी। चौथी योजना में अधिक उत्पादन और अधिक धुलाई क्षमता का आयोजन किया जा रहा है।

कोयला धोने के कारखाने

†१०९५. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री वारियर :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना काल में इस्पात के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी के कोयले के संभरण के लिए कोयला धोने का नया कारखाना खोला जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये नये कोयला धोने के कारखाने हिन्दुस्तान स्टील लि० के अन्तर्गत बनेंगे या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत बनेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस्पात सन्यन्त्रों को देने के लिए एक प्रश्न सभी कोयला को धोने के लिए चौथी योजना में कोयला धोने के कारखाने बनाने का विचार है।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम स्वयं कोयला धोने की आवश्यक क्षमता स्थापित करेगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में निकाले जाने वाले कोयला के बारे में, धोने की व्यवस्था उस समय निर्धारित होगी जबकि चौथी योजना में कोकिंग कोयला के उत्पादन के लिए उनकी योजना निर्धारित हो जाये।

कोयला धोने के कारखानों से दरम्याने दर्जे का और रद्दी कोयला

†१०९६. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री वारियर :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना काल में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों में विद्यमान तथा बनने वाले नये कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त होने वाले दरम्याने दर्जे के और रद्दी कोयले का अनुमानत: कितना मूल्य होगा ; और

(ख) यह रद्दी और दरम्याना कोयला चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष में कैसे प्रयोग किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) अनुमान है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में उपलब्ध होने वाली द्वितीय श्रेणी के कोयले की मात्रा लगभग २.५ करोड़ मीट्रिक टन होगी। और रद्दी कोयले की मात्रा लगभग १२.५ लाख मीट्रिक टन होगी।

(ख) रद्दी कोयले का प्रयोग सीमित है और केवल भरण-कार्य में होगा। दरम्याने दर्जे के कोयले का उपयोग अधिकतर तापीय बिजली सन्यन्त्रों में होगा और द्वितीय श्रेणी के कोयले का संभरण इन बिजली के सन्यन्त्रों से सम्बद्ध करने का प्रश्न आजकल विचाराधीन है।

आसाम में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवत्तियां

†१०९७. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**: क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६२-६३ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए आसाम सरकार को कितना धन दिया गया;

(ख) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-राशि बांटने की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त काल में छात्रवृत्तियों के बांटने में असाधारण विलम्ब हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१) अनुसूचित जातियां —

१९६०–६१	३,७३,८०० रु०
१९६१–६२	४,६१,८०० रु०
१९६२–६३	५,६१,८०० रु०

(२) अनुसूचित आदिम जातियां —

१९६०–६१	११,४२,००० रु०
१९६१–६२	११ ८०,००० रु०
१९६२–६३	१२,८०,००० रु०

(ख) और (ग) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में खनिज निक्षेप

†१०९८. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि मैसूर राज्य में खनिज निक्षेप हैं;

(ख) यदि हां, तो अनेक खनिज कहां कहां पाये जाते हैं ; और

(ग) इन निक्षेपों से लाभ उठाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मैसूर राज्य में मिलने वाले जिन निक्षेपों का अब तक पता लगा है उनमें सोना, चांदी, मैंगनीज, क्रोमाइट, तांबा, कोरनडम, क्वारट्ज, फेल्सपार, एस्सबेस्टोज, बाक्साइट, डोलोमाइट, गारनेट, लोह अयस्क, क्यानाइट, क्लेज, चूना पत्थर, मैंगनेसाइट, अभ्रक, आचरे, नमक, स्टेटाइट शामिल हैं। मैसूर राज्य में कुछ अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के मिलने के स्थान निम्न हैं:—

१. सोना	. कोलार, रायचूर।
२. मैंगनीज	. वेलारी, चिकम गलोर, चीतल दुर्ग, टुमकुर, शिमोगा, उत्तर कनारा, बेलगांव और धारवाड़
३. लोह अयस्क	. सन्दूर, चिकम गलोर, चीतल दुर्ग, वेलारी, टुमकुर और बीजापुर।
४. क्रोमाइट	. हसन, मैसूर, शिमोगा, विरार और चीतल दुर्ग।
५. पाइराइट	. चीतल दुर्ग।
६. मैंगनेसाइट	. हसन और मैसूर।
७. चूना पत्थर .	. गुलबरगा और शिमोगा।
८. पुलर्स अर्थ .	. गुलबरगा।

(ग) आजकल इस क्षेत्र में, कोलार की सोने की खानों को छोड़कर, खनिजों के उपयोग की भारत सरकार की अपनी कोई योजना नहीं है।

मनीपुर में चूने के पत्थर के निक्षेप

†१०९९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में चूने के पत्थर के काफी निक्षेप हैं ;

(ख) यदि हां, तो निक्षेप की मात्रा क्या है और निक्षेप कहां मिलता है ; और

(ग) निक्षेप का प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां। चूने का पत्थर सीमेंट बनाने के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

(ख) अब तक १२० लाख मीट्रिक टन संचय होने का अनुमान लगाया गया है और उकरूल, लम्बूई, हंगडंग, शुगनू, मेथेवी, लमगांग, खूनाओ और पलेल के पास उकरूल सब-डिवीजन में सीकपा तेंगनुपाल सब-डिवीजन में चपीकारगां और सुगनू में निक्षेप हैं।

(ग) आजकल इस क्षेत्र में निक्षेप का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार की अपनी कोई योजना नहीं है।

बलराजगढ़ में खुदाई

†११००. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्वीय विभाग ने उत्तर बिहार में (दरभंगा जिला—बाबू बराही ब्लाक में) बलराजगढ़ में हुई खुदाई के क्या परिणाम रहे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या खुदाई से हमारे देश में प्राचीन ऐति ासिक प्रवृत्तियों पर कोई नया प्रकाश पड़ा है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) खुदाई अब भी हो रही है ।उस के एक चारदीवारी बन्द नगर का पता लगा है जो लगभग मौर्यकाल से मध्य काल तक रहा था ।

(ख) खुदाई का मुख्य लाभ यह है कि उस से सु-आयोजित प्रतिरक्षा कार्य का पता लगता है जो नक्शे पर चोकोर, मिट्टी की ईंटों से बना तथा जली ईंटों से घिरा हुआ है और जिस की चारों दिशाओं में मार्गद्वार हैं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†**११०१. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या शिक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के नये महा निदेशक की शिक्षा, पृष्ठाधार और पिछला अनुभव क्या हैं !

(ख) अक्तूबर-नवम्बर, १९६२ के चीन-भारत-विवाद के समय वह कहां नियुक्त थे; और

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिये है या अनिश्चित काल के लिए है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) मेजर जनरल ए० एस० पठानिया, एम० वी० सी०, एम० सी० को राष्ट्रीय अनुशासन योजना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है । उन्हें इंडियन मिल्टिरी अकादमी, देहरादून से १ फरवरी, १९३६ को कमीशन मिला था । तब वह फर्स्ट बटालियन दि साउथ वेल्स बोर्डर से सम्बद्ध थे ।

बाद में उन्हें छठी बटालियन १३ फ्रन्टियर फोर्स राइफल में फरवरी १९३७ में बदल दिया गया था । वहां वह जनवरी, १९४४ तक रहे जबकि उन्हें स्टाफ कालेज, क्वेटा में पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भेज दिया गया । जब वह एरिटेरिया में अपनी बटालियन में काम कर रहे थे, उन्हें बहादुरी के लिये मिलिटरी क्रास मिला । स्टाफ कालेज से पास होने के बाद उन्हें बर्मा में चौदहवीं सेना में पैदल ब्रिगेड के ब्रिडेड मेजर नियुक्त किया गया ।

मार्च, १९४५ में वह लफ्टिनेन्ट कर्नल बने और सेना चुनाव बोर्डों के उपाध्यक्ष बने और जम्मू तथा काश्मीर के युद्ध में गोरखा पैदल सेना का भी नेतृत्व किया जिस में उन्हे महावीर चक्र मिला । नवम्बर, १९४८ में वह कर्नल बने और जम्मू तथा काश्मीर में पैरा ब्रिगेड के सैकिण्ड कमांडर बने । बाद में उसी पद पर सेना के मुख्यालय में एक स्टाफ-नियुक्ति पर काम किया ।

अक्तूबर, १९४९ में वह ब्रिगेडियर बने और उस रूप में उन्होंने दो पैदल ब्रिग्रेडों का नेतृत्व किया और चार वर्ष तक सेना मुख्यालय में सेना गुप्तचर विभाग के निदेशक रहे । जुलाई १९५९ में मेजर-जनरल बनने पर उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर में पैदल डिवीजन का नेतृत्व किया और बाद में अक्तूबर, १९६१ में राष्ट्रीय छात्र दल के निदेशक बने ।

(ख) अक्तूबर, १९६२ में पैदल डिवीजन का जनरल आफिसर कमांडिंग बनाया गया और उन्होंने नेफा-युद्ध में भाग लिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के महा निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पहली बार एक वर्ष के लिए हैं।

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय

११०२. श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय को कलकत्ते से कब नई दिल्ली लाया जा रहा है ; और

(ख) इस काम में सरकार को क्या कोई कठिनाई महसूस हो रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जैसे ही संसद् का पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में जनता के लिये खुल जायेगा।

कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय

११०३. श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में सहायक-पुस्तकाध्यक्षों के कितने पद हैं ;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं ; और

(ग) उन पर कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी वास्तव में काम कर रहे हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). बाइस, जिनमें से नौ की नियुक्ति सीधे हुई है। इन नौ में से एक अनुसूचित जन जातियों और दो अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं।

(ग) कोई नहीं ; पहले विज्ञापित तीन पदों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का कोई उपयक्त प्रत्याशी नहीं मिल सका। संघीय लोक सेवा आयोग ने हाल ही में तीन और पदों का विज्ञापन किया है और इनमें से एक अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सुरक्षित है। संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का पुस्तकालय

११०४. श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पुस्तकालय में पिछले तीन वर्ष में पुस्तकों की कोई जांच पड़ताल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पुस्तकें खोई या चोरी चली गईं ; और

(ग) इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां। १९६२ में की गई।

(ख) और (ग) : शुरू में १४४७ पुस्तकें नहीं मिल पाईं। तब से ४४८ पुस्तकों का पता चल गया है और बाकी पुस्तकों का पता लगाने की कोशिश जारी है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुसंधान सहायक

११०५. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में २८ फरवरी, १९६३ तक कितने अनुसंधान सहायक लगे हुये थे ;

(ख) उनमें कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित है ; और

(ग) वास्तव में अनुसूचित जतियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी अनुसंधान सहायक के पद पर लगे हुये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ९३।

(ख) १२।

(ग) अनुसूचित जातियों के ६।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सहायक शिक्षा अधिकारी

११०६. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में २८ फरवरी, १९६३ तक कितने सहायक शिक्षा अधिकारी काम कर रहे थे ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित हैं ; और

(ग) वास्तव में इन जातियों और आदिम जातियों के कितने कर्मचारी सहायक शिक्षा अधिकारी के पद पर लगे हुए हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमली) : (क) १५।

(ख) १।

(ग) कोई नहीं।

पदोन्नतियों में रक्षण

११०७. श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपत्रित पदों (द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी) पर पदोन्नतियों में सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान रक्षित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित करने चाहियें, और यदि हां, तो किस परिमाण में ।

(ख) निर्णय होने पर, यदि आवश्यक हुआ, तो आदेश जारी किये जायेंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा

११०८. श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं की तरह 'केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा' बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या किसी समिति के गठन का निश्चय किया गया है ; और

(ग) क्या इस संबंध में भारत सरकार पुस्तकालय संघ (गवर्नमेंट आफ इंडिया लाइब्रेरीज़ एसोसिएशन) ने कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा स्थापित करने के प्रश्न पर यह मंत्रालय विचार कर रहा है ।

(ख) नहीं ।

(ग) अभी तक भारत सरकार पुस्तकालय संघ की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

इंजीनियरिंग कालेजों के लिये विदेशी विशेषज्ञ

†११०९. **श्री इ० मधसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न इंजीनीयरिंग कालेजों में अध्यापन के लिये कुछ रूसी, ब्रिटिश और अमरीकी विशेषज्ञ आ रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो रूस, ब्रिटेन और अमेरिका से कितने विशषज्ञ आ रहे हैं और वे किन किन इंजीनीयरिंग कालेजों में काम करेंगे ? और

(ग) भारत में उपरोक्त विशेषज्ञ कितनी अवधि तक रहेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायन कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) इन देशों से शीघ्र ही छप्पन विशेषज्ञों के आने की आशा है और जिन संस्थाओं के वे संबद्ध रहगे उन्हें नीचे बताया गया है :—

क्रम संख्या	जिन इंजीनीयरिंग कालेज के विशेषज्ञ संबद्ध रहेंगे	विशेषज्ञों की संख्या और राष्ट्रीयता			
		रूस	ब्रिटेन	अमेरिका	कुल
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर	२			२
२.	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, बम्बई .	१७			१७
३.	मौलाना आजाद कालज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी, भोपाल . . .	५		..	५
४.	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर	१			१
५.	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर .	१	..		१
६.	कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली		८		८
७.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर			१३	..
८.	रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर ..	..	१		
९.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर .		१		१
१०.	कालेज आफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद	१			१
११.	कालेज आफ इंजीनियरिंग, गिण्डी .. .		१	१	२
१२.	रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल	३			३
१३.	नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन ट्रेइंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बम्बई . .		१		१
	कुल . .	३०	१२	१४	५६

(ग) यह अवधि छः महीने से पांच वर्ष तक है ।

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में गजट

१११०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गजट के भाग १ सैक्शन २ के हिन्दी संस्करण की छपाई का प्रबन्ध अब तक न होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस प्रबन्ध को पूरा करने में और कितना समय लगने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). यह आशा की जाती है कि अक्तूबर, १९६३ के पहले ही गजट के भाग १ सैक्शन २ के हिन्दी संस्करण की छपाई होने लगेगी। हिन्दी संस्करण की छपाई का अब तक प्रबन्ध न होने का मुख्य कारण यह है कि सरकारी मुद्रणालय में हिन्दी के छापने की टाइप, मशीन इत्यादि की कमी थी ।

हिन्दी शिक्षण केन्द्र

१११९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी सिखाओं योजना के अन्तर्गत १९६३ में कितने और केन्द्र खोले जाने वाले हैं तथा उसी वर्ष हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी शीघ्रलिपि के कितने और केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : अभी तक १७ हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक १० और केन्द्रों के खोले जाने की आशा है। इस वर्ष हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी शीघ्रलिपि के लिये कोई और केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

हिन्दी सिखाना

१११२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने और हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण देने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है और उसके अनुसार अब तक कितने कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : गृह-मंत्रालय की हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र प्रशासित प्रदेश दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में, जहां हिन्दी भाषा का प्रचलन है, सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं। त्रिपुरा, मनीपुर, अण्डमान तथा नीकोबार द्वीप और लकाद्वीप, मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीपों के मुख्यालयों में कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण का स्थानीय प्रबन्ध किया गया है या किया जा रहा है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†१११३. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या ३१ मार्च, १९६२ और ३१ मार्च, १९६३ में कितनी हैं।

(ख) इनमें से कितने मामले तीन वर्ष पुराने हैं ;

(ग) किराया नियंत्रण अधिनियम के लागू होने से अनुभव की जाने वाली किन्ही कठिनाइयों के बारे में क्या किरायेदारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) ३१ मार्च, १९६२ में ३३९८
३१ मार्च, १९६३ को ४०९२।

(ख) ३१ मार्च, १९६२ में एक भी नहीं। ३१ मार्च, १९६३ को १५१।

(ग) और (घ). समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की गई है, जैसे, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ की धारा ३ का हाल ही में संशोधन किया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तानी विमानों द्वारा त्रिपुरा में अतिक्रमण

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"२२ अगस्त, १९६३ को पाकिस्तानी वायु सेना के विमानों द्वारा त्रिपुरा में कथित अतिक्रमण।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : सरकार को २३ अगस्त १९६३ को, त्रिपुरा प्रशासन से बेतार द्वारा यह सन्देश प्राप्त हुआ कि २२ अगस्त, १९६३, को सबेरे ८.२० बजे, पाकिस्तान के दो लड़ाकू जेट विमानों ने, जो ५०० फुट की ऊंचाई पर उड़ान कर रहे थे, भारतीय राज्य क्षेत्र में, सोनापुरा सब-डिवीजन में कालम चौरा पर, अतिक्रमण किया। ८.२५ बजे दो जेट

---

†मूल अंग्रेजी में

लड़ाकू विमान पूर्वी पाकिस्तान से आये और उन्होने अगरतला हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और धावन मार्ग के ऊपर लगभग ५०० फुट तक उड़ान की, और फिर वह तुरन्त ही पूर्वी पाकिस्तान को लौट गए ।

त्रिपुरा प्रशासन ने भारतीय वायुसीमा के इन अतिक्रमणों के विरुद्ध, २२ अगस्त १९६३ को, पूर्वी पाकिस्तान सरकर को एक्सप्रेस तार द्वारा एक कड़ा विरोध पत्र भेजा, और उस सरकार से अनुरोध किया कि वह सभी सम्बद्ध लोगों को ऐसी उत्तेजक कार्यवाहियां न करने के लिये हिदायत करे ताकि दोनों देशों में मित्रतापूर्ण संम्बन्ध बने रहें । अतिक्रमण का पूरा ब्यौरा विरोध पत्र में दिया गया था ।

किसी अग्रेतर कार्यवाही पर विचार करने से पूर्व, सरकार पाकिस्तान सरकार से उस विरोध पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इन बातों को दृष्टि में रखते हुए कि हाल ही में पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्यवाइयों में वृद्धि हो गयी है और चीनी सैनिक मिशन ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है भारत सरकार ने अतिक्रमण करने वाले जेट विमानों को गिराना उचित क्यों नहीं समझा, विशेषकर जबकि १९५९ में हमारे कैनबरा को उन्होने इसी प्रकार गिरा दिया था ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं, परन्तु अगरतला हवाई अड्डा एक असैनिक हवाई अड्डा है और वहां पर हमारे लड़ाकू विमान नहीं हैं । इस के अतिरिक्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगरतला हवाई अड्डा बिलकुल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है । विमानों का आना और ५०० फुट की ऊंचाई पर उड़ान कर एक उत्तेजक कार्यवाही है परन्तु वह केवल कुछ मिनट के लिये आये । उन्हें दो स्थानों पर पाया गया जो कि हमारी सीमा में लगभग कुछ सौ गज के फासले पर थे । इसलिये वहां कार्यवाही करना कठिन था ?

विमानों को गिरा देने के बारे में कुछ गलत फहमी है । निश्चय ही हमने वायु बल को आवश्यक स्थायी आदेश दे रखे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**(होशंगाबाद) : यह आदेश जब से आप आये तब से दिये गये अथवा आप के आने से पूर्व भी दिये गये थे ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : निश्चय ही कुछ स्थायी आदेश हैं । वास्तव में पाकिस्तान का इरादा हमें उत्तेजित करने का है । हम उत्तेजित होना चाहते हैं अथवा नहीं, यह एक भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या माननीय मंत्री का ध्यान बंगाली समाचार पत्रों की इन सूचनाओं की ओर आकर्षित किया गया है कि यही दो जेट विमान मीनमती में उपस्थित थे ? क्या इस क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों का जमाव है, यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मंत्री महोदय से कहेंगे कि सूचना प्राप्त कर के वह एक वक्तव्य दें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस क्षेत्र में विमानों का जमाव है या नहीं इस बारे में, यदि सम्भव हो तो, सूचना प्राप्त कर ली जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : निश्चय ही हम ऐसा करेंगे, परन्तु यह कहना कठिन है कि वह कहां से आये ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि त्रिपुरा की नाजुक हालत को देखते हुए वहां हमारी सरकार ने कितनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इन्तिजाम किया है जिससे आइन्दा ये घटनाये न हों सकें ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : ऐसे मामलों में एन्टी एयरक्राफ्ट गन से काम नहीं चलता ।

२६ अगस्त १९६३ को दिल्ली में पुलिस द्वारा जनता को परेशान किये जाने का कथित समाचार

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"२६ अगस्त, १९६३ को दिल्ली में पुलिस द्वारा यातायात नियमों को अचानक और कड़ाई से लागू करने के कारण जनता को हुई परेशानी ।"

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं इसे हिन्दी में पढ़ूं अथवा अंग्रेजी में ।

अध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी में पढ़ दें और उस के बाद कुछ हिन्दी में भी बतला दें ।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय के पास हिन्दी में भी लिखा हुआ वक्तव्य मौजूद है। इसलिये वे हिन्दी में ही कह दें ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यातायात के नियम और विनियम सुचारू रूप से पालन गिये जायें इस हेतु दिल्ली प्रशासन ने २६-८-१९६३ को एक विशेष कार्यक्रम रखा । इस प्रकार की कार्यावाह पहले भी चलाई गई है जो सम्भवतः इतनी तीव्र नहीं थी । इस सम्बन्ध में १६ चल-न्यायालय कार्य कर रहे थे । दिन भर में १४२० मामले दर्ज हुए, जिनमें से १३८२ (मामलों) में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया । ३८ मामलों में उजर पेश किये गये, जिन के लिये सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों द्वारा अलग अलग तारीख लगाई जायेंगी । कुल, १८,७५६ रुपये के जुर्माने किये गये तथा १६,७१४ रुपये वसूल किये गये । जो व्यक्ति तत्काल जुर्माना अदा नहीं कर सके, उन्हें वैयक्तिक जमानत पर छोड़ दिया गया ।

जुर्माने अदालतों द्वारा लगाये गये और अभियुक्त व्यक्तियों को कानून के अधीन चाराजोई का सदा अधिकार है । उन सभी व्यक्तियों नें जिन के मामले तत्काल ही निपटाये गये थे, यह स्वीकार किया कि उन्होंने यातायात के नियमों का पालन नहीं किया था ।

चीफ कमिश्नर, दिल्ली की अध्यक्षता में बनी यातायात समिति, जिस के सदस्य कई सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति थे, ने भी यातायात के सभी नियमों तथा नियंत्रक उपायों को कड़े रूप में पालन करने की सिफारिश की है। इस समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमों को कड़े रूप में पालन कराने का सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि यातायात के मुख्य मुख्य केन्द्रों पर चल न्यायालय स्थापित किये जायें तथा जुर्माना तत्काल ही वसूल किया जाय ; मुझे विश्वास है, कि गम्भीर दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात को सुचारु रूप में रखने के हेतु सदन इह बात पर सहमत होगा, कि यातायात के नियम और विनियम पूरी तरह लागू किये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : क्या यह सही है कि पुलिस के सिपाहियों ने दो व्यक्तियों को बुरी तरह से मारा ? क्या ऐसे भी साइकिल सवारों का चालान किया गया जिन के पास दिन में रोशनी का इंतजाम नहीं था ? तीसरी बात यह है कि क्या ऐसे पदयात्रियों का भी चालान पुलिस द्वारा किया गया जो कि सड़क पार कर रहे थे और वहां नजदीक कोई क्रासिंग नहीं था और ऐसे लोगों का अगर चालान किया गया तो कितने लोगों का किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : अभी जो जवाब दिया गया उस के बाद माननीय सदस्य द्वारा किये गये सवाल के कई हिस्से ऐसे हैं जो कि उचित नहीं हैं। अभी होम मिनिस्टर ने कहा कि जिन का चालान किया गया उन्होंने कबूल किया कि उन से नियमों व कानून का उल्लंघन हुआ है जब कि आप कहते हैं कि जो बेगुनाह थे उनका चालान कर दिया गया और जो दिन में बत्ती नहीं रखते थे ऐसे साइकिल सवारों का भी चालन कर दिया गया। अब इस का क्या जवाब दिया जाय ?

श्री राम सेवक यादव : मैंने जो प्रश्न किया है वह अखबार में आया है कि दो आदमियों को बुरी तरह से पीटा गया बत्ती वाली भी शिकायत है और क्रासिंग की भी शिकायत उस में छपी है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह शिकायतें कहां तक सही हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे पूरे ब्यौरे की जानकारी तो है नहीं कि किन का चालान हुआ और किन का नहीं हुआ अगर साइकिल में दिन को बत्ती नहीं लगी हुई है, मैं नहीं जानता कि उस के खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं हुई, लेकिन ऐग्जीक्यूटिव द्वारा उस का यह अर्थ निकाला जा सकता है कि वह शाम को भी नहीं लगाता है अब हर वक्त आदमी लैंप अपनी जेब में तो रखता नहीं है कि जहां शाम हुई उस ने झट से निकाल कर अपनी साइकिल में लगा लिया . . .

अध्यक्ष महोदय : लेकिन दिन को अगर उस ने अपनी साइकिल में लैम्प न लगाया हो तो इस के लिये उसका चालान तो नहीं हो सकता।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : चालान तो नहीं हो सकता लेकिन ऐग्जीक्यूटिव द्वारा ऐसा इफ्रेंस निकाला जा सकता है कि जिस ने दिन को अपनी साइकिल में लैम्प नहीं लगाया हुआ है वह शायद रात को भी नहीं लगायेगा। मैं तो नहीं जानता, आप जज रहे हैं, लिहाजा आप इस कानूनी पहलू को अच्छी तरह समझ सकते हैं मगर एग्जीक्यूटिव जिस ढ़ंग से काम करती है, वह सरकारी प्रशासन इसका वैसा अर्थ जरूर निकाल सकता है। यह दूसरी बात है क उस पर कार्यवाही हो या न हो लेकिन गवर्नमेंट के कर्मचारी जरूर इस बात को ले सकते हैं कि जिस आदमी के पास लैम्प है ही नहीं वह रात को कहां से एकद से ले आयेगा और यह कि वह रात को भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन दिन में बत्ती न रखने के लिये उन पर कोई कार्यवाही हुई इस की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि समाचार पत्रों ने जिस रूप में इस चीज को पेश किया है मुझे उस से थोड़ा अफसोस हुआ है और मैं समझता हूं कि उस के मानी यह हैं कि हम दिल्ली शहर में ट्रैफिक रैगूलेशंस का कड़ाई और मजबूती से पालन करा ही नहीं सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा यह उग्र कार्यवाही एक सप्ताह की चेतावनी दिये बिना ही की गयी थी, और यह ऐसा बिलकुल * * *

---

†मूल अंग्रेजी में

*** अध्यक्ष-पीठ के आदेशानसार निकाला गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह * * * * क्या है ? एक पुराने सांसदविज्ञ द्वारा एक अनुपूरक पूछे जाने का क्या यही तरीका है ? आप सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा निवेदन है कि . * * * * असांसदीय नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस की अनुमति नहीं देता । यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : कार्यवाही से निकाले जाने के लिये इस में कुछ नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह इस प्रकार नहीं कह सकते थे "मनमाने ढंग से" ? प्रश्न पूछने का यही तरीका नहीं है ।

†**श्री रंगा** : यह कोई बुरी बात तो नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह** : * * * *

†**श्री हेम बरुआ** : इतिहास से उद्धृत करना क्या गलत बात है ? * * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : जो बातें आवश्यक नहीं हैं उन्हें क्यों कहा गया है ? वह सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पुलिस प्राधिकारियों ने एक सप्ताह की पूर्व सूचना भी नहीं दी और साइकिल और स्कूटर वालों पर ३ से १०० रुपये तक जुर्माना लिया जा रहा है । इस प्रकार जो जनता को परेशानी हो रही है उस के लिये सरकार के पास जांच करने के लिये क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जहां तक मुझे मालूम है समाचारपत्रों द्वारा प्रचार किया गया था कि अमुक तिथि से यह कार्यवाही आरम्भ की जायेगी । इस के अतिरिक्त, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि पुलिस जीपों में बैठ कर लाउड स्पीकरों द्वारा यह घोषित करती रही है कि यातायात नियम क्या हैं और मोटर गाड़ियां चलाने वालों और पैदल चलन वालों को कौन से नियमों का पालन करना चाहिये । इस प्रकार हम प्रचार करते रहे हैं . . .

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कृपया जांच करवाइये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे दिल्ली की जनता से प्रशंसा के पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में पुलिस की इस शिक्षात्मक कार्यवाही को सराहा गया है । इन परिस्थितियों में, ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व यह काफी था कि कुछ दिन पूर्व कुछ प्रचार किया जाय, और सामान्यतया, नियमों के पालन करने की सभी से आशा की जाती है ।

श्री गुलशन (भटिंडा) : क्या मैं जान सकता हूं कि सड़क यातायात नियमों का जनता द्वारा पालन न करने पर उन को दण्डित किया जायेगा और जुर्माने किये जायेंगे, इस के लिये क्या जनता को पहले से सचेत किया गया था या पुलिस ने अचानक ही एक दम से उन पर हमला कर दिया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बताया जा चुका है ।

श्री बूटा सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने ट्रैफिक रूल्ज को एन्फोर्स करने के लिये जो कैम्पेयन चला रखा है, वह कितनी देर तक रहेगा । क्या इस के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

****अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय : रूल्ज तो हमेशा जारी रहेंगे ।

पेपर्ज टु बी लेड आन दि टेबल ।

सभा में दिये गये कथित अशुद्ध वक्तव्य के बारे में

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के आदेश ११५ के अनुसार मैं कल के प्रश्नोत्तर काल में मंत्री द्वारा की गई गलतबयानी की आज सफाई कराना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि उस के बारे में आपको इत्तिला दे दी गई है या नहीं । आप की चिट्ठी मुझे मिली है और जैसा कि मैं ने पहले भी कहा है, अगर ११५ के नीचे कोई माननीय सदस्य मुझे लिखेगा, तो पहले मैं उस को मिनिस्टर को भेजूंगा और उन का जवाब ले कर पीछे उस के बारे में फैसला करूंगा। मैं ने आप की चिट्ठी को मिनिस्टर के पास उन के जवाब के लिये भेजा है । उस को आने दीजिये । इस तरह से आप कार्यवाही में दखल न दीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निजी सफाई देनी है, क्योंकि मंत्री ने हम लागों का बेईमान भी बताया है, जिन्हों ने भुखमरी की खबरें दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप को अवसर मिलेगा, तब आप कहियेगा । मुझे पता तो लगाने दीजिये कि उस के सम्बन्ध में उन्हों ने क्या कहना है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महादय, बेईमानी और भुखमरी ये बहुत . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । अब आप और चीजें न उठायें । आप ने मुझे लिखा है और मैं ने आप को बता दिया है कि मैं ने आप की चिट्ठी को मिनिस्टर के जवाब के लिये भेजा है । आप को इत्तिला भी दे दी गई है । क्या मुझे रोज कहना होगा कि आप इस तरह ये बातें न उठाया करें ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महादय, मैं आप का हुक्म बहुत ज्यादा मान रहा हूं और अब भी मानता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भुखमरी के साथ साथ बेईमानी को जोड़ देना किसी मंत्री को शोभा नहीं देता । यहां पर कल . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि मैं हुक्म मान रहा हूं और मेरे हुक्म के बरखिलाफ चले भी जा रहे हैं । अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खनिज रियायत नियम

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों को एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१४ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४३ में प्रकाशित खनिज रियायत (छठा संशोधन) नियम, १९६३।

(तीन) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७८ में प्रकाशित खनिज रियायत (सातवां संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० १५७९ / ६३]

संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३२३(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का बारहवां प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन में निर्दिष्ट एक मामले में आयोग की सलाह न मानने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० १५८० / ६३]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्ण मूर्तिराव** (शिमोग) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)** : मैं, डा० का० ला० श्रीमाली की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के संकल्प संख्या एफ० १२२-३/३५—ई० के पैरा ३(२)(घ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अगले कार्य-काल में उसके सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के संकल्प संख्या एफ० १२२—३/३५—ई० के पैरा ३(२)

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अगले कार्य-काल में उसके सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री चे० रा० पट्टाभिरामन द्वारा २६ अगस्त, १९६३ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: युद्ध काल में यह आवश्यक हो जाता है कि असैनिक कर्मचारियों को युद्ध में आई चोटों के लिये अनुतोष देने सम्बन्धी उपबन्ध करने के लिये विशेष विधान बनाया जाय । कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३, और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ में साधारण उद्योगों सम्बन्धी चोटों के लिये अनुतोष देने सम्बन्धी उपबन्ध हैं । इन अधिनियमों के अन्तर्गत युद्ध में आई चोटों के लिये प्रतिकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तो औद्योगिक श्रमिकों में युद्ध से क्षति की सीमा तथा गम्भीरता इस बात पर निर्भर करती है कि औद्योगिक क्षेत्र की युद्धावश्यक महत्ता और प्रहार्यता कितनी है । दूसरे यह स्पष्ट है कि यदि युद्ध में आई चोटों के प्रतिकर के लिये नियोजक को जिम्मेदार ठहराया जाय तो इसका बोझ उन नियोजकों पर पड़ेगा जिन के उद्योग उन क्षेत्रों में हैं जहां शत्रु की कार्यवाही का खतरा बना रहता है । बहुत से मामलों में यह दायित्व नियोजकों के लिये असहय होगा । इस के अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा में वह इतने घाटे में रहेंगे कि कभी न कभी उन्हें उस उद्योग को समाप्त करना पड़ेगा ।

तदनुसार, जब अक्तूबर, १९६२ में आपात की घोषणा की गयी तो ऐसे अनुतोष का उपबन्ध करने वाले विधान बनाने की कार्यवाही की गयी । यह अनुतोष केवल भारत की संचित निधि में से दिया जा सकता था, और यह आवश्यक तौर पर कम से कम दिये जाने का उपबन्ध करना था । उसी अनुतोष का उपबन्ध करने के लिये दिसम्बर, १९६२ में व्यक्तिगत चोटें (आपात उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ लागू किया गया । अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार को इन के सम्बन्ध में अनुतोष देने के लिये योजना अथवा योजनायें बनाने की शक्ति प्राप्त है : (१) आवश्यक काम पर लगे और अन्य वर्गों के लोगों को जिन का उल्लेख हो, आई व्यक्तिगत चोटें और (२) असैनिक प्रतिरक्षा सेवकों को आई व्यक्तिगत चोटें । दिसम्बर, १९६२ में व्यक्तिगत चोटें (आपात उपबन्ध) योजना, १९६२ नामक एक योजना अधिसूचित की गयी । इस योजना में, केन्द्रीय सरकार की निधियों में से, लगभग भारतीय सेना की निम्नतम पंक्ति को अनुतोष के रूप में दी जाने वाली राशि के समान अनुतोष देने का उपबन्ध है । असैनिक प्रतिरक्षा सेवकों को इस से कुछ अधिक दर पर अनुतोष देने का उपबन्ध है, जैसे कि सेना की अगली ऊंची पंक्ति ।

व्यक्तिगत चोटें (आपात उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत व्यक्तिगत चोटों के लिये कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ में प्रतिकर देने के नियोजकों के दायित्व को हटा दिया गया है । व्यक्तिगत चोटें (आपात उपबन्ध)

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना, १९६२ के अन्तर्गत अनुतोष दर का सम्बन्ध जिन व्यक्तियों को चोटें आती हैं उन की मजूरी की दर से नहीं है, जिस के परिणामस्वरूप वह अधिक मजूरी पाने वाले मजदूरों को समुचित प्रतिकर नहीं देते । इस योजना के अन्तर्गत सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह सरकारी निधियों में से कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग को अग्रेतर प्रतिकर देने का दायित्व अपने ऊपर ले यद्यपि यह युक्तियुक्त बात है कि कुछ नियोजकों के लिये प्रतिकर देना आवश्यक हो । इस दृष्टि से, अनुपूरक विधान का प्रस्ताव किया गया है कि कुछ वर्ग के कर्मचारियों को व्यक्तिगत चोटें आने पर अधिक दर से प्रतिकर मिल सके ।

आपातकाल में युद्ध के परिणामस्वरूप औद्योगिक सम्पत्तियों और वस्तुओं को पहुंच सकने वाली हानि के लिये संरक्षण देने की दृष्टि से वित्त मंत्रालय ने आपात जोखिम बीमा योजना, आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ और आपात जोखिम (वस्तुयें) बीमा अधिनियम, १९६२ लागू किये हैं ।

जिस विधान का अब प्रस्ताव किया गया है यह किसी सीमा तक आपात जोखिम बीमा योजनाओं के समान होगा ।

गत युद्ध के दौरान, युद्ध चोटें (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, १९४३ इसलिये लागू किया गया था कि कुछ वर्ग के लोगों के लिये ऊंची दर पर प्रतिकर का उपबन्ध हो और नियोजकों के लिये अनिवार्य बीमे का उपबन्ध हो । अब परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार एक उसी प्रकार का विधान, कुछ परिवर्तनों से, लाने का प्रस्ताव है, जैसा कि व्यक्तिगत चोटें (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३ में दिया गया है ।

इस विधेयक का उद्देश्य कारखानों, खानों, बड़े पत्तनों, अत्यावश्यक सेवाओं आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के नियोजकों पर यह दायित्व लागू करना है कि वह व्यक्तिगत चोटों के लिये कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रतिकर की सीमा तक प्रतिकर दें । विधेयक में नियोजकों के लिये दायित्व का बीमा कराने की योजना है । जो उन प्रीमियम दरों पर आधारित होगा जो समय समय पर होने वाले दायित्व की वास्तविक प्रकार अथवा सीमा के अनुसार बदलता रहेगा ।

यह विधेयक समूचे भारत पर और सम्बद्ध नियोजकों पर लागू होता है चाहे उन के उद्योग ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां शत्रु की कार्यवाही से उन्हें खतरा बना रहता है अथवा नहीं । सभी को दायित्व का बीमा कराना पड़ेगा । यह इसलिये किया गया है कि इस प्रकार प्रीमियम की दर कम रह सकेगी और साथ ही साथ बीमा निधि के लिये पर्याप्त राशि संग्रहीत हो सकेगी ।

विधयक जब पारित हो जायेगा तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखत तिथि से लागू होगा । इस का उद्देश्य यह है कि इसे उसी सूरत में लागू किया जाय जब कि शत्रुता के कारण असैनिक हानि की सम्भावना हो ।

चाहे एक कामगार कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ में अन्तर्हित हो प्रतिकर की अदायगी एकसम आधार पर किये जाने का उपबन्ध है। ऐसा व्यवहार्यता, समता आदि की दृष्टि से आवश्यक समझा गया है ।

कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत कवरेज के लिये मजूरी की मासिक सीम ५०० रुपये है और प्रतिकर की दरें मजूरी से संबद्ध होंगी । ४००·०१ रुपये से ५०० रुपये के बीच मजूरी पाने वाले कामगार अधिकतम मजूरी के हकदार होंगे । ५०० रुपये से अधिक मजूरी पाने वालों के लिये भी इसी दर से प्रतिकर का उपबन्ध है ।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

यह सम्भव है कि कुछ नियोजक उपबन्धित दरों से भी बढ़ कर प्रतिकर देने को तैयार हों। इसलिये विधेयक के खंड ५ में उपबन्ध किया गया है कि वह विधेयक में उपबन्धित प्रतिकर से अधिक प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

जो सरकारी कर्मचारी असाधारण निवृत्ति-वेतन, उपदान, आदि, के हक़दार हैं उनके लिये विधेयक के खंड ६ में उपबन्ध है कि वह असाधारण निवृत्ति-वेतन, उपदान, आदि से अधिक प्रतिकर के अधिकारी होंगे।

प्रत्येक नियोजक, जो इस विधेयक से प्रभावित होगा, केन्द्रीय सरकार से एक बीमा-पत्र लेगा और यह बीमा-पत्र आपात के समाप्त होने तक होगा अथवा उस तिथि तक जब वह नियोजक नहीं रहता, यदि यह तिथि पहले आये तो।

वह नियोजक इस विधेयक से मुक्त हैं जिनका तीन मास का मजूरी बिल १५०० रुपये से कम है। छोटी-छोटी स्थापनायें, जैसे छोटे पैमाने के उद्योग, चूंकि सामान्यतया बिखरी हुई होती हैं इसलिये उन से प्रीमियम एकत्रित करने पर प्रशासनिक व्यय एकत्रित किये जाने वाले धन से अधिक होगा। इसलिये उन्हें छूट दी गई है। थोड़े समय के लिये काम करने वाले ठेकेदारों को भी इस विधेयक की सीमा में नहीं लाया गया है। नियोजकों को दी गयी इस छूट का काम करने वालों के दावों पर असर नहीं पड़ेगा और प्रतिकर उन्हें सीधे बीमा निधि से दिया जायेगा।

विधेयक की योजना इस प्रकार है कि नियोजक द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम की कुल राशि आपात के पश्चात् कुल दायित्वों को सामने रखते हुए निर्धारित की जायेगी परन्तु नियोजकों को उस अन्तिम कुल प्रीमियम की अदायगी पेशगी करनी होगी। यह अग्रिम अदायगियां नियोजकों से अधिक से अधिक तीन मास में एक बार ली जायेंगी। आपात जोखिम बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम भी तीन मास में एक बार लिया जाता है। प्रीमियम की दर सरकार द्वारा समय समय पर दायित्वों को सामने रखते हुए निर्धारित की जायेगी।

व्यक्तिगत चोटें प्रतिकर बीमा निधि में वह सब राशियां शामिल होंगी जो बीमा प्रीमियम आदि के रूप में प्राप्त होंगी। इस निधि का प्रयोग कामगारों को प्रतिकर देने के लिए किया जायेगा। बीमा योजनाओं के लिए नियुक्त अभिकर्ताओं को पारिश्रमिक और योजना के प्रशासन पर आने वाले खर्चे को भी इस निधि से पूरा किया जायेगा।

उद्देश्य यह है कि यह निधि आत्मनिर्भर हो परन्तु यदि यह कभी घाटे में हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पेशगी दिये जाने का उपबन्ध है। पेशगी को भविष्य के प्रीमियम में से पूरा किया जायेगा। यदि सब प्रकार की अदायगियां कर चुकने के पश्चात् निधि में धन बच जाता है तो उसका निबटारा उस प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार निश्चय करे।

यह बीमा योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं द्वारा चलाई जायेगी। योजना को कार्यान्वित करते हुए जो वास्तविक व्यय उनके द्वारा किया जायेगा वह पारिश्रमिक के रूप में उन्हें बीमा निधि में से अदा किया जायेगा। मुझे आशा है कि सभा के सभी पक्ष विधेयक का समर्थन करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (शोहंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है। राष्ट्रपति की सिफारिश की सूचना सचिव को इस प्रकार दी गई है :

"राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक की वस्तु-विषय के विषय में सूचित किये जाने के बाद .... लोक-सभा से विधेयक को पुरस्थापित करने और इस पर विचार करने की सिफारिश करती है।"

मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रपति के साथ औपचारिक व्यवहार किया गया है। पता नहीं राष्ट्रपति को विधेयक के विषय के बारे में फोन पर सूचित किया गया था या किसी और तरह। किन्तु इस प्रकार उन्हें सूचित किया जाना उचित और पर्याप्त नहीं है। सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब तक राष्ट्रपति के पास विधेयक की प्रति, और सारे सम्बन्धित कागज न हों तब तक वह युक्तियुक्त स्वस्थ निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यहां दी हुई राष्ट्रपति की सिफारिशें नियमानुकूल नहीं हैं। इसलिये यह विधेयक, राष्ट्रपति की नियमित सिफारिश के बिना, नियमानुकूल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सिफारिशें नियमानुकूल नहीं हैं या राष्ट्रपति को दिये गये कागज पत्र ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह देखते हुए कि राष्ट्रपति के पास भेजे गये कागज-पत्र समुचित और पर्याप्त नहीं थे और राष्ट्रपति की सिफारिश उन अपर्याप्त कागज-पत्रों पर आधारित है मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति की मंजूरी नियमानुकूल नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : यह पहला ही अवसर है जब विधेयक के साथ संलग्न किया गया है। संविधान के अनुच्छेद ११७ के अनुसार आरम्भ राष्ट्रपति की ओर से होना चाहिये। किन्तु यदि और भी कार्यवाही आवश्यक हो जैसेकि वर्तमान परिस्थिति में, जबकि व्यय भारत की संचित निधि से किया जाना है, तो राष्ट्रपति की अग्रेतर सिफारिश की आवश्यकता है। किन्तु इस मामले में यह प्रतीत नहीं होता कि इस बात का आरम्भ राष्ट्रपति से हुआ है अथवा राष्ट्रपति ने इसके पुरस्थापन तथा इस पर विचार करने के विषय में सिफारिश की है। इससे तो केवल यही पता चलता है कि मंत्री इसको चाहते थे और राष्ट्रपति ने केवल 'हां' कर दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुच्छेद ११७ में यह दिया हुआ है :

"विधेयक या संशोधन ..... राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरस्थापित या प्रस्तुत न किया जायेगा ....."

अब, इसके साथ सिफारिश है और वह नियमानुकूल है। और हम विधेयक के पुरस्थापन और इस पर विचार करने का कार्य आरम्भ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को दी गई सूचना पर्याप्त है या नहीं, यह देखना उनका काम है। सारे कागज-पत्र उनको भेजने होते हैं। और जब तक कोई ऐसी बात नहीं मिल जाती जो नियम के विपरीत अथवा कानून के विपरीत हो तब तक यही समझा जायेगा कि सारी बातें नियमित रूप से हुई हैं। इसके अतिरिक्त दोनों माननीय सदस्यों ने नियम ३४८ पर ध्यान नहीं दिया है। इसमें यह दिया हुआ है :

"राष्ट्रपति की प्रत्येक मंजूरी या सिफारिश मंत्री द्वारा सचिव को निम्न रूप में संसूचित की जायेगी :

"राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक, प्रस्ताव अनुदान की मांग या संशोधन की विषय-वस्तु से सूचित किये जाने के बाद विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने या संशोधन के प्रस्तुत किये जाने के लिये .....विचार करने की सिफारिश करता है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

अतः यदि यह किसी दूसरे रूप में होती तो यह आपत्ति उठाई जा सकती थी कि यह निर्धारित नियमों के अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं आपत्ति को रद्द करता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आपने कहा कि जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता हम यही समझेंगे कि हर बात नियमानुकूल है। हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाये हम यही मानेंगे कि सब नियम के अनुसार ही है। श्री नम्बियार।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि यह एक आपातकालीन विधान है। किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि जहां तक संभावित कष्टों का प्रश्न है में ऐसा विधान बनाना चाहिये। एक विधान पहले भी १९६२ में बनाया गया था जिसका नाम व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम १९६२ है जिसमें कर्मचारियों और मजदूरों को प्रतिकर देने का उपबन्ध है। जहां तक मजदूरों का प्रश्न है उन्हें कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिकर मिल सकता है। १९६२ के अधिनियम के अनुसार अब मजदूर कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकते ; केवल बम आदि के गिरने से पहुंची क्षति के लिये वे सरकार से ही प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं अपने नियोजकों से नहीं। किन्तु सरकार उन्हें वास्तविक रूप में कोई प्रतिकर नहीं देगी, केवल इसके स्थान पर प्रतिकर देने का वचन अवश्य दे देगी। व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम के पारित किये जाने के बाद ऐसी स्थिति बन गई है। अब मंत्री महोदय ने इस स्थिति में कुछ सुधार किया है। सरकार प्रतिकर की मात्रा बढ़ा कर कामगार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के समान कर देना चाहती है। अब सरकार की यह योजना है कि नियोजक कुछ प्रीमियम भारत की संचित निधि में जमा किया करेगा जिसमें मजदूर का प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

किन्तु इससे स्थिति और भी उलझनपूर्ण हो गई है। मजदूर को यह मालूम नहीं है कि वह प्रतिकर प्राप्त करने के लिये कहां जाये। जिस मजदूर को चोट पहुंची है उसे इन दो अधिनियमों के अनुसार नियोजक से प्रतिकर नहीं मिल सकता, उसे सरकार के पास प्रार्थनापत्र देना होगा। पता नहीं सरकार इसके लिये कौनसी व्यवस्था कर रही है। कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत वह कमिश्नर के पास प्रतिकर के लिये जाता था किन्तु अब वह वहां भी नहीं जा सकता।

यह तर्क किया जा सकता है कि यह आपातकाल है और इसलिये उस मजदूर को कुछ कष्ट झेलने ही चाहियें। यदि साधारण नागरिक को कोई चोट पहुंच जाये तो वह क्या करेगा ? वह अपने को साधारण नागरिक से अलग क्यों समझता है ? किन्तु इस तर्क के प्रति मेरी आपत्ति यह है कि आप ही इस अधिनियम के अधीन कामगार प्रतिकर अधिनियम से प्राप्त उसके अधिकारों को क्यों छीन रहे हैं ?

मूल अंग्रेजी में

प्रस्तुत विधेयक से पहले अधिनियम से उत्पन्न स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और उस सीमा तक मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु यह सारी समस्या को और उलझा देता है। मैं आपातकाल या सम्भावित शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु यदि सरकार प्रस्तुत परिस्थितियों में व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ का निरसन कर देती तो अच्छा था। स्थिति वही हो जाती जो आपातकाल के पूर्व थी। इसके अतिरिक्त जहां तक "मजदूर" शब्द की परिभाषा का प्रश्न है कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सारे मजदूर इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किये गये। मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार के विधेयक में भी मजदूरों में विभेद क्यों किया गया है। परिणामस्वरूप प्रतिकर का अधिकार भी कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मजदूर को प्राप्त नहीं होता।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

किन्तु सरकार यह तर्क प्रस्तुत कर सकती है कि यदि युद्ध हो जाये और कुछ व्यक्तियों को चोटें आ जायें तो सरकार रुपया कहां से लायेगी ? इसलिये वह यह कोष बनाना चाहती है जिसमें नियोजकों से लेकर रुपया जमा किया जाये। मेरा सुझाव यह कि इस प्रतिकर के भुगतान का उत्तरदायित्व नियोजक पर ही क्यों न छोड़ दिया जाये ? यदि वह किसी चोट के लिये जो काम करने के कारण नहीं अपितु युद्ध के कारण मजदूर को पहुंची है, और यदि वह उसे वह राशि देता है तो सरकार संचित निधि में से लेकर उतनी ही राशि उस नियोजक को दे सकती है। अन्यथा होगा यह कि जिस नियोजक का कारखाना ट्यूटीकोरन में है उसे भी १०,००० मील दूर सीमान्त पर होने वाली संभावित घटनाओं के कारण प्रीमियम देना होगा और उसे केवल कुछ ही राशि देनी होगी। और दावा किये जाने के बाद फिर इसका समायोजन किया जायेगा। इस प्रकार सारी स्थिति उलझनपूर्ण हो गई है।

प्रतिकर का भुगतान करने के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कमिश्नर कौन है ? मजदूर याचिका किसको देगा ? हम एक के बाद एक अधिनियम बनाते जा रहे हैं पर मुझे यह मालूम नहीं कि उनको किस प्रकार लागू किया जायेगा। मुझे यह भय है कि यह विधान कहीं निष्क्रिय बन कर न रह जाये।

मेरा पहला निवेदन तो यह है कि व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबंध) अधिनियम, १९६२ का निरसन कर दिया जाये। और यदि यह स्वीकार न हो तो इस प्रकार इस का संशोधन कर दिया जाये कि कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सारे मजदूर इसके अन्तर्गत आ जायें।

सामयिक मजदूरों को यह कह कर छोड़ दिया गया है कि उन का प्रीमियम निर्धारित करना संभव नहीं है। किन्तु चोट तो उन्हें भी लगेगी। वह दूसरे मजदूरों के समान ही कार्य करता है। हम चाहते हैं कि यह सामयिक मजदूरों की पद्धित समाप्त कर दी जाये।

अधिनियम ऐसे नियोजकों पर लागू होता है जो प्रति तिमाही १५०० रुपये की मजूरी देते हैं। किन्तु कितने मजदूर वहां होने चाहियें, किस प्रकार के उद्योग इसके अधीन आयेंगें, इसके विधान में कुछ नहीं कहा गया। जो कारखाने इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते उनमें काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा ?

किन्तु आजकल की परिस्थिति को देखते हुये यही प्रार्थना है कि युद्ध का संकट आये ही नहीं।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : इस विधेयक के सिद्धांत का मैं स्वागत करता हूं किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से मैं कई आधारों पर इसके विरोध में कुछ कहना चाहता हूं ।

यह आपातकालीन विधान है । किन्तु हम सब लोग जानते हैं कि आपातकाल को किस प्रकार समझा जा रहा है । सरकार रुपया अपने हाथ में ले लेगी किन्तु भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि व्यवहार में ऐसा आपातकाल है ही नहीं ।

सरकार यह कह सकती है कि वह अपने हाथ में शक्ति ले रही है किन्तु अनुभव यह बतलाता है कि सरकार अपने हाथ में शक्ति ले कर विचित्र प्रकार से ही इसे लागू करती है । सरकार रुपया ले कर खजाने में रख लेती है, किन्तु जब तक अभीष्ट प्रयोजन के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाये तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है । इसलिये यह विधेयक लाया ही नहीं जाना चाहिए था; किन्तु चूंकि यह प्रस्तुत कर दिया गया है इसलिये जब तक वास्तविक आपातकाल न उपस्थित हो इसे लागू न किया जाये ।

ऐसे विधेयकों के पारित किये जाने से गरीब और छोटे नियोजक ही इससे अधिक प्रभावित होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं । हमने वनस्पति तेल पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया था । परिणाम यह हुआ कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग को घानी वाले व्यक्तियों को छूट देनी पड़ी ।

मुसीबत यह है कि सरकार संघटित लोगों की ही आवाजें सुनती है और छोटे उद्योगों के मजदूर संगठित होते नहीं फिर इस विधेयक को पारित करने और लागू करने के बाद क्या होगा । बड़े उद्योग शहरों में हैं और शहरों में ही बम गिराये जायेंगे । दूरस्थ स्थानों के मजदूरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा और लाभ होगा शहर वालों को ।

चोट के विषय में दी गई अनुसूचि कामगार प्रतिकर अधिनियम के ही समान है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि युद्ध के दिनों में किस प्रकार की चोटें आ सकती हैं । प्रतिशतता वास्तविक नहीं और जोड़ने पर १०० से भी अधिक हो जाती है । उदाहरणार्थ दोनों हाथ चले जाने पर १०० प्रतिशत दाहिने हाथ के कंधे से कट जाने पर ९० प्रतिशत है । इस प्रकार की कई बातें हैं । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि युद्ध में एक ही प्रकार की चोट पहुंचे । मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । श्री नम्बियार ने ठीक ही यह आपत्ति उठाई है कि जिन कारखानों पर यह लागू नहीं होगा उनके मजदूरों का क्या होगा । मेरा सुझाव है कि निम्नतम सीमा भी १५०० से बढ़ा कर २००० रुपये कर दी जाये ।

खंड ९ के अनुसार अधिनियम के उतने धन पर २००० रुपये औरलगातार उल्लंघन करने पर १००० रुपये प्रतिदिन तक का अर्थ दण्ड होगा। खंड १५ और १६ में भी अर्थ दण्ड का उपबंध है । किन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि खंड ९ के अधीन न्यायालय में उसका चालान किये जाने के बाद उस पर खंड १५ और १६ के उपबंध किस किस प्रकार लागू किये जा सकते हैं ।

सरकार की वर्तमान नीति यह है कि बड़े आदमियों के हितों की रक्षा हो । छोटे व्यक्तियों की वह उपेक्षा करती है । सरकार को चाहिये था कि कुछ वर्ग के लोगों को इस अधिनियम से विमुक्त करती । मैंने इसके लिये भी संशोधन प्रस्तुत किया है ।

खंड १८ के अधीन अपराधों का अभिसंधान किया जा सकता है । यह उचित नहीं है । अपराध की सजा दी जानी चाहिये

†**डा० गायतोंडे** (गोआ, दमन और दीव) : श्रीमान् मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि पिछले विधेयक से इसमें कुछ सुधार हुआ है । पहले विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं था किन्तु इस बार कुछ अनुमान लगाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक परिहास जनक है। बायें हाथ को दायें हाथ से कम महत्व दिया है। किन्तु जिस व्यक्ति का बायां हाथ ही चलता है उसका क्या होगा ? पैरों के विषय में इसने कहा है कि दो अथवा अधिक पैरों की क्षति पर। क्या भारत में किसी के दो से भी अधिक पैर हैं ?

पृष्ठ १४ पर चोट की व्याख्या की गई है। दाहिने हाथ की चार अंगुलियों की क्षति पर ५० प्रतिशत और बायें हाथ की चार अंगुलियों पर ४० प्रतिशत रखा गया है। यहां भी बायें हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को हानि उठानी पड़ेगी ?

हमारे यहां पांच इंद्रियों का वर्णन है किन्तु माननीय मंत्री ने आंख और कान दो को ही लिया है। शेष का क्या होगा? अगर जीभ कट गई-तो वह संसद् का सदस्य नहीं बन पायेगा। और फिर आन्तरिक अवयवों का क्या बनेगा ? इस विधेयक को दुबारा से ड्राफ्ट किया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय विशेषज्ञों से इस बात का अध्ययन करवाएं कि क्या प्रतिकर होना चाहिए या आपातकाल में कितने लोगों को चोटें लगेंगी या कितने लोग मरेंगें ऐसा हिसाब तो संभव है। अन्य देशों में ऐसा किया जा चुका है। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या उनके मंत्रालय में ऐसा अध्ययन किया गया है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं उनको आश्वासन देता हूं कि ऐसा किया गया है।

†**डा० गायतोंडे** : तो फिर वे क्यों कहते हैं कि हताहतों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : पहली किस्म के युद्ध नहीं होते। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भविष्य क्या होगा। इंगलैंड में पुराने युद्ध में तो अच्छा था, राइफल से निशाना बनाना और मशीनगन इत्यादि वे अब अच्छा नहीं हो सकता। हमने उनके बारे में सोचने की कोशिश की है।

†**डा० गायतोंडे** : मैं मंत्री महोदय को इंगलैंड की नकल करने के लिए नहीं कहता। दूसरे देशों में जो अनुमान लगाए गए हैं वे कोई गलत सिद्ध हुए, परन्तु उन्होंने अनुमान तो लगाए। हमें इस बात का कुछ तो अनुमान होना चाहिए कि क्या होगा ? अनुसूचियों को बिल्कुल बदलना चाहिए। मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए और एक वित्तीय विज्ञापन शामिल करने के लिए बधाई देता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबंध) विधेयक, १९६२ को राष्ट्रपति ने १९-१२-१९६२ को अनुमति दी थी। स्कीम २२ दिसम्बर, १९६२ को बनाई गयी थी और प्रकाशित की गई। स्कीमें पहले क्यों नहीं बनाई गईं और विधेयक के साथ क्यों नहीं रखी गईं।

यह तो छिपे रास्ते से दण्ड लगाने के लिए कानून बनाना है। अधिनियम में ही उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि स्कीम द्वारा किसी उपबंध का उल्लंघन किया जाए तो अधिनियम में ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं वे अनुसूचि में लगाई जानी चाहिएं ताकि उसके सारे पहलुओं का अध्ययन हो सके।

जो स्कीम २२ दिसम्बर, १९६२ को प्रकाशित की गई थी मैं उसे देख रहा था। पात्र व्यक्तियों (अलिजिबल पर्सन्ज़) की जो परिभाषा दी हुई है मैं उससे सहमत नहीं हूं। माता पिता को तो पेंशन मिल सकती है, परन्तु लड़की को नहीं। जिन स्कीमों के लाए जाने के बारे में सरकार को जानकारी होती है उनको विधेयक में अनुसूचियों के रूप में शामिल कर लेना चाहिए।

आपने एक बच्चे के पालन पोषण के लिए ५ रुपए प्रतिमास की व्यवस्था की है। क्या पांच रुपए से एक महीने के लिए निर्वाह हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

आजकल जो कानून बनाए जाते हैं उनमें एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उसकी रोकथाम की जानी चाहिए। हर समय यही उपबन्ध रखा जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत, सजा दी जा सकने वाले अपराध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जब तक केन्द्रीय सरकार की अनुमति न ले।

किसी कानून का प्रारूप बनाने के लिए कोई विशिष्ट तरीका होना चाहिए। उसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

†श्री काशी नाथ पांडे (हाता): यह विधेयक आपातकाल के लिए ही है। इससे कर्मचारियों और नियोजकों को लाभ होगा।

इस विधेयक को अधिक लोगों पर लागू करना चाहिए क्योंकि बमबारी आदि होने पर कारखानों में काम करने वाले लोगों को भी हानि नहीं होगी, परन्तु सड़कों और पुलों को भी नुकसान होगा और मरम्मत हमेशा जारी रहेगी। ऐसे मजदूरों पर भी यह विधेयक लागू होना चाहिए। इस मामले के सम्बन्ध में सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे।

फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत सभी कारखाने नहीं आते हैं। केवल वही कारखाने आते हैं। जिनमें कर्मचारी १० से अधिक होंगे। कुछ कारखाने ऐसे होंगे जिनके कर्मचारी १० से कम होंगे, परन्तु जो प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सामान बना रहे होंगे। क्या ऐसे कारखानों पर यह विधेयक लागू नहीं होगा?

इस विधेयक के उपबन्धों से पता चलता है कि कुछ छोटे कारखानों को छूट दी गई है। इन कारखानों के कर्मचारियों पर आश्रित लोगों को उनकी मृत्यु होने पर प्रतिकर मिलना चाहिए।

†श्री यशपाल सिंह (कैराना): अधिष्ठाता महोदय, इस बिल का नाम कुछ समझ में नहीं आया। इस बिल का नाम तो 'सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट बिल' होना चाहिये था क्योंकि जो ग़रीब मज़दूर हैं उनको इग्नोर किया गया है। एग्रीकल्चरल लेबर जोकि लाखों की तादाद में है उसका नाम तक इस बिल में नहीं आया है। थोड़ी सी यूनियनें हैं जिनका कि थोड़ा बहुत शोर माननीय मन्त्री के कानों में पहुंच जाता है, उनके लिए यह बिल लाया गया है लेकिन जो लाखों की तादाद में एग्रीकल्चरल लेबर हैं उसका नाम तक इस बिल में नहीं है। इसलिए इसके बजाय कोई कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाय जिससे खेतिहर मजदूरों को फ़ायदा हो सके।

दूसरी बात यह है कि इसके अन्दर जो इमरजेंसी पीरियड रखा गया है वह बहुत वेग है। इमरजेंसी के कोई माने नहीं हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी इसी हाउस में कह चुके हैं कि यह १०, २०, ४० या ५० वर्षों के लिए रहे। यह हमारे प्रधान मन्त्री जो कांफ्रेंस कर चुके हैं कि चीन के एग्रेशन से हम लोग ५० साल तक भी प्रभावित रह सकते हैं। इसलिए यह बड़ा वेग है और इसके लिए कोई फिक्स्ड टर्म आनी चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि इसमें जो १५०० रुपये रक्खा गया है वह इस जमाने को देखते हुए बिल्कुल ही नाजायज़ है और क़तई नामुनासिब है। इसमें लिखा है:

"कोई कर्मचारी या मजदूर जिस पर यह कानून लागू होता है या लागू किया जाएगा उन कर्मचारियों को छोड़ कर जिनकी कुल मजूरी इस अधिनियम को लागू होने के बाद किन्हीं तीन महीनों के लिए १५०० रुपये से अधिक न हो।"

---

†मूल अंग्रेजी में

आज के दिन १५०० रुपये के कोई मानी नहीं है। कारखानेदार जो सरकार की आंखों में धूल झोंकते हैं, ढाई अरब रुपया उन कारखानेदारों के पास बकाया रहता है, वह इनकमटैक्स का रुपया मिल मालिकान के पास पड़ा है जो कि ओवरड्यू है लेकिन आज तक सरकार उसको उनसे वसूल हीं कर सकी है। सरकार न तो उनके रजिस्टरों का पता लगा सकी और न उनके एकाउण्ट्स को देख सकी और न ही उनकी चैकिंग कर सकी है। इसलिए हर एक मज़दूर जो कि किसी कारखाने में काम करता है, भले ही वह कारखाना छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक निगाह से देखना चाहिए और उसके लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए। हर एक मज़दूर को यह राहत दीजिये और उसके लिए फिक्सेशन हो। उसके लिए एक निश्चित समय हो, एक काल बिल्कुल निश्चित हो जिससे कि यह ठीक से शुरू हो। बजाय इसके कि सरकार के हाथों में इसे दिया जाय एक इस तरीके की आटोनमस कारपोरेशन हो जिसमें कि मज़दूरों का सही रिप्रेज़ेंटेशन हो। सरकार आज भी पोलिटिकल सफरर्स को जो पेंशन दे रही हैं उसमें उन लोगों को आज तक पेंशन नहीं मिली है जोकि २०,२० साल तक जेल में रहे हैं। इसलिए मज़दूर यूनियनों के जरिए, मज़दूरों की एक कारपोरेशन हो, उनके जरिए यह इंश्योरेंस स्कीम लाई जाय। अगर सरकार के [illegible] किया जायेगा तो फिर उससे फेवरेटिज्म होगी, निपोटिज्म होगी और भाईभतीजावाद चलेगा। बेहतर यह होगा कि इसके बजाय एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाय। कम से जो खेतिहर मज़दूर हैं उनकी फ़सलों का बीमा करने का भी कोई इन्तजाम होना चाहिए।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के हाथों में से लेकर इसको जो मज़दूरों की कारपोरेशन हो, मज़दूरों की जो कोआपरेटिव्स हैं, मज़दूरों की जो सोसाइटीज़ हैं, मज़दूरों की जो यूनियन्स हैं उनके हाथ में इसे दिया जाय और खेतिहर मज़दूरों के ऊपर भी इसको लागू किया जाय।

†श्री हरि विष्णु कामत : पहला विधेयक पिछले दिसम्बर कानून बना था और आठ महीने के अन्दर संशोधन वाले विधेयक में आ गया है। इस विधेयक वाली बात पर पहले क्या ध्यान नहीं दिया गया था।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं।]

विधेयकों के प्रारूप तैयार करते समय एक ही मतलब के लिए सब स्थानों पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के पैरा ३ में कहा गया है कि नियोजकों द्वारा अनिवार्य बीमे के लिए प्रीमियम हर तीन महीने बाद लिया जाया करेगा, परन्तु विधेयक पर विचार के प्रस्ताव के समय मन्त्री महोदय ने बताया था कि प्रीमियम आपातकाल समाप्त होने से पहले लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी जाय। वित्तीय विज्ञापन के पृष्ठ ४ पर मन्त्री महोदय ने कहा कि इस बात का पता नहीं कितने व्यक्ति हताहत होंगे। फिर आगे यह भी दिया हुआ है कि बीमे की योजना के अन्तर्गत ६० लाख लाग आयेंगे। आगे चल कर १ प्रतिशत को प्रतिकर दिए जाने के बारे में कहा गया है। यह इन सब आंकड़ों का ब्योरा दिया जाए।

चेहरे की सख्त चोटों और बहुत सख्त चोटों में क्या अन्तर है। माननीय मन्त्री को इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहिये।

विभिन्न चोटों के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका मतलब समझा दिया जाए। जैसा कि एक आंख के खोए जाने और एक आंख की रोशनी के खोए जाने में क्या अन्तर है।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : एक का मतलब है एक आंख की हानि। दूसरे का मतलब आंख की रोशनी का नुकसान है। यह टैक्नीकल मामला है। मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस विधेयक के कार्यान्वयन में काफी कठिनाइयां होंगी।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन): यह हर्ष की बात है कि सरकार यह विधेयक लाई है। परन्तु यह विधेयक व्यापक नहीं है। कई प्रकार की चोटों को छोड़ दिया गया है।

इस विधेयक में किसी काम के कारण बीमारियां भी आनी चाहिएं। कारखानों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया है ?

मैं समझ नहीं सका कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में इतना समय क्यों लग गया है। श्रमिकों को व्यवसाय सम्बन्धी रोगों से बचाने के लिये रोक थाम के उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करना ही है अतः जिस किसी कारखाने पर भी यह लागू होता है वहां के श्रमिकों को क्षत्तिपूर्ति देने की व्यवस्था करनी चाहिये और व्यवसाय सम्बन्धी रोगों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लेना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में श्रमिक की व्याख्या में नैमित्तिक श्रमिक भी आने चाहियें। उन्हें इस के लाभों से वंचित नहीं करना चाहिये। अन्यथा ऐसे बहुत से श्रमिक जो देश की रक्षा के लिये प्रयत्नशील होंगे क्षत्तिपूर्ति के लाभ से वंचित हो जायेंगे ।

श्री राधे लाल व्यास ने ठीक ही कहा है कि व्यवसाय सम्बन्धी रोगों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाना चाहिये। युद्ध सामग्री के कारखानों में काम करने वाले कई प्रकार के रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं जैसे टी० एन० टी० का प्रयोग करने वाले दस साल सेवा करने के उपरान्त ऐसे रोग में ग्रस्त हो जाते हैं कि उनके सभी अंग कांपने लगतेहैं। अब जबकि युद्ध सामग्री के कारखानों का विस्तार किया जा रहा है तो इन श्रमिकों का संरक्षण भी होना चाहिये।

'श्रमिक' की व्याख्या में व्यापारिक दफ्तरों में काम करने वाले मध्य वर्गीय कर्मचारियों को भी लेना चाहिये । मैं विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु यह कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिये क्योंकि यह भी समग्र युद्ध प्रयत्नों का ही भाग है।

युद्ध काल में विभिन्न मालिक लाखों श्रमिकों को नियुक्त करेंगे। यदि वे लोग इस रियायत से वंचित होंगे तो यह बहुत हानिकारक होगा। अतः मेरा निवेदन है कि देश के लिए बलिदान देने वाले इन श्रमिकों का भी विधेयक के लाभ प्राप्त होने चाहिये। बल्कि जो मंत्रि राजनैतिक दृष्टि से या अन्यथा हताहत हों वे भी क्षत्ति पूर्ति के हकदार होने चाहियें।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और विधेयक में रुचि दिखाई है उस के लिये मैं आभारी हूं।

मैं पहले श्री नम्बियार द्वारा उठाई गई बातों को लेता हूं। उन्होंने कहा कि श्रमिक की व्याख्या विस्तृत होनी चाहिये। किन्तु ऐसा करने पर अधिनियम को लागू करना और प्रीमियम एकत्र करना कठिन हो जायेगा। परन्तु इस अधिनियम को किसी भी कर्मचारी पर अधिसूचना द्वारा लागू करने का अधिकार प्राप्त कर लिया गया है।

दुसरे मिल मालिक श्रमिक को युद्ध क्षत्ति के लिये क्षत्तिपूर्ति नहीं दे सकता क्योंकि वह क्षत्ति बहुत बड़ी हो सकती है। कर्मचारा क्षत्तिपूर्ति अधिनियम का सम्बन्ध केवल औद्योगिक प्रकार की

---

†मूल अंग्रेजी में

शारीरिक क्षत्ति से है। और अखिल भारतीय आधार पर बीमा योजना में इसी प्रकार की समस्या को लिया जा सकता है ।

उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों का भी उल्लेख किया था किन्तु आज के अतिस्वन विमानों के युग में विश्व का कोई भी स्थान दूरस्थ नहीं है ।

उन्होंने नैमित्तिक श्रमिकों की भी बात कही थी अतः विधेयक को नहीं समझे। नैमित्तिक श्रमिकों को भी बीमा विधि से क्षत्तिपूर्ति मिलेगी। किन्तु एक मास से कम अवधि के लिये लगाये जाने वाले श्रमिकों को दिया प्रीमियम नहीं दिया जा सकेगा। १५०० रुपये या १४७५ रुपये के वेतन के कर्मचरियों के उद्योगों को भी बीमा निधि से धन दिया जायेगा।

श्री काशी राम गुप्त ने कहा कि बड़े उद्योगों को लाभ होगा और दूरस्थ गांवों के छोटे उद्योगों को नहीं। योजना यह है कि जिस क्षेत्र पर आक्रमण होता है यदि वहां चार पांच उद्योग हैं तो वे मालिक बरबाद हो जायेंगे और क्षत्तिपूर्ति नहीं दे सकेंगे अतः क्षत्तिपूर्ति सारे भारत में मिल सकेगी। यह अखिल भारतीय योजना है। छोटे उद्योगों को प्रीमीयम नहीं देना पड़ेगा किन्तु उन्हें भी योजना से लाभ होगा। खण्ड २१ स्पष्ट है ।

प्रशासन के सम्बन्ध में यह है कि धारा ४२० के अन्तर्गत धोखे के प्रशासन की व्यवस्था नहीं है न्यास भंग करने के लिये प्रशासन का उपबन्ध है। राजस्व के मामले में प्रशासन का उपबन्ध होता है क्योंकि उससे धन वसूल करने में सुविधा होती है। कुछ मामलों में दण्ड की अपेक्षा क्षत्तिपूर्ति का ही अधिक महत्व होता है। जब विधि मंत्री प्रशमन पर बोलेंगे तो वे विस्तारपूर्वक बतायेंगे ।

डा० गायतोंडे ने इस विषय पर एक अंग्रेजी की पुस्तक देकर हमारी सहायता की थी। यद्यपि यह अनुसूची सैनिक विनियमनों से ली गई है तो भी इसका यह अभिप्राय नहीं कि वे गलत होने चाहियें। आज का युग न्यूट्रोन बमों और रेडियेशन बमों का है। ऐसे ऐसे भयानक बम हैं कि भवन वगैरह सुरक्षित रहते हैं किन्तु मनुष्य हताहत हो जाते हैं, या तो वे तुरन्त मर जाते हैं या घोर यातना के बाद मरते हैं ।

हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भावी युद्ध में क्या होगा क्योंकि वह गत महायुद्ध के इंगलैंड की स्थिति नहीं होगी। इसलिये हमने सैनिक विनियमों को लिया है। डा० गायतोंडे ने कहा कि ऊपर के अंग, नीचे के अंग और फिर तीसरे अंग से क्या अभिप्राय है। इस विषय में मेरी योग्यता उन जैसी नहीं है। किन्तु इस अनुसूची के सिद्धान्त का यह मतलब है कि केवल ऐसे जख्मों को लिया गया है कि जिन से श्रमिक रोजी नहीं कमा सकते ।

हम दायें या बायें हाथ के बारे में विनियम नहीं बना सकते क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बायें हाथ से काम करने वाला हो। खण्ड २३ के उपबन्ध द्वारा इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। डा० गायतोंडे का यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री त्रिवेदी ने बच्चे के लिये ५ रुपये के भत्ते की ओर निर्देश किया था। सिपाही या किसी भी दर्जे के अधिकारी के पास प्रति बच्चा पांच रुपये दिये जाते हैं और फिर परिवार की निवृत्ति वेतन भी दिया जाता है ।

श्री के० एन० पाण्डे ने पुलों और सड़कों की मरम्मत का उल्लेख किया था। वास्तव में युद्ध काल में ऐसे कामों को आवश्यक सेवाएं घोषित कर दिया जायगा । ऐसे श्रमिकों को व्यक्तिगत क्षति (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम के अन्तर्गत भी लाभ पहुंचाया जायेगा।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

श्री त्रिवेदी ने कहा कि योजनाओं और विनियमों सम्बन्धी उपबन्ध प्रत्यायोजित विधान में रखने की बजाय खण्ड १४ में रखे जाने चाहियें थे। इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि विधेयक के खंड ८(५) (क) में कहा गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति देने के उपबन्ध और २००० रुपये तक जुर्माने के उपबन्ध बनाये जा सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह ने जो कृषि श्रमिकों का उल्लेख किया था वे श्रमिक व्यक्तिगत क्षति-(आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे ।

श्री कामत ने कुछ प्रश्न पूछे थे। पहले श्रमिकों की समस्या की ओर निर्देश किया था वह ६० लाख है जो कारखानों खानों, बागानों और अन्यावश्यक सेवाओं में नियुक्त हैं। जहां तक गंभीर और अति गंभीर क्षति का सम्बन्ध है वे चेहरे के जख्मों से सम्बन्धित हैं। ये प्राविधिक शब्दावली है। गंभीर क्षति से व्यक्ति रोज़ी के अयोग्य नहीं होता, अति गंभीर क्षति से वह अयोग्य हो जाता है।

उन्होंने 'सुनवाई की शब्दों की तिथि' ओर निर्देश किया था। वह गलत छपा है। होना चाहिये "सुनवाई की स्थिति"।

श्री राधे लाल व्यास ने व्यवसाय सम्बन्धी क्षति का उल्लेख किया था। विधेयक का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: मैं ने देय प्रीमियम के बारे में प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि इस आपातकाल के बाद वसूल किया जायेगा। विवरण में कहा गया है कि हर तीन मास में वसूल किया जायेगा ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह भी उपबन्ध है कि हर तिमाही में पेशगी लिया जायेगा। वास्तविक योजना आपातकाल के बाद दायित्वों के आकार पर कुल प्रीमीयम निर्धारित किया जायेगा किन्तु मिल मालिक पेशगी भुगतान करता रहेगा। आपातकालीन जोखिम बीमा के अन्तर्गत भी हर तिमाही में प्रीमियम वसूल किया जायेगा और वास्तविक प्रीमीयम वास्तविक दायित्वों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। प्रीमियम निर्धारण का उपबन्ध बाद में किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि व्यक्तिगत चोट लगने वाले श्रमिकों को प्रतिकर देने का दायित्व नियोजकों पर डालने और उस दायित्व के लिये नियोजकों का बीमा करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

'कि खंड २ विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ (जिन श्रमिकों पर अधिनियम लागू होता है)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत हुए ।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : सभानेत्री जी, मैं यह जो अमेंडमेंट्स दे रहा हूं उस का मूल कारण कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं । वास्तव में मैंने जो अपने पहले अमेंडमेंट में लिखा है कि ७ एच० पी० या उस से कम जहां पावर इस्तेमाल होती है, उनको छोड़ दिया जाय उस का यह तात्पर्य तो नहीं है कि उन के साथ में कोई रिआयत की जाय । देखना तो यह है कि वह किस हालत में काम करते हैं । दरअसल ऐसी फैक्टरीज़ देहातों में होती हैं । शहरों में जहां इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां यह नहीं होती हैं । शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया में जहां बम्बार्डमेंट होने का ख़तरा होता है वहां पर यह छोटी इंडस्ट्रीज़ व कारख़ाने नहीं होते हैं । दूसरी मुश्किल यह है कि यह जो ७ एच० पी० तक के कारख़ाने हैं उन में ७–८ अमदमी काम किया करते हैं और वह फैक्टरी एक्ट के तहत नहीं आते हैं लेकिन १० या २० फ़ीसदी ऐसे हो सकते हैं जिन में १० आदमी काम करने लग जाते हैं और वह बेशक इस फैक्टरी एक्ट के अन्दर आ जाते हैं । लेकिन ९० फ़ीसदी लोग इसके लाभ से वंचित रह जायेंगे ।

इस के साथ ही यह भी देखने की बात है कि इस तरह की जो छोटी फैक्टरियां चलाते हैं, जो इन छोटी फैक्टरियों के मालिक होते हैं वे भी एक तरीक़े से मज़दूर ही होते हैं । वह कोई बहुत कमाने वाले नहीं होते हैं । थोड़ा पैसा बचा कर वह छोटा काम चालू कर देते हैं । अब होता यह है कि एम्पलायर होने के कारण वह स्वयं इंश्योर्ड नहीं होते हैं, उनका अपना बीमा नहीं होता है हालांकि काम वह मज़दूरों के साथ ही करते हैं । इसके विपरीत मज़दूर जिनके कि साथ वे भी काम करते हैं उन मजदूरों का बीमा होता है । यह ठीक ही बात है कि मज़दूरों का बीमा हो लेकिन मेरा निवेदन है कि जो लोग इस तरह के मालिक हैं और जिनकी बहुत थोड़ी सी आमदनी होती है उनका बीमा भी उन मज़दूरों के साथ हो जाय तो ठीक होगा । लेकिन आज उन का बीमा नहीं होता है । अब वह छोटे मालिक उनके साथ काम करते हैं उनके साथ ही मरते हैं और उन को भी उन्हीं मज़दूरों के साथ ज़ख्म आते हैं । इसलिए अगर उन को इससे वंचित रक्खा जाता है और उनको कुछ मुआविज़ा नहीं मिलेगा तो यह व्यवहारिक रूप से लागू होने वाला नहीं है । इसलिए ऐसे लोगों के भी इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाय । इन कठिनाइयों को देख कर मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि यह कारख़ाने कहां स्थापित होते हैं और इन पर क्या असर होता है क्योंकि इसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी आदमी जो कारख़ाने में मज़दूरी का काम करता हैं वह सुरक्षित रहे और इसके लाभ से वंचित न रहे । जहां वार मेजर्स होते हैं वहां ऐसी सम्भावना नहीं है कि ख़तरों की लपेट में आ जायें । इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि जैसे पहले फैक्टरीज़ रिस्क इंश्योरेंस ऐक्ट और गुड्स इंश्योरेंस ऐक्ट पास हुए थे उस तरीक़े से मौजूदा बिल को लागू न करें । अगर इस में जैसा मैं ने सुझाया है, सुधार करके बिल को पास करते हैं तब तो इस बिल का पास करना कोई माने रखता है वरना नहीं । आज हालत यह है कि छोटे लोगों की इस बोझे को सहने की शक्ति नहीं है और यदि लम्बे अर्से तक इमरजेंसी चली और इस प्रकार का कर यदि उन्हें देना पड़ा तो देते देते उनका दम ही निकल जायेगा । उस हालत में उसका फ़ायदा केवल बड़े लोग उठायेंगे और छोटे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक मेरा दूसरा अमेंडमेंट है वह बिलकुल सीधा सादा है । कारण यह है कि २५ फुट की जो खदानें हैं वे बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं और वहां कभी कोई लोगों को कोई लड़ाई का ख़तरा नहीं होता है । इसलिए उन पर यह ऐक्ट लागू करना केवल सरकार के ख़ज़ाने में पैसा इकट्ठा करना है और उस से किसी मज़दूर को लाभ होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । इन दोनों कारणों से यह जो दो अडमेंट्स मैंने मूव किये हैं, मैं आशा करता हूं कि उन व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए जिनको कि मैं ने बतलाया है, मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं । छोटे उद्योगों की क्षतिपूर्ति की क्षमता सीमित होती है अत: बीमा आवश्यक है । खण्ड ९(१) के अन्तर्गत ऐसे कारखानों को जिन्हें तिमाही में १५०० रुपये तक वेतन देना पड़ता है उपबंधों से मुक्त किया जा चुका है । छोटे उद्योगों को अपनी क्षमता के अनुसार प्रीमियम देना पड़ेगा अत: अन्य उद्योगों को विमुक्ति देना सम्भव नहीं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ४ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ९ (अनिवार्य बीमा)

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

सभानेत्री जी, मेरा अमेंडमेंट है कि १५०० की जगह २५०० हो मैं ने इस हिसाब से देखा कि एक तरफ़ तो हमारे मंत्री महोदय जो फ़ैक्टरी ऐक्ट पास करते हैं वह दस आदमियों के ऊपर लागू होता है तो दस आदमियों पर वह किस हिसाब से यह १५०० लगाते हैं ? वे १५०० रुपये को माफ़ करते हैं तो इस से वह अनुपात बैठता नहीं क्योंकि १० आदमियों पर एक तिमाही पर १५०० रुपये से अधिक आयेगा । १० से कम पर फैक्टरीज़ ऐक्ट लागू नहीं होता है । इस का तात्पर्य यह है कि वास्तव में किसी फैक्टरी वाले को इस का कोई लाभ होने वाला नहीं है । इसलिए यदि उन को लाभ से वंचित नहीं रखना है और व्यवहारिक कठिनाई को भी देखना है तो १५०० की जगह २५०० कर देना चाहिए अन्यथा इस को हटा देना चाहिए । और जितना भी देना हो उसके ऊपर लागू करना चाहिए ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं । तिमाही में १५०० रुपये से कम वेतन देने वाले उद्योगों को विमुक्ति दी गई है यदि इस सीमा को बढ़ा दिया जाये तो प्रीमियम से प्रत्याशित राजस्व में कमी हो जायेगी और बीमा गत मालिकों का दायित्व बढ़ जायेगा ।

---

†रा अं अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ :

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १० (मालिक और ठेकेदार)

श्री काशीराम गुप्त : मैं सशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

सभानेत्री जी, जब मैंने एक महीने की बात मंत्री महोदय से सुनी, तो मुझे याद आया कि इस के मुताबिक कंट्रैक्ट पर काम करनेवाले लोगों का सम्बन्ध फैक्टरियों और माइन्ज़ से होगा । ये वे लोग होते हैं, जिन का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो चलते-फिरते होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं । वे लोग ठेकेदार बन जाते हैं और कुछ लेबरर्ज़को ले आते हैं । मिसाल के तौर पर वे उन को खदानों पर ओवरबर्डन के लिए यानी ऊपर की मिट्टी हटाने के लिए और फैक्टरीज़ में बाहर का कुछ काम करने के लिए ले आते हैं । वह कैजुअल लेबर होती है । वह दो महीने से कम की भी होती है । एक महीने से कम तो बहुत कम होती है । कैजुअल लेबर के बारे में मंत्री महोदय ने यह दिक्कत बताई है कि उन से वसूली नहीं होगी । वह वसूली तो इस में भी नहीं होगी । इसलिए ऐसे झगड़े में डालना होगा कि ३१ दिन हो गये, तो उस को पकड़ने की कोशिश की जायेगी । उस में लिखा है कि फैक्टरी का ओनर उस का नाम बतायेगा और फिर उस से वसूली होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यावहारिक नहीं है ।

माननीय मंत्री जी ने और कोई अमेंडमेंट तो नहीं मानी है, लेकिन वह कम से कम इस अमेंडमेंट को तो मान लें कि कम से कम दो महीने कर दिया जाये बजाये एक महीने के । इस बिल के मुताबिक किस्त वे क्वार्टरली देते हैं । इसलिए यह क्वार्टर से कम होने के कारण ऐसे लोगों से वसूली में कठिनाई होगी । अगर इस बिल को ऐसे ही पास कर दिया जायेगा, तो अमल में बहुत कठिनाई होगी, जिस का नतीजा हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा । इसलिए अमल की दृष्टि से, प्रैक्टिकल प्वायंट आफ़ व्यू से इस को दो महीने कर दिया जाये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : विधेयक द्वारा ऐसे ठेकेदारों को विमुक्त किया गया है जो एक मास से कम समय के लिए श्रमिक रखते हैं किन्तु उन्हें व्यक्तिगत चोट बीमा निधि से क्षतिपूर्ति मिलेगी । अतः विमुक्ति की सीमा न्यूनतम होनी चाहिये अन्यथा बीमागत मालिकों पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा । संशोधन को अस्वीकार किया जाये ।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ :

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ से २३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ से २३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २४ (संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली योजना)

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : **मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।**

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं । इस में परिवर्तन आवश्यक नहीं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची

†**श्री चें० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १३, पंक्ति १२ में, और जहां कहीं भी यह हो " disability " ["विकलांगता"] के स्थान पर "disabilement" ["अंगहानि"] शब्द रखा जाये । (७)

(२) कि पृष्ठ १७, पंक्ति ६ में :

(क) "grade" ["दर्जा"] शब्द का लोप कर दिया जाये ।

(ख) "Date" ["तिथि"] शब्द के स्थान पर "Grade" ["दर्जा"] शब्द रखा जाये । (८)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मंत्री महोदय जल्दी में दो बातों को स्पष्ट करना भूल गये हैं ।

मैंने खराब श्रवण शक्ति और खराब दृष्टि की शब्दावलि की ओर निर्देश करते हुए उन पर प्रकाश डालने के लिये कहा था और यह समझाने के लिये कहा था कि "बिना जटिलताओं के एक आंख की हानि" और "जटिलताओं सहित एक आंख की हानि" से क्या अभिप्राय है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : दृष्टि के चले जाने से अभिप्राय है कि चोट आने पर दृष्टि का चला जाना । अभी चोट लगने पर यदि कोई जटिलता न हो आंख निकाल दी जाती है और उसके स्थान पर शीशे की आंख लगा दी जाती है । दूसरी आंख को हर्ज नहीं होता किन्तु कभी कभी जटिलताओं के कारण दूसरी आंख को निकालना आवश्यक हो जाता है इस कारण जटिलताओं सहित और

---

†मूल अंग्रेजी में

जटिलताओं बिना शब्दों का प्रयोग किया गया है कभी ऐसा भी हो सकता है कि नजर चली जाय किन्तु हल्का सा दिखाई देता रहे। इस सम्बन्ध में मैंने पूरा संतोष कर लिया है। हम व्यवसाय सम्बन्धी साधारण चोट को नहीं ले रहे यहां युद्ध सम्बन्धी चोटों का उल्लेख है और सैनिक विनियमों में यह शब्दावलि प्रयोग की जाती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** एक औचित्य प्रश्न है मंत्री महोदय सैनिक विनियमों का आश्रय नहीं ले सकते सैनिक विनियमन वेद वाक्य नहीं हैं। या तो वे सैनिक विनियम लायें और हमें समझायें कि क्यों उन्हें अंधाधुंध अपनाया जा रहा है हम जटिलताओं सहित एक आंख की हानि और जटिलताओं रहित हानि के लिये निर्धारित प्रतिविधतता से संतुष्ट नहीं हुए। इसमें भेदभाव दिखाया गया है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** मैं तो कह रहा था कि ये दो प्रकार की चोटें हैं मेरे मित्र प्रतिशतता के बारे में जैसा चाहें तर्क दे सकते हैं और उन्हें अपर्याप्त तथा अन्यायपूर्ण कह सकते हैं किन्तु हमारे पास यही तथ्य उपलब्ध हैं यह विधेयक युद्ध सम्बन्धी चोटों से सम्बन्धित है जो कारखानों में काम करने वाले लोगों को लग सकती हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

(१) पृष्ट १३, पंक्ति १२ में, और जहां कहीं भी यह हो "disability" ["विकलांगता"] के स्थान पर "disablement" ["अंगहानि"] शब्द रखा जाय (७)

(२) कि पृष्ठ १७ पंक्ति ६ में —

(क) "Grade" ["दर्जा"] शब्द का भेद किया जाये।

(ख) "Date" ["तिथि"] शब्द के स्थान पर "grade" ["दर्जा"] शब्द रखा जाय (८)*

संशोधन स्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*सभा द्वारा स्वीकृत अनुसूची की संशोधन संख्या ७ को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष के निदेश के अधीन प्रत्यक्ष गलती की शुद्धि के रूप में अनुसूची के पृष्ठ १५, पंक्ति ६ में आने वाले "disabilities" ["विकलांगतायें"] शब्द के स्थान पर "disablements" ["अंगहानियां"] शब्द रख दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक विवाह अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।

श्रीमान्, इस विधेयक में मुख्यता एक खंड की व्यवस्था है, जिस के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम की धारा ४ का संशोधन किया जाना है साधारणतया स्थिति यह है कि इस अधिनियम के अधीन विवाह प्रतिषिद्ध वर्गों के बीच नहीं होने चाहियें बल्कि भिन्न भिन्न समुदायों या आदिमजातियों या गुटों के बीच होने चाहियें हिन्दू विवाह अधिनियम में भी प्रतिषिद्ध वर्गों के बीच विवाह नहीं हो सकते, किन्तु यदि रूढ़ि के अन्तर्गत यदि ऐसा विवाह हो सकता है, तो प्रतिषिद्ध वर्गों में भी ऐसा विवाह हो सकता है ।

इस संशोधन का अभिप्राय यह है, कि यदि रूढ़ि के अनुसार दो पक्षों में ऐसा विवाह हो सकता है, तो विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत भी इस की अनुमति होनी चाहिये। दक्षिण भारत में व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत करीब के सम्बन्धियों में विवाह हो जाता है । ये विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत होते हैं । किन्तु यदि वे पक्ष विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा विवाह करना चाहें, तो वे नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रतिषिद्ध वर्गों में आयेंगे इस कठिनाई को दूर करने के लिये रूढ़ि की भी विशेष विवाह अधिनियम की धारा (४) के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है

व्याख्या में यह बताया गया है कि रूढ़ि की घोषणा करने का अधिकार राज्य सरकारों को अधिसूचना द्वारा दिया जा रहा है । यह बात अच्छी तरह सब को ज्ञात है कि न्यायालयों में पक्षों को रूढ़ि का प्रमाण स्वयं देना पड़ता है और इस में समय और रुपया लगता है अतः यह पहला विधेयक है । जिसमें एक उपबन्ध के द्वारा पक्षों और न्यायालय दोनों का समय बचाने का प्रयत्न किया गया है । हमने यह व्यवस्था की है कि किसी आदिम जाति या समुदाय की रूढ़ियों की घोषणा राज्य सरकारें करेंगी और प्रमाण पक्षों को नहीं देने पड़ेंगे । मैं समझता हूं कि ऐसा प्रयोग करना उपयोगी सिद्ध होगा ।

हिन्दू विधि का निर्वचन करने वालों ने यह सिफारिश की है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न समुदायों में प्रचलित रूढ़ियों को अधिसूचित किया जाये, तकि किसी को कोई अठिनाई न हो । अतः हमने पहली बार राज्य सरकारों को रूढ़ियां घोषित करने वाली अधिसूचनायें जारी करने का अधिकार दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती विमला देवी** : मैं इस संशोधन का समर्थन करती हूं । पहले सरकार ने कुछ रूढ़ियों पर, जो कुछ आदिमजातियों और समुदायों में प्रचलित थी, अधिक ध्यान नहीं दिया था । अतः उसे यह संशोधन लाना पड़ा है ताकि करीबी रिश्ते वाले कुछ व्यक्तियों में विवाह हो सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक रूप से यह सही है कि करीबी रिश्ते वाले व्यक्तियों में विवाह हानिकारक होता है किन्तु इस ज्ञान के बावजूद भी लोग अपनी रूढ़ियों पर चलते हैं और अपस में विवाह कर लेते हैं। चूंकि विशेष विवाह अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था, इस लिये अब यह रख दिया गया है ।

यद्यपि सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम तथा हिन्दू विवाह अधिनियम में एक उपबन्ध कर रखा है जिसके अनुसार निषिद्ध सीमा तक सम्बन्ध होने की अवस्था में विवाह की मनाही की गई है, उन्होंने लोगों को इस बारे में शिक्षा देने में कुछ नहीं किया है कि विवाह निकट के सम्बन्ध वाले व्यक्तियों मे अच्छे नहीं होते। अब लोगों में कुछ शिक्षा फैल रही है, सरकार के प्रयत्नों से नहीं बल्कि स्त्री संस्थाओं के प्रयत्नों से। मैं बहुत से ऐसे विवाहित व्यक्तियों को जानती हूं जिन्होने ऐसे विवाहों के कारण नुकसान उठाया है यदि सरकार वैज्ञानिक तरीके से अनजान लोगों को शिक्षित करे, तो बहुत अच्छा होगा। सरकार का कर्तव्य है कि वह इस बारे में लोगों को चलचित्रों, विज्ञापनों आदि द्वारा सुशिक्षित करे। मैंने इस सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय चलचित्र या पोस्टर नहीं देखा। ऐसे चित्र बनाने पर सरकार का अधिक खर्च नहीं आयेगा ।

जैसाकि मैंने कहा है कि इस विधेयक का स्वागत करती हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे विवाहों का समर्थन नहीं करती किन्तु लोगों में जो रूढ़ियां प्रचलित हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयक में ऐसा उपबन्ध रखने की आवश्यकता नहीं थी। विशेष विवाह अधिनियम उन लोगों के लिये बनाया गया था, जो किसी धर्म को नहीं मानते थे और अपने आप को सुधारक मानते हैं। अब यह बात बड़ी अनोखी लगती है कि अब ऐसे लोग ही रूढ़ि का सहारा लेना चाहते हैं। यदि उनकी कोई रूढ़ि है, तो वे अवश्य उस के अनुसार विवाह कर सकते हैं ।

हिन्दुओं में यह बहुत बुरा समझा गया है कि कोई व्यक्ति अपने चचे या मामू की लड़की से विवाह करे। उत्तर भारत में यह विशेषकर बुरा समझा जाता है। उन लोगों को जो धर्म आदि को छोड़ चुके हैं और किसी समुदाय के नहीं हैं, रूढ़ि का संरक्षण देना उचित नहीं है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी बुरा है। माननीय मंत्री के पास क्या आंकड़े हैं जिसके आधार पर वे इस संशोधन को आवश्यक समझते हैं ? क्या उनकी ओर से जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह किया है, ऐसी कोई मांग आई है। क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थनापत्र या याचिकायें आई हैं ?

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस अधिनियम के द्वारा जो भी सुधार किया गया था, वह इस संशोधन को रखने से समाप्त हो जायेगा। कुछ इने गिने व्यक्तियों की सुविधा के लिए ऐसा विधान बनाना इस सभा का काम नहीं है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और कहता हूं कि यह देश में प्रचलित भावनाओं के अनुकूल नहीं है ।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि स्पष्टीकरण में जिस प्रार्थनापत्र का उल्लेख किया गया है, वे किन जातियों की ओर से की जायेंगी। मैं समझता हूं कि यह स्पष्टीकरण अत्यधिक बेहूदा है और इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिये ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : इस विधेयक के सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्न यह है कि विवाह के प्रतिषिद्ध वर्ग का क्या अर्थ है। मैं नहीं कह सकती कि १९५५ के हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत इसे किस हद तक स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम की धारा ३ में बताया गया है कि रूढ़ि क्या होती है। विधेयक के द्वारा जो उपबन्ध करने का विचार किया गया है, वह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा ३ के समान है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० सरोजिनी महिषी]

सपिंड सम्बन्ध की परिभाषा १९५५ के हिन्दू विवाह अधिनियम में की गई है, ऐसे सम्बन्धों को हमारे शास्त्र और स्मृतियों ने निषिद्ध माना है। यद्यपि निषिद्ध सम्बन्धों के बीच विवाह बुरे माने जाते रहे हैं। ऐसे विवाह प्रथा या रूढ़ि के बल पर देश के कुछ भागों में प्रचलित रहे हैं। किन्तु केवल मात्र यह तथ्य कि प्रथायें और रूढ़ियां किसी विशिष्ट आदिमजाति में प्रचलित रही हैं, य नहीं का जा सकता कि वे ठीक थीं। यह तर्क अच्छा नहीं होगा। किसी प्रथा या रूढ़ि को केवल इसी आधार पर मान्यता नहीं मिलनी चाहिये, जसाकि यह विधेयक करना चाहता है। अतः मैं इस विशेष उपबन्ध का विरोध करती हूं कि चूंकि कोई प्रथा या रूढ़ि किन्हीं भागों में प्रचलित रही है, इसलिए उसे मान्यता दी जाये।

स्पष्टीकरण के अनुसार, यह घोषणा करना राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि कौन सी प्रथा या रूढ़ि का किस विशेष आदिमजाति या परिवार के द्वारा अनुसरण किया जाता है। मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकारें इस विशेष अधिसूचना के विषय में न्याय कर सकेंगी। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इन बातों पर विचार करेंगे। मैं उन्हें इस विधेयक के लिये बधाई देती हूं।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : गोत्र को न मानने का सिद्धान्त अन्य विवाहों के मामले में स्वीकार किया गया है। किन्तु जहां तक विशेष विवाह अधिनियम का सम्बन्ध है, इस बात की उपेक्षा की गई थी और अब इस त्रुटि को दूर किया जा रहा है।

दक्षिण के कुछ भागों में और उत्तर भारत के कुछ भागों में भी मामा की लड़की के साथ विवाह किया जाता है। यह प्रणाली पुराने जमाने में भी अभिज्ञात थी। हिन्दू विधि के सिद्धान्त स्मृतियों में नहीं लिखे हुए, बल्कि रूढ़ियों के रूप में माने गये हैं। इसलिए जहां तक हिन्दू विधि का सम्बन्ध है। यह एक प्रगतिशील विधेयक है और इसका स्वागत होना चाहिये। यह विधेयक ठीक दिशा में एक कदम है क्योंकि इसके द्वारा रूढ़िगत विवाहों को भी विधि के दायरे में लाया जा सकेगा और ये विवाह भी अन्य हिन्दू विवाहों के समान, जो आजकल हो रहे हैं, बन सकेंगे। अतः, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं और सरकार को इस के लिए बधाई देता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मैं माननीय विधि मंत्री को इस विधेयक के लिए बधाई देता हूं। यह विधेयक न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल है। यह हिन्दुत्व की भावना के भी अनुकूल है और शास्त्रों की भावनाओं के भी अनुकूल है।

इस विधेयक के द्वारा यह किया गया है कि रूढ़ि को विधि का दर्जा दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि रूढ़िगत विधि भी कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका प्रवर्तन सारे विश्व में होता है। रूढ़ि को विधि का दर्जा देने में कोई हानि नहीं है।

एक मित्र ने अभी कहा है कि यह विधेयक केवल सुधारकों आदि के लिए है। मेरे विचार में ऐसा नहीं है। यह उन रूढ़ियों को संहिताबद्ध करता है, जो पहले से चल रही हैं। अतः इस में कोई क्रान्तिकारी चीज़ नहीं है। इस विधेयक के द्वारा रूढ़ि को देश के विवाह कानून में इसका उचित स्थान दिया गया है। मैं नहीं समझता कि यह विधेयक कैसे हमारे सामाजिक सगठन या हिन्दुओं के सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्याख्या के परन्तुक की भाषा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्रथा का निर्णय करने के लिए कोई स्पष्ट कसौटी निर्धारित नहीं की गई । मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें इस बात का प्रयत्न करेंगी कि विधि का प्रवर्तन अधिक कठिन नहीं बनाया जायेगा और नियमों का निर्वचन अत्यन्त उदारतापूर्वक किया जायेगा और विधेयक को भी उदारतापूर्वक लागू किया जायेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता । यह एक गलत विधान बनाने का उदाहरण है । मुझे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य है कि विधि मंत्रालय के विधि-विशारदों ने कैसे इस प्रकार के विधान की सिफारिश कर दी । लगता है उन के सामने कोई लक्ष्य नहीं है । इस मामले में शीघ्रता की गयी है और सारी पृष्ठभूमि का अध्ययन नहीं किया गया । सामाजिक स्थिति को समक्ष नहीं रखा गया । केवल इतनी बात का ही ध्यान रखा गया है कि कुछ प्रचलित रीति रवाजों को कायम रखा जाये । रीति रवाज बहुत अच्छी चीज है परन्तु उन से हानि भी हो सकती है और वे प्रभावहीन भी हो सकते हैं । सभी पुराने रीति रवाजों को कायम रखना तो कभी भी ठीक नहीं समझा जा सकता और इस तरह के विधान को प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । इसे तो फेंक दिया जाना चाहिये ।

इस विधेयक के उपबन्ध बहुत ही दोषपूर्ण हैं । इन उपबन्धों के अनुसार यह भी व्यवस्था है कि निषिद्ध सम्बन्धों के बीच भी विवाह हो सकते हैं । चाहे प्रथा के अनुसार केवल एक ही पक्ष ऐसा करने की अनुमति देता हो । इसके अतिरिक्त खंड २ के अन्तर्गत जो व्यवस्था है वह तो अत्यन्त भ्रामक है । इससे तो एक ही बात की सम्भावना है कि मुकदमेबाजी बढ़ जाये । अधिसूचना जारी करने की मशीनरी भी बड़ी विचित्र है । उस से भी मुकदमेबाजी के ही बढ़ने की सम्भावना है । कुछ ऐसा वातावरण हो जायेगा कि सरकार लोगों के व्यक्तिगत कानूनों में भी हस्तक्षेप करने लगेगी । मेरे विचार में यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये, ताकि इस के विविध अंगों पर तनिक और गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा सके ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की मुखालिफ़त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस सिक्यूलरिज्म में हिन्दू धर्म के खिलाफ कोई भी बिल पास करना बहुत ही नामुनासिब है । हमारी सोसाइटी जो लाखों सालों से खड़ी हुई है तो सिर्फ इसी आधार पर खड़ी हुई है शादी करते समय मां की पीढ़ियों और पिता के गोत्र में शादी न हो जाये इस का ध्यान रखते हैं और इसी प्योरिटी आफ ब्लड की वजह से हम ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक जैसे लोगों को पैदा कर सके ।

कस्टम गलत हो सकता है लेकिन रिलीजन हमेशा सही होता है । ईश्वर का दिया हुआ रिलीजन, जोकि हमारा संविधान है, वह कहता है कि जो गलत कस्टम हैं उनको ताड़ा जाय । धर्म इस बात को गलत बताता है कि माता की पीढ़ियों में या पिता के गोत्र में शादी की जाय । अगर कहीं किसी सोसाइटी में या किसी प्रदेश में कोई गलत कस्टम पड़ गया है तो उस कस्टम को खत्म करना चाहिए न कि उसको और ज़्यादा ताकत देना चाहिए । हम को ब्राह्मणों ने बतलाया था :

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादगजन्मनः

और मुझे इसका बड़ा खेद है कि आज इस बिल को एक ब्राह्मण ही पेश करता है । इन्हीं ब्राह्मणों ने हमको प्योरिटी आफ ब्लड का सबक सिखलाया और यही हमारे गुरु रहे । शादी का मसला ऐसा नहीं है कि जिसका किसी खास सोसाइटी या कस्टम से ताल्लुक है । उसका ताल्लुक सारी कम्यूनिटी से है और उसका ताल्लुक सारे धर्म के साथ है । कुछ लोगों में ऐसा कस्टम है कि अगर

[श्री यशपाल सिंह]

बड़ा भाई गुजर जाता है तो छोटा भाई उसकी बीबी को अपनी बीबी बना लेता है और उसको तमाम राइट मिल जाते हैं लेकिन यह हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे लिए तो बड़े भाई की पत्नी माता के समान है। लक्ष्मण से जब सीता के जेवरात को दिखा कर पूछा गया कि तुम इनको पहचानते हो तो उन्होंने कहा था :

केयूरे नैव जानामि, नैव जानामि कुंडले,
नूपुरे त्वभि जानाभि नित्यम् पादाभिवन्दनात् ।

लक्ष्मण ने कहा कि मैं सीता के मस्तक के या कानों के जेवरात को नहीं पहचान सकता क्योंकि मैंने उनके मुख को कभी देखा ही नहीं। मैं तो उनके पैरों के जेवरों को पहचान सकता हूं क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों में प्रणाम करता रहा हूं। तो यह हमारा कल्चर है, जिसको यह बिल लाकर खत्म किया जा रहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जो गलत कस्टम पड़ गए हैं उनको खत्म करके सरकार धर्म की रक्षा करे। सरकार जब देखे कि कस्टम गलत है तो उसको खत्म करके धर्म के अनुसार कानून बनावे। शादी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका सम्बन्ध किसी खास खानदान या कुटुम्ब से या किसी खास परसन से या किसी खास प्रदेश के रिवाज से हो, उसका सम्बन्ध तो धर्म से है, और यह रिवाज धर्म के अनुसार होना चाहिए।

हमने ऐसा भी देखा है कि चाइस मैरिज या लव मैरिज होते हैं, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध हैं। हमारे यहां तो वही विवाह धर्म युक्त माना जाता है जिसमें अग्नि, ब्राह्मण और जाति द्वारा समर्थन प्राप्त हो। और जिस विवाह में अग्नि न हो, ब्राह्मण न हो वह विवाह निषिद्ध है। आज कहते हैं कि एक चाय के प्याले के ऊपर शादी हो जाती है, सिनेमाघरों में शादी हो जाती है। लेकिन जो शादी एक चाय के प्याले के ऊपर होती है वह एक प्याले चाय पर टूट भी जाती है। धर्म हमारे लिए ईश्वर का हुक्म है और उस हुक्म के अनुसार चलने की आज हममें ज्यादा शक्ति होनी चाहिए न कि यह जो गिर गया है उसे कहा जाए कि यह ठीक है। जो गिर गया है उसे उठाने की कोशिश करनी चाहिए, जो बन्धन ढीले हो गये हैं उनको कसने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम अपनी सोसाइटी में अरबिन्द घोष जैसे, महात्मा गांधी जैसे, स्वामी विवेकानन्द जैसे, स्वामी दयानन्द जैसे महापुरुषों को पैदा कर सकेंगे। और अगर हम गलत कस्टम के अनुसार चचेरी और ममेरी बहिनों से शादी को प्रोत्साहन देंगे तो उन से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। उनसे हमारे चांद जैसे बच्चे नहीं पैदा हो सकते। हमारे वेद में कहा गया है :

मम पुत्राः शत्रु हणो दुहिता मे विराट्

यानी मेरे घर में ऐसे बच्चे हों जो चांद के समान हों, महान भरत जैसे पुत्र हों। अगर इस बिल को पास किया गया तो, जैसाकि डा० सिंघवी ने कहा है, हमारी धर्म की मर्यादा लुप्त हो जाएगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस लेलें और इसकी जगह कोई ऐसा बिल लायें जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके, सिक्यूलरिज्म की रक्षा हो सके। आपने हम से सिक्यूलरिज्म का वायदा किया है, तो हमारे दिलों को इस प्रकार के बिल लाकर ठेस न लगाइए। मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए।

†**श्री रा० बरुआ** (जोरहाट) : बड़ा ही सरल सा विधेयक है और इसमें चर्चा करने की तो कोई बात है ही नहीं। यह तो मूल विधेयक की एक त्रुटि को हटाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्य यह है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत यदि प्रथायें निषिद्ध सम्बन्धों के अन्दर विवाह

---

†मूल अंग्रेजी में

की अनुमति देती हो तो विवाह हो सके, किसी प्रकार की रुकावट न पड़े। इतनी सी बात है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रथाओं के पीछे भी कुछ विधि का बल रहता ही है। और यदि उन्हें मूल अधिनियम के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत ले आया जाय तो इसे कोई अनुचित बात नहीं कहा जा सकता।

इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि परन्तुक में जो कसौटी दी गई है, उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता, और न ही वह हानिकारक प्रथायें की समाप्ति में किसी भी प्रकार से सहायक हो सकती है। अधिसूचना जारी करना कोई बुरी बात नहीं। मेरे विचार में विधेयक के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचनायें उचित ही होंगी। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि यह मामला राज्यों की सरकारों पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर): इस विधेयक को देख कर मेरे मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि हम वही हैं जहां से कि हम चले थे। मूल अधिनियम की धारा ४ के खंड (छ) को बदलने से जो कि विधेयक के अन्तर्गत है उन निषिद्ध सम्बन्धों के बीच प्रथा के द्वारा किये गये विवाहों पर लगी रोक को हटा दिया जायेगा मेरे विचार में जब इस बात में कोई बुराई नहीं है। इस विधेयक के द्वारा उन प्रथाओं को संहिताबद्ध करने में सहायक होगा। इस कार्य को तो बड़ा श्लाघा योग्य कार्य समझना चाहिए। मेरा तो यह भी मत है कि सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि विधि द्वारा देश की सभी प्रथाओं को संहिता बद्ध किया जाय।

राज्य सरकार को बीच में लाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल में इस विधेयक द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है, वह प्राप्त नहीं होगा। मैं विधेयक का विरोध करता हूं और उपमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके विधेयक के खंड २ की व्याख्या हटा देनी चाहिए। इस से किसी को लाभ नहीं पहुंचेगा और कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेगी। राज्य सरकारों के लिए अपने रिवाजों के बारे में अधिसूचनायें जारी करना सरल कार्य नहीं है।

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस बिल का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। सरकार जब इस प्रकार के सामाजिक विधेयक पास करने की इच्छा रखती है, तो उसका उद्देश्य शायद यह होना चाहिए कि जो रीति-रिवाज अपने समाज में चल रहे हों, वे अगर ठीक न हों, तो उनकी सुविधा के अनुसार विधान में परिवर्तन न किया जाये, बल्कि इस प्रकार के विधान को लाया जाये, जिससे कि वे रीति-रिवाज बदल जायें।

जहां तक विवाह का सम्बन्ध है, उस के सिलसिले में कोई नया विधान लाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसका किस प्रकार से प्रादुर्भाव और विकास हुआ होगा। ऐसा मानना चाहिए कि समाज में प्रारम्भ में विवाह संस्था का जब प्रादुर्भाव हुआ, तो जिस प्रकार का प्राविधान हम स्पेशल मैरिज एक्ट में करने जा रहे हैं, शायद उस प्रकार के रीति-रिवाज रहे हों। अभी एक माननीय विदुषी सदस्या ने हिन्दू धर्म-शास्त्रों से कतिपय उद्धरण देते हुए बताया है कि हिन्दू धर्म में भी कहीं कहीं पर इस प्रकार का विधान रहा है। मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का उद्धरण उदाहरण हिन्दू संस्कृति में मिला है, तो वह नियम के रूप में नहीं, बल्कि अपवाद के रूप में मिला है और इसलिए अपवाद नियम का रूप नहीं धारण कर सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि विवाह संस्था का विकास ज्यों ज्यों हुआ और समाज आगे बढ़ा, त्यों त्यों विधान बनाने वालों ने सपिंड विवाह को निषिद्ध ठहराया। सपिंड विवाह का निषेध करते हुए

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० महादेव प्रसाद]

मनावैज्ञानिक, समाज-शास्त्री और सन्तति-शास्त्री क्या आधार प्रस्तुत करते हैं, इसके विवाद में मैं आपको ले जाना आवश्यक नहीं मानता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज में, विशेषकर हिन्दू समाज में, यह परम्परा चली आती है कि "दुहिता दुरहिता" कहा जाता है। "दुहिता" शब्द का अर्थ है "लड़की" और "दुरहिता" शब्द का अर्थ है "दूर फेंकना", अर्थात् लड़की को दूर भेजने का ही विधान है।

सरकार, राज्य या राजा का कर्तव्य यह होता है कि समाज में जो आचार या नियम या रीति-रिवाज ग़लत चल रहे हों, उन को बदले। हमारी अपनी इस सरकर का तो यह एक अनिवार्य कर्तव्य है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय भीष्म पितामह शर-शैया पर पड़े थे, तो युधिष्ठर उन से बड़े सवाल पूछा करते थे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि राजा काल का बनाने वाला होता हे, या काल राजा को बनाता है। काल का मतलब ज़माने से है। ज़माने अर्थात परम्परा, नियम, रीति रिवाज को राजा बनाता है, या राजा को रीति रिवाज बनाया करते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर जो दिया, वह महाभारत के शान्तिपर्व में है। युधिष्टर ने पूछा था, "कालस्य कारणम् राजा कालो वा राज्ञः कारणम्।" इसके उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था, "मा ते संशयोर्भूतिराजा कालस्य कारणम्।"

राजा काल का बनाने वाला होता है, राजा रीति-रिवाजों को भी बना सकता है। यह बात आज की सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। होना तो यह चाहिए था कि अगर कुछ जगहों में, समाज के कुछ समूहों और समुदायों में, एक ग़लत परम्परा चली आती है, ग़लत रीति-रिवाज चले आ रहे हैं, तो उनको हम बदलने की कोशिश करते। हमने जो स्पेशल मैरिज एक्ट, १९५४ बनाया है, उसके तहत उनको बदला ही गया है। लेकिन आज इस कानून में उनके लिये गुंजायश करने की व्यर्थ कोशिश की जा रही है।

यह जो प्रोवाइज़ो है, जिस के अनुसार स्टेट को नोटिफ़िकेशन के द्वारा कस्टम को निश्चित करना है, वह कितना ऊल-जलूल है। यदि कानून बन गया और प्रोवाइज़ो इस में रहा, तो जिन को हम सुविधा देना चाहते हैं, उन बेचारों को कोई सुविधा देने के बजाय हम उन को हमेशा हमेशा के लिए मुकदमेबाज़ी में डाल देंगे। इस प्रोवाइज़ो में यह लिखा गया है :–

(१) उन सदस्यों में नियम निरन्तर काफी देर तक प्रचलित रहा।

(२) यह नियम निश्चित रूप से अनुचित नहीं है।

(३) यदि इस नियम को परिवार पर लागू किया जाय तो वहां यह बन्द नहीं होगा, चलता रहेगा।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह रूल कान्टीन्यूअस रहा है या नहीं, वह रीज़नेबल है या अन-रीज़नल है, वह पब्लिक पालिसी के खिलाफ है या नहीं, वह फैमिली में चलता आया है या नहीं, यह सब निश्चित करना सरकारी यंत्र के लिए बड़ा कठिन होगा। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार की गुंजायश हो जायगी।

इसलिए मैं उप-विधि मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें और इस को पास कराने में जल्दी न करें। अगर ज़रूरी हो, तो वह इसके हर पक्ष पर बिचार करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी नियुक्त कर दें।

धन्यबाद।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया (अडोनी)**: हमारे आधुनिक मनु जो यह विधि प्रस्तुत कर रहे हैं, इस का कुछ महत्व नहीं है। यह बिल्कुल अनावश्यक तथा असंगत है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। वैसे भी ये लोग मूल अधिनियम के जोड़े जा रहे इस उपबंध के बिना भी विवाह कर सकते हैं। मेरी राय यह है कि रूढ़ी और प्रथा की परिभाषा करने वाला एक उपबंध विधेयक में होना चाहिए। क्योंकि यदि इसे इसकी वर्तमान दशा में स्वीकार कर लिया जाय तो उस से राज्य सरकारों को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि विधेयक पर अग्रेतर बिचार न कर के इस मामले पर पुन-विचार होना चाहिए। और इस प्रकार के विधेयक को इस तरह प्रस्तुत करना ठीक नहीं।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र**: मैंने बड़ी गम्भीरता से सब भाषण सुने हैं। जो आपत्तियां तथा आक्षेप हुए हैं, वे अज्ञान पर आधारित हैं। उन्हें इस विधेयक की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं। यह हिन्दी बिवाह अधिनियम का संशोधन नहीं। इस का उस से कोई वास्ता नहीं। यह हिन्दू धर्म को कोई चुनौती नहीं। इस में तो एक वैसा उपबंध करने का उद्देश्य है, जैसा कि हिन्दू विवाह अधिनियम में जोड़ा गया है, ऐसा ही उपबंध ईसाई विवाहों सम्बंधी विधेयक में किया जाना है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को निषिद्ध सम्बंधों का नया तथा उस के आधार सुसंतति-विज्ञान का पूरा ज्ञान है। परन्तु यह नहीं भुला देना चाहिए कि प्रथा को कानून का बल प्राप्त होता है। जो लोग मूल अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करना चाहते हैं, इस से उन को लाभ पहुंचने की व्यवस्था हो जायेगी। विधेयक पर अच्छी तरह से बिचार करके ही उसे प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में सभी सम्बद्ध अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद ही इसे अन्तिम रूप दिया गया है।

इस सम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि बहुत से न्यायिक नियमों में प्रथा की परिभाषा दी गयी है और जहां उसे विशिष्ट रूप से रोकने के लिए विधि होनी है, वहां यह प्रथा लागू नहीं होती। यह बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को यह निर्णय करने के अधिकार इसलिए दिये गये हैं कि वह यह निर्णय कर सके कि प्रथा क्या है। इस से दोनों पक्षों को अदालत में जा कर मुकदमा लड़ने की मुसीबत से छुटकारा हो जायेगा।

विधेयक जरूरी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी सी बात और साधारण बात है कि आम व्यवहार में विधियों में एक त्रुटि पाई गयी है। उस मूल अधिनियम की एक त्रुटि को हटाने के लिए विधेयक पेश किया गया है। अतः मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विशेष विवाह अधिनिय १९५४ में सशोधन करने वाले विकेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, बिचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं खण्ड २ को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १ पंक्ति १

"Thirteenth year" ["तेरहवां वर्ष"] के स्थान पर "Fourteenth year" ["चौदहवां वर्ष"] रखा जाय ।

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र] :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : विधेयक का लगभग सभी दिशाओं से विरोध हुआ है । अच्छा होता यदि इसे जनमत के लिए परिचालित कर दिया जाता । इस के अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने आवेदन पत्र इस ९ वर्ष के काल में आये कि इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैंने इससे पूर्व भी कहा है कि किसी प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । कुछ लोगों ने विधि की इस कमी की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया और सरकार ने इसे ठीक समझ विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया । यदि श्री द्विवेदी भी कोई कमी बतायेंगे तो सरकार निश्चित रूप से उस पर बिचार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ७६ ; विपक्ष में ६

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं कार्य मंत्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।"

इसके पश्चात लोक सभा २९ अगस्त १९६३ / ७ भाद्र, १८८५ शक) गुरूवार के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २८ अगस्त, १९६३

६ भाद्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१५०७—३३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३३०	राष्ट्रीय कोयला निक्षेप	१५०७—०९
३३१	राजस्थान में सीसा	१५०९—१०
३३२	माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परीक्षा	१५१०—१५
३३३	गारो पहाड़ियों में कोयला	१५१५—१६
३३४	बाक्साइट पर रायल्टी	१५१६—१७
३३५	अध्यापकों का पद	१५१८—२१
३३६	विस्फोटक और डेटोनेटर्स	१५२१—२२
३३७	रिहंड बांध	१५२३—२५
३३८	महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में प्राकृतिक संसाधन	१५२५—२६
३३९	पैकिंग समर्थक साम्यवादी	१५२६—३१
३४१	दिल्ली के लिये दूसरा विश्वविद्यालय	१५३१—३३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१५३३—८१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३४०	प्रमापीकृत पाठ्य-पुस्तकें	१५३३
३४२	दिल्ली प्रशासन द्वारा ली गई ज़मीन का मुआवजा	१५३४
३४३	अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी	१५३४
३४४	सिंगरेनी कोलियरिज कम्पनी	१५३५
३४५	अहमदाबाद के पास नया तेल-स्थल	१५३५
३४६	अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा	१५३५—३६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४७	हिन्दी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई . . .	१५३६
३४८	विदेशों में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर .	१५३७
३४९	बरौनी तेल शोधक कारखाना . .	१५३७–३८
३५०	खेल कूद जांच समिति का प्रतिवेदन .	१५३८
३५१	अनुसन्धान के लिए समुद्र पर्यटन . . .	१५३८–३९
३५२	चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	१५३९
३५३	दिल्ली में अपराध .	१५३९–४०
३५४	तेल की खोज . . .	१५४०
३५५	नवगांव में छिद्रण कार्य . .	१४४०
३५६	काठमांडू घाटी . . .	१५४१
३५७	सीमा क्षेत्रो के बच्चों के लिए संस्था .	१५४१
३५८	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी .	१५४२
३५९	तेल सम्बन्धी पुस्तक . . .	१५४२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०२२	राजस्थान में स्मारक . . .	१५४२–४३
१०२३	सामाजिक रक्षा योजनायें	१५४३
१०२४	उड़ीसा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा . . .	१५४३
१०२५	राजस्थान के स्कूलों और कालिजों में आडिटोरियम . .	१५४४
१०२६	राजस्थान में राजनीतिक पीड़ित	१५४४–४५
१०२७	पैट्रोलियम उत्पाद	१५४५
१०२८	निरधिसूचित आदिम जातियों का कल्याण . . .	१५४५
१०२९	डा० प्रसाद के देहावासान पर छुट्टी . . .	१५४६
१०३०	शिक्षा पर व्यय	१५४६
१०३१	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी स्टोर . . .	१५४६–४७
१०३२	स्वीडन और आस्ट्रेलिया से कागज़ का उपहार . .	१५४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०३३	मिर्ज़ा गालिब का मकान	१५४७
१०३४	पाकिस्तानी जासूस की दिल्ली में गिरफ्तारी	१५४७–४८
१०३५	खारा में भूछिद्रण	१५४८
१०३६	वैज्ञानिक घटनायें	१५४८
१०३७	भारत विरोधी प्रचार	१५४८–४९
१०३८	सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण	१५४९
१०३९	बी० ए० का पाठ्यक्रम	१५४९–५०
१०४०	इलैक्ट्रानिक्स और रेडियो इंजीनियरों की संस्था	१५५०
१०४१	जम्मू और काश्मीर	१५५१
१०४२	पुलिस के लिए आचरण संहिता	१५५१
१०४३	नागा विद्रोही	१५५१
१०४४	अंग्रेजी का स्तर	१५५२–५३
२०४५	विज्ञान पढ़ाने की नयी शैलियां	१५५३
१०४६	पर्वतारोहण संस्थायें	१५५३
१०४७	दक्षिण भारतीय तटों पर तेल के लिये छिद्रण	१५५३–५४
१०४८	पश्चिमी बंगाल में भूछिद्रण	१५५४
१०४९	देहाती इलाकों में शिक्षा	१५५४
१०५०	भद्रक कालिज को अनुदान	१५५५
१०५१	तिल्ली नगर नियम अधिनियम	१५५५
१०५२	दिल्ली नगर निगम के चुनाव	१५५५
१०५३	पाकिस्तानियों का निर्धारित अवधि से अधिक निवास	१५५५
१०५४	कोयले के नये निक्षेप	१५५६
१०५५	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति	१५५६
१०५६	पाइप लाइन बिछाना	१५५६–५७
१०५७	यातायात संकेत (ट्रैफिक सिगनल) अनुसन्धान एकक	१५५७
१०५८	त्रिपुरा तथा गोआ में अस्पृश्यता	१५५७
१०५९	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	१५५७–५८
१०६०	उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय	१५५८
१०६१	ब्रेल उपकरण	१५५८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०६२	जापान में १९६४—ओलम्पिक	१५५९
१०६३	विक्लांग बच्चों के लिये संस्थायें . .	१५५९
१०६४	राजनीतिक पीड़ित	१५५९
१०६५	सिपाहियों के लिये घर	१५६०
१०६६	अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	१५६०
१०६७	नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा . . .	१५६०–६१
१०६८	बच्चों के लिये आकर्षक पुस्तकें . .	१५६१
१०७०	बिक्री-कर विभाग, दिल्ली	१५६१
१०७१	पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां .	१५६२
१०७२	गुंटूर जिले में तांबा अयस्क .	१५६२
१०७३	राष्ट्रीय स्मारक	१५६२
१०७४	लद्दाख में खनिज सम्भाव्यतायें .	१५६३
१०७५	वातानुकूलक यंत्र . . .	१५६३
१०७६	शिक्षा पद्धति में सुधार .	१५६३–६४
१०७७	पैट्रो-कैमिकल-उद्योग . . .	१५६४
१०७८	कोयला तेल शोधक कारखाना . . .	१५६४
१०७९	केन्द्र में राज्य सरकार के अधिकारी . . .	१५६५
१०८०	राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता . . .	१५६५
१०८१	तेल-संग्रह क्षमता	१५६५–६६
१०८२	पैट्रो-कैमिकल उद्योग . . .	१५६६
१०८३	काश्मीर घाटी का सर्वेक्षण . .	१५६६
१०८४	जासूसी	१५६७
१०८५	पंजाब में राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति . . .	१५६७
१०८६	निकोबार की आदिम जातियां	१५६८
१०८७	अन्दमान द्वीप समूह में जेटी का निर्माण . . .	१५६८
१०८८	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	१५६८–६९
१०८९	ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना	१५७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०६०	गोरखपुर जिले में खुदाई	१५७०
१०६१	मकबरों का परिरक्षण	१५७०–७१
१०६२	दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी	१५७१
१०६३	भारत आने वाली एम० सी० सी० टीम	१५७१
१०६४	उच्च श्रेणी का कोयला	१५७१–७२
१०६५	कोयला धोने के कारखाने	१५७२
१०६६	कोयला धोने के कारखानों से दरम्याने दर्जे का और रद्दी कोयला	१५७२–७३
१०६७	आसाम में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१५७३
१०६८	मैसूर में खनिज निक्षेप	१५७३–७४
१०६६	मनीपुर में चूने के पत्थर के निक्षेप	१५७४
११००	बलराजगढ़ में खुदाई	१५७४–७५
११०१	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१५७५–७६
११०२	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय	१५७६
११०३	कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय	१५७६
११०४	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का पुस्तकालय	१५७६–७७
११०५	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुसन्धान सहायक	१५७७
११०६	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सहायक शिक्षा अधिकारी	१५७७
११०७	पदोन्नतियों में रक्षण	१५७८
११०८	केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा	१५७८
११०६	इंजीनियरिंग कालिजों के लिये विदेशी विशेषज्ञ	१५७८–७६
१११०	हिन्दी में गजट	१५८०
१११९	हिन्दी शिक्षण केन्द्र	१५८०
१११२	हिन्दी सिखाना	१५८०–८१
१११३	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	१५८१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों के ओर ध्यान दिलाना १५८१—८६

(एक) श्री हेम बरुआ ने २२ अगस्त, १६६३ को पाकिस्तान वायु सेना के विमानों द्वारा त्रिपुरा के कथित अतिक्रामण की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री य० व० चह्वाण) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय **पृष्ठ**

(दो) श्री राम सेवक यादव ने २६ अगस्त, १९६३ को दिल्ली में पुलिस द्वारा यातायात नियमों को अचानक और कड़ाई से लागू करने के कारण जनता को हुई परेशानी की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५८६-८७

(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१४ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४८ में प्रकाशित खनिज रियायत (छठा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ग) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७८ में प्रकाशित खनिज रियायत (सातवां संशोधन) नियम, १९६८ ।

(२) संविधान के अनुच्छेद ३२३(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का बारहवां प्रतिवेदन ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन में निर्दिष्ट एक मामले में आयोग की सलाह न मानने के कारण बताने वाला ज्ञापन ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया । १५८७

समिति के लिये निर्वाचन . . . १५८७-८८

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में उस के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

वधयक पारित १५८८—१६१४

(१) २६ अगस्त, १९६३ को प्रस्तुत व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

(२) विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर खंडवार चर्चा भी समाप्त हुई। विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ७६, विपक्ष में ६। तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

अठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। १६१४

गुरुवार, २९ अगस्त, १९६३/६ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा इनका पारित किया जाना:—

(१) भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किया गये रूप में

(३) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में

(४) सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक।

GMGIPD—LSIII—1092 (ai) LSD—26-9-63—160.